SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

सीमा शुल्क पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए

संघ सरकार

राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 21

(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

सीमा शुल्क पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए

संघ सरकार

राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 21

(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर दिनांक .... को रखा गया।

विषय सूची

	अध्याय	*पैरा संख्या*	*पृष्ठ*
प्राक्कथन			i
कार्यकारी सार			iii
शब्दों एवं संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली			ix
सीमा शुल्क राजस्व	I	1.1 से 1.15	1
सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश एवं लेखापरीक्षा का क्षेत्र	II	2.1 से 2.8	21
भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) एवं भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)	III	3.1 से 3.9	27
सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचनाओं एवं विदेश व्यापार नीति की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन ना करना	IV	4.1 से 4.7	67
अनुलग्नक			91

प्राक्कथन

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग -सीमा शुल्क तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशक विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

सरकार ने भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा अंतर-परिवर्तन प्रणाली (आईसीईएस) में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसका लक्ष्य एक व्यापक, कागज रहित, पूर्णतः स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली एवं इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में लेन-देन संबंधी जानकारी की उपलब्धता है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने कुछ स्थानों पर लेनदेन की नमूना जांच के बजाय आंकड़ों की शत -*प्रतिशत* समीक्षा करने का प्रयास किया है। संपूर्ण आंकड़ों की उपलब्धता से लेनदेन की नमूना जांच के लिए सीमा शुल्क परिसर में लेखापरीक्षा के भौतिक दौरे की आवश्यकता भी कम हो जाती। लेकिन विभाग ने पूरे भारत में लेन-देन के संपूर्ण आंकड़ों को उपलब्ध नहीं कराया था, इसलिए 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में से 39 में पारंपरिक तरीके से लेखापरीक्षा की गई।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं, जो 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए, साथ ही वे भी, जो पहले के वर्षों में देखे गए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे।

यह लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

भारत में वस्तुओं के आयात तथा भारत से कुछ वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की 83वीं प्रविष्टि)। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का हिस्सा होती हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क लगाए जाते है तथा शुल्कों की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत शासित होती है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग (डीओआर) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। सीमा शुल्क का उदग्रहण एवं संग्रहण तथा सीमा पार निवारक कार्यों को देश भर में सीबीआईसी द्वारा 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष(वि.व.) 23 के दौरान 417 सीमा शुल्क पोर्टों (203-ईडीआई, 28-गैर-ईडीआई, 1-मैनुअल एवं 185-एसईजेड पोर्ट) के माध्यम से ₹36.22 लाख करोड़ मूल्य के निर्यात (4.69 करोड़ संव्यवहार) एवं 432 सीमा शुल्क पोर्टों (184- ईडीआई, 15-गैर-ईडीआई एवं 233- एसईजेड पोर्ट) के माध्यम से ₹57.50 लाख करोड़ मूल्य के आयात (4.11 करोड़ संव्यवहार) हुए।

वि.व 23 के दौरान, लेखापरीक्षा ने संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को 203 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए, जिनमें 1,894 अभ्युक्तियां एवं कुल ₹1,779 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था।

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। अध्याय-**I** में राजस्व विभाग एवं वाणिज्य विभाग के कार्यों का संक्षिप्त विवरण तथा सीमा शुल्क प्राप्तियां, भारत के आयात एवं निर्यात, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के निष्पादन, सीमा शुल्क प्राप्तियों के बकाए के बारे में उच्च स्तरीय सांख्यिकीय जानकारी का अवलोकन एवं विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों का वर्णन किया गया है। अध्याय-**II** में सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश, क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन किया गया है। अध्याय-**III** में 'भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) एवं भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)' विषय पर एक विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) है एवं अध्याय-IV में सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचनाओं एवं विदेशी व्यापार नीति की

निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों के अनुपालन न करने से संबन्धित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं।

अध्याय I: विहंगावलोकन- सीमा शुल्क राजस्व

वि.व. 23 के दौरान, सीमा शुल्क प्राप्तियां ₹2,13,372 करोड़ थीं, जबकि वि.व. 22 में ₹1,99,728 करोड़ प्राप्त हुई थी। वि.व. 23 के दौरान वार्षिक आधार पर सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि दर 6.83 *प्रतिशत* तक बढ़ी थी एवं पिछले पांच वर्षों में सीमा शुल्क प्राप्तियों में 81 *प्रतिशत* तक की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों (वि.व. 19 से वि.व. 23) में सकल घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 0.62 से बढ़कर 0.79 *प्रतिशत* हो गई। सकल कर राजस्व के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां भी 5.99 *प्रतिशत* (वि.व. 19) से बढ़कर 6.99 *प्रतिशत* (वि.व. 23) हो गई थीं।

{पैराग्राफ 1.6.1 एवं 1.6.2}

वि.व. 23 में आयात में 25.74 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यात में भी 15.08 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.7.2 एवं 1.7.3}

विदेशी मुद्रा अर्जित करने एवं बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा, एसईजेड ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार, नई गतिविधियों के उद्भव, उपभोग के स्वरूप एवं सामाजिक जीवन में बदलाव के मामले में महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्रीय प्रभाव हासिल किया है। वि.व. 23 में एसईजेड से निर्यात में (₹12.64 लाख करोड़) वि.व. 19 में किए गए निर्यात की तुलना में कुल 80.20 *प्रतिशत* (₹7.01 लाख करोड़) की वृद्धि हुई एवं वि.व. 22 की तुलना में 27.54 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

{पैराग्राफ 1.9.1 एवं 1.9.2}

वि.व. 23 के दौरान एसईजेड में कुल ₹*6.60* लाख करोड़ का निवेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 28.96 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। वि.व.*19* में किए गए ₹5.08 लाख करोड़ के निवेश की तुलना निवेश में वि.व. 23 में 30 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान सृजित रोजगार में 40.49 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.9.3}

मार्च 2022 तक लंबित राशि (₹51,784 करोड़) की तुलना में मार्च 2023 तक लंबित सीमा शुल्क राजस्व का कुल बकाया राशि (₹55,853 करोड़) 7.86 प्रतिशत बढ़ गयी थी। सीमा

शुल्क में कुल बकाया राशि वि.व. 23 में वि.व. 19 की तुलना में 55.90 *प्रतिशत* बढ़ी है। विवाद रहित बकाया राशि के अवधि-विश्लेषण से पता चला है कि कुल ₹13,612 करोड़ में से ₹3,526 करोड़ (25.90 *प्रतिशत*) पांच साल से अधिक समय से वसूल नहीं हो पाए थे।

{पैराग्राफ 1.11.3 एवं 1.11.8}

दिनांक 31 मार्च 2023 तक ₹55,583 करोड़ के सीमा शुल्क बकाया वाले 20 ज़ोनों में से, 10 ज़ोनों में 83.12 *प्रतिशत* (₹46,201 करोड़) बकाया है। 20 ज़ोनों में (दिनांक 31 मार्च 2023 तक) 13,027 चूककर्ता थे, जिनसे ₹5,908 करोड़ का सीमा शुल्क राजस्व वसूला जाना था। बकाया राशि के लंबित रहने एवं मंद गति से वसूली के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों पर रिक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मंत्रालय को विभाग के वसूली व्यवस्था/तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

{पैराग्राफ 1.11.6 एवं 1.11.9}

अध्याय II : सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश एवं लेखापरीक्षा का क्षेत्र

इस मौजूदा प्रतिवेदन में वि.व. 23 के दौरान पाए गए ₹747 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 50 लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ (एक विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) सम्मालित हैं, वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए गए 50 मामलों में से 24 में जवाब दिया है। इसके अतिरिक्त, 25 मामलों में स्थानीय सीमा शुल्क आयुक्तालयों/क्षेत्रीय प्राधिकरणों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। मंत्रालयों/विभागों ने 49 ***पैराग्राफ*** में शामिल ₹21 करोड़ मूल्य को स्वीकार किया हैं एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णय के रूप में सुधारात्मक उपाय किए हैं तथा सीमा शुल्क के गलत निर्धारण के 39 मामलों में ₹14 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

{पैराग्राफ 2.6}

अध्याय III : भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) एवं भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)

विदेश व्यापार नीति 2015-20 की दो योजनाओं - एमईआईएस एवं एसईआईएस के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी। **₹724.96 करोड़** के राजस्व वाले प्रणालीगत एवं अनुपालन मुद्दों से जुडे लेखापरीक्षा परिणामों को मंत्रालय को सूचित किया गया है, जिस पर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षित है। इन योजनाओं पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा पहले की गई

थी एवं इसे सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5/2020 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी मूल्यांकन करने की कोशिश की गई कि पिछले लेखापरीक्षा की सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) एमईआईएस एवं एसईआईएस दोनों योजनाओं से संबंधित स्वचालन में कमियों को दूर करने एवं आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र में सुधार करने के लिए पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020 की संख्या 5 में की गई सिफारिशों के बावजूद, मंत्रालय/डीजीएफटी द्वारा उन सिफारिशों को लागू करने में कमी पाई गई, जिसका प्राथमिक कारण कि दोनों योजनाएं बंद कर दी गईं।

(ii) योजनाओं को बंद करने के बाद भी, दोनों योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या (सरकारी व्यवस्था के अनुसार) काफी अधिक थी एवं इसमें शुल्क के क्रेडिट के माध्यम से गलत प्रोत्साहन का बहिर्गमन सम्मिलित था, यदि पहले की सिफारिशों को लागू किया गया होता तो उसे टाला जा सकता था।

(iii) प्रणालीगत दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एमईआईएस एवं एसईआईएस लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का स्वचालन किया था, लेकिन स्वचालन प्रणाली में कमियाँ तथा सत्यापन संबंधी कमज़ोरियाँ भी बनी रहीं, जिसके लिए भौतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता बनी रही थी। इससे संसाधन में पर्याप्त विलंब हो रहा था, जो कि नमूना मामलों (क्रमशः एमईआईएस एवं एसईआईएस) में 39 *प्रतिशत* एवं 44 *प्रतिशत* में देखा गया । यह प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।

(iv) अन्य बातों के साथ-साथ जो प्रणालीगत मुद्दें देखे गए, उनमें अस्वीकृत ईकाई सूची में शामिल फर्मों को तथा वे फर्मों जिनके नाम संबंधित विशिष्ट पहचानकर्ता-आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) में नामों से मेल नहीं खाते हैं, को स्क्रिप्सों का गलत जारी करना, दोहरे निर्यात लाभों का लाभ उठाने वाले, समयावधि समाप्त दावों/शिपिंग बिलों के लिए जारी किए गए स्क्रिप्स, लेट कट के न लगाने / कम लागने के कारण अधिक जारी किए गए स्क्रिप्स, भी सम्मिलित हैं, जिसका कुल राजस्व निहितार्थ **₹185.85 करोड़** हैं

(v) अनुपालन परिप्रेक्ष्य से, एमईआईएस योजना के प्रशासन में, लेखापरीक्षा ने अयोग्य उत्पादों को लाभ देने, निर्यातित उत्पादों के गलत वर्गीकरण, गलत प्रोत्साहन दर को अपनाने, निर्यात आय की प्राप्ति न करने या भारतीय रूपये में निर्यात आय की वसूली के कारण कुल **₹132.21** करोड़ के एमईआईएस लाभों का अयोग्य एवं अनियमित अनुदान देखा।

(vi) एसईआईएस योजना के प्रशासन में, ₹406.90 करोड़ के राजस्व वाले एसईआईएस लाभों को गलत तरीके से योग्य सेवाओं, योग्य तरीके से प्रदान की जाने वाली सेवाओं, सेवाओं का गलत वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा आय की गलत गणना, एसईआईएस लाभ प्रदान करते समय सरकारी करों को बाहर न करने एवं विनिमय दरों को गलत अपनाने के फलस्वरूप गलत तरीके से अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि:

(i) विभाग को लाइसेंस जारी करने की पूरी कार्यप्रवाह प्रक्रिया का स्वचालन हासिल करना चाहिए, जो व्यवसायिक नियमों के साथ प्रतिचित्रित हो, ताकि मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके, प्रक्रिया में विलंब को कम किया जा सके एवं योजनाओं के उपयोग में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। प्रोत्साहनों के दुरुपयोग से बचने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा सेवाओं का वर्गीकरण समान रूप से संरेखित किया जाना चाहिए।

(ii) विभाग को स्वचालित प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए तथा साथ ही विदेश व्यापार नीति योजनाओं के सत्यापन एवं मंजूरी की इसकी प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्यूटी स्क्रिप्स/लाभों को नियमानुसार प्रदान किया गया है।

(iii) डीजीएफटी, आरए को निर्देश दे कि वे उन स्थानों पर उचित वसूली कार्रवाई शुरू करें जहां एमईआईएस के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट, योजना के बंद होने के बाद प्रदान किया गया था, विशेष रूप से परिधान एवं मेड-अप क्षेत्र के संबंध में, जो एक अन्य योजना राज्य एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट के लिए पात्र हैं।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.9}

अध्याय IV: सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचनाओं एवं विदेश व्यापार नीति की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन ना करना

39 सीमा शुल्क आयुक्तालयों, डीजीएफटी के 12 क्षेत्रीय प्राधिकरणों एवं नौ विकास आयुक्तों की नमूना लेखापरीक्षा से आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण, अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग एवं विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण लागू सीमा शुल्क के कम मूल्यांकन के दृष्टांत सामने आए।

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए अनुपालन न करने के मामलों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- आयातों का गलत वर्गीकरण (***पैराग्राफ 4.4.1 से 4.4.10***)
- अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग (***पैराग्राफ 4.5.1 से 4.5.6***)
- निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन ना करना (***पैराग्राफ 4.6.1 से 4.6.3)*** I
- अन्य अनियमितताएं (***पैराग्राफ 4.7.1 से 4.7.3***)

आयातकों/निर्यातकों से 49 मामलों में देय कुल ₹22 करोड़ राजस्व के सभी मामलों को विभाग ने स्वीकार कर लिया था तथा 39 मामलों में कुल ₹14 करोड़ की वसूली की सूचना दी थी।

{ पैराग्राफ 4.4.1 से 4.7.3}

शब्दों और संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली

संक्षिप्ताक्षर	विस्तारित रूप
एए	अग्रिम प्राधिकार
एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
एसीयू	एशियाई समाशोधन इकाई
एडीडी	एंटी-डंपिंग ड्यूटी
एडीजीएफटी	अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार
एईओ	अधिकृत आर्थिक संचालक
एएनएफ	आयत निर्यात फॉर्म
एओ	निर्धारण अधिकारी
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क
बीई	बिल ऑफ एंट्री
बीई	बजट अनुमान
बीओ	बैक ऑफिस
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीआरसी	बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र
सीए	सनदी लेखाकार
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीसी	सीमा शुल्क आयुक्तालय
सीई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
सीकेडी	कंप्लीटली नॉक्ड डाउन
आयुक्तालय	सीमा शुल्क आयुक्तालय
सीपीसी	केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण
सीआरए	सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीएसईजेड	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष
सीवीडी	प्रतिपूरक शुल्क
डीसी	विकास आयुक्त
डीसी-सीमा शुल्क	उप आयुक्त सीमा शुल्क
डीईएल	अस्वीकृत इकाई सूची

संक्षिप्ताक्षर	विस्तारित रूप
डीजी	महानिदेशक
डीजीएफटी	महानिदेशक विदेश व्यापार
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीपीसी	कर्तव्य, शक्ति एवं शर्तें
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईसीएम	इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा अंतरपरिवर्तन
ईईएफसी	विनिमय अर्जक की विदेशी मुद्रा
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाई
ईपीसीजी	निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तुएं
ईएक्सआईएम	निर्यात एवं आयात
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटीडीआर अधिनियम	विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईएम	सरकारी ई-बाज़ार
जीओआई	भारत सरकार
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीटीआर	सकल कर राजस्व
एचबीपी	प्रक्रियाओं की पुस्तिका
एचएसएन	नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीईएस	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा अंतरपरिवर्तन प्रणाली
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
आईएनआर	भारतीय रुपया

संक्षिप्ताक्षर	विस्तारित रूप
आईटीसी (एचएस)	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (समन्वित प्रणाली)
आईटी/आईटीईएस	सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली
जेडीजीएफटी	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार
जेएनसीएच	जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस
केएएसईजेड	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
एलसीडी	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले
एलईओ	निर्यात आदेश
एमईआईएस	भारत से वस्तु निर्यात योजना
एमओसीआई	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनएसईजेड	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
ओआइओ	मूल आदेश
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
पीए	निष्पादन लेखापरीक्षा
पीबीए	परिसर आधारित लेखा परीक्षा
पीसीए	पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा
पीएन	सार्वजनिक नोटिस
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई
पीएनसी	पूर्व सूचना परामर्श
पीआरसीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
पीआरईवी	निवारक
पीवीसी	पॉलीविनाइल क्लोराइड
₹	रुपया
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकरण
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएमसी	पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र
आरई	संशोधित अनुमान
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
आरओडीटीईपी	निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में छूट
आरओएससीटीएल	राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट

संक्षिप्ताक्षर	विस्तारित रूप
एसएडी	विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
एसबी	शिपिंग बिल
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसडी	संरक्षा शुल्क
एसईईपीजेड	सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
एसईआईएस	भारत से सेवा निर्यात योजना
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएससीए	विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा
एसटीपी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
एसडब्ल्यूएस	सामाजिक कल्याण अधिभार
टीबीए	थीम आधारित लेखापरीक्षा
टीपीएस	टारगेट प्लस योजना
यूएनएसडी	संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग
वीएसईजेड	विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाईओवाई	वर्ष दर वर्ष

अध्याय I

सीमा शुल्क राजस्व

1.1 सीमा शुल्क की प्रकृति

1.1.1 सीमा शुल्क भारत में माल के आयात एवं भारत से कुछ वस्तुओं के निर्यात पर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की 83वीं प्रविष्टि)। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का हिस्सा होती हैं।

1.1.2 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क लगाया जाता है तथा शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियंत्रित होती हैं।

1.2 सीमा शुल्क राजस्व आधार

1.2.1 सीमा शुल्क राजस्व आधार में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) जारी किए गए आयातक एवं निर्यातक सम्मिलित हैं। मार्च 2023 तक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, दिल्ली द्वारा जारी किए गए 18,61,927 आयातक निर्यातक कोड सक्रिय थे। वि.व.23 के दौरान 417 सीमा शुल्क पोर्ट (203-ईडीआई, 28-गैर-ईडीआई, 1-मैनुअल एवं 185 एसईजेड़ पोर्ट) के माध्यम से ₹ 36.22 लाख करोड़ ` मूल्य का निर्यात (4.69 करोड़ संव्यवहार) एवं 432 सीमा शुल्क पोर्ट (184-ईडीआई, 15 गैर-ईडीआई एवं 233 एसईजेड़ पोर्ट) के माध्यम से ₹ 57.50 लाख करोड़ मूल्य का आयात (4.11 करोड़ संव्यवहार) हुआ।

1.3 प्रशासनिक विभागों का संगठन एवं कार्य

1.3.1 वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग (डीओआर) भारत सरकार का शीर्ष विभाग है, जो दो सांविधिक बोर्डों अर्थात् केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघीय करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जिनका गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत किया गया है।

1.3.2 आयात पर सीमा शुल्क, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण तथा सीमा पार निवारक कार्यों का प्रबंधन सीबीआईसी द्वारा देश भर में मुख्य आयुक्तों की अध्यक्षता वाले 11 ज़ोनों के माध्यम से किया जाता है।

देश भर में फैले सीमा शुल्क आयुक्तालयों के साथ विशेष रूप से सीमा शुल्क एवं सीमा शुल्क (निवारक) के 11 ज़ोन एवं नौ संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ज़ोन हैं। इन ज़ोनों का नेतृत्व प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त करते हैं। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक), सीमा शुल्क (अपील) एवं सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा) के 70 आयुक्तालय हैं।

1.3.3 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अंतर्गत वाणिज्य विभाग (डीओसी) विदेश व्यापार महानिदेशालय के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) तैयार करता है, उसे लागू करता है एवं उसकी निगरानी करता है, जो निर्यात एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाने वाली नीति एवं रणनीति का बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग (डीओसी) को बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक ज़ोन(एसईजेड), राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन एवं व्यापार सुविधा, एवं कुछ निर्यात उन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

1.3.4 विदेश व्यापार नीति को क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जो निर्यात प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आईईसी प्रदान करने एवं लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी हैं। वि.व. 23 के दौरान, पूरे भारत में 25 आरए थे। हालाँकि, ऐसे लाइसेंसों का निष्पादन/कार्यान्वयन सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से किया जाता है।

1.4 सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.4.1 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी), अतिरिक्त शुल्क[1] एवं विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) सम्मिलित थे। फरवरी 2018 से सभी आयातों पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के स्थान पर सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस)[2] भी लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, जहाँ भी लागू हो, एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) एवं संरक्षा शुल्क (एसडी) लगाया जाएगा।

---

[1] सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3(1) के अंतर्गत लगाया गया अतिरिक्त सीमा शुल्क, जो उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय करों और अन्य शुल्कों के बराबर होता है, जिसे आमतौर पर प्रतिकारी शुल्क के रूप में जाना जाता है।

[2] एसडब्ल्यूएस, वित्त विधेयक (अधिनियम), 2018 के खंड 108 के अंतर्गत माल के आयात पर लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त शुल्क है।

1.4.2 दिनांक 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद, पेट्रोलियम उत्पादों एवं मानव उपभोग के लिए मादक शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिपूरक शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त शुल्क को समाहित कर लिया गया है एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तम्बाकू उत्पाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं आईजीएसटी दोनों के अधीन हैं। आईजीएसटी, लागू मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के अतिरिक्त है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कुछ विलासिता एवं दोषपूर्ण वस्तुओं पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया जाता है। शिक्षा उपकर के साथ-साथ एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) एवं सुरक्षा शुल्क की वसूली अपरिवर्तित बनी हुई है।

1.5 बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियां

1.5.1 संघ सरकार का प्राप्ति बजट सरकार के कर एवं गैर-कर राजस्व के बजट अनुमान का आकलन करता है। वास्तविक प्राप्तियों के साथ बजट अनुमानों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। अप्रत्याशित घटनाओं या अवास्तविक अनुमानों के कारण वास्तविक आंकड़े अनुमान से भिन्न हो सकते हैं।

1.5.2 वि.व. 19 से वि.व. 23 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) एवं वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां **तालिका 1.1** में दी गई हैं।

तालिका 1.1: बजट एवं संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	बजट अनुमान ₹ करोड़ में	संशोधित अनुमान ₹ करोड़ में	वास्तविक प्राप्तियां ₹ करोड़ में	वास्तविक एवं बजट अनुमान के बीच अंतर ₹ करोड़ में	वास्तविक एवं बजट अनुमान के बीच अंतर *प्रतिशत*	वास्तविक एवं संशोधित अनुमान के बीच अंतर ₹ करोड़ में	वास्तविक एवं संशोधित अनुमान के बीच अंतर *प्रतिशत*
वि.व.19	1,12,500	1,30,038	1,17,813	(+) 5,313	(+)4.72	(-)12,225	(-)9.40
वि.व.20	1,55,904	1,25,000	1,09,283	(-)46,621	(-)29.90	(-)15,717	(-)12.57
वि.व.21	1,38,000	1,12,000	1,34,750	(-)3,250	(-)2.36	(+)22,750	(+)20.31
वि.व.22	1,36,000	1,89,000	1,99,728	(+)63,728	(+)46.86	(+)10,728	(+)5.68
वि.व.23	2,13,000	2,10,000	2,13,372	(+)372	(+)0.17	(+)3,372	(+)1.61

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए केंद्रीय बजट एवं वित्त खाते एवं वित्त मंत्रालय (सीबीआईसी) का पत्र संख्या 307/46/2022-पीएसी-सीयूएस दिनांक 07.03.2025

1.5.3 वि.व. 19 से वि.व. 23 के दौरान वि.व. 19 से वि.व. 23 के दौरान संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच अंतर (-) 12.57 *प्रतिशत* से 20.31 *प्रतिशत* के बीच रहा। इसी

अवधि के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच अंतर (-) 29.90 *प्रतिशत* से 46.86 *प्रतिशत* के बीच रहा।

1.5.4 वि.व. 23 के दौरान वि.व. 23 के दौरान वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां अपने बजट अनुमान की तुलना में (+) 0.17 *प्रतिशत* (₹372 करोड़) बढ़ीं, जबकि वि.व. 22 के दौरान वे अपने बजट अनुमान की तुलना में (+) 46.86 *प्रतिशत* (₹63,728 करोड़) अधिक थीं। वि.व.23 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां संशोधित अनुमान से मामूली रूप से अधिक रही हैं, क्योंकि विभाग भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कई कारकों पर नियमित रूप से नजर रखता है एवं बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद आवश्यकतानुसार सीमा शुल्क दर संरचना को समायोजित करने के माध्यम से हस्तक्षेप करता है।

राजस्व विभाग (सीबीआईसी) ने संशोधित अनुमान/बजट अनुमान में भिन्नता के लिए कहा (मार्च 2025) कि सीमा शुल्क संरचना को सरकार की सतर्क नीति द्वारा निर्देशित किया गया है, ताकि घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके, जिसमें मेक इन इंडिया एवं आत्म निर्भर भारत योजनाओं के अंतर्गत मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल पर कम आयात शुल्क लगाने एवं अनावश्यक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। सरकार की इस नीति को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखते हुए, मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों, पिछले राजस्व प्रवृत्तियों एवं अनुमानित कर में वृद्धि के आधार पर विभिन्न आकलनों के अंतर्गत फरवरी 2023 के दौरान बजट की प्रस्तुति के समय वि.व. 23 के लिए बजट अनुमानों के लिए सीमा शुल्क के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

राजस्व विभाग ने आगे बताया कि संशोधित लक्ष्य तय करते समय विभाग ने सीमा शुल्क संग्रह की प्रवृत्तियों की समीक्षा की एवं साथ ही मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की। तदनुसार, संशोधित अनुमान चरण में सीमा शुल्क लक्ष्य को संशोधित किया गया।

राजस्व विभाग ने वि.व. 23 के दौरान संशोधित अनुमान की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि का श्रेय इस तथ्य को भी दिया कि विभाग नियमित रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर सीमा शुल्क दर संरचना को समायोजित करके हस्तक्षेप करता है। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद, शुल्क संरचना में परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए सीमा शुल्क संरचना में परिवर्तन किए गए।

1.6 सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

1.6.1 **तालिका 1.2** में वि.व. 19 से वि.व. 23 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल कर राजस्व (जीटीआर) प्राप्तियों एवं सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राप्तियों की सापेक्ष वृद्धि दर्शाई गई है।

तालिका 1.2: सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां ₹ करोड़ में	वर्ष दर वर्ष वृद्धि *प्रतिशत*	सकल घरेलू उत्पाद ₹ करोड़ में	सकल घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल कर राजस्व (जीटीआर) ₹ करोड़ में	सकल कर राजस्व के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर ₹ करोड़ में	अप्रत्यक्ष करों के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व.19	1,17,813	(-)8.69	1,88,99,668	0.62	19,68,456	5.99	8,43,177	13.97
वि.व.20	1,09,283	(-)7.24	2,01,03,593	0.54	20,10,059	5.44	8,59,122	12.72
वि.व.21	1,34,750	23.30	1,98,54,096	0.68	20,27,102	6.65	10,76,891	12.51
वि.व.22	1,99,728	48.22	2,35,97,399	0.85	27,09,315	7.37	12,97,797	15.39
वि.व.23	2,13,372	6.83	2,68,90,473	0.79	30,54,192	6.99	13,91,164	15.34

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए केंद्रीय बजट एवं वित्त खाते, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का 28 फरवरी 2025 का प्रेस नोट।

1.6.2 वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) आधार पर सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि दर ने वि.व. 23 के दौरान 6.83 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाई थी एवं पिछले पांच वर्षों (वि.व. 19 से वि.व. 23) में सीमा शुल्क प्राप्तियों में 81 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों (वि.व. 19 से वि.व. 23) में सकल घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 0.54 *प्रतिशत* से 0.85 *प्रतिशत* की सीमा में उतार-चढ़ाव का रुख दर्शाती रही हैं। इसी अवधि के दौरान जीटीआर (सकल कर राजस्व) के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां भी 5.44 *प्रतिशत* से 7.37 *प्रतिशत* के बीच उतार-चढ़ाव वाली रहीं।

1.6.3 वि.व. 23 के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सीमा शुल्क प्राप्तियों का *प्रतिशत* (0.79 *प्रतिशत*) वि.व. 22 में 0.85 *प्रतिशत* की तुलना में कम था। सकल कर राजस्व के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां भी वि.व. 22 में 7.37 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 23 में घटकर 6.99 *प्रतिशत* हो गईं।

1.6.4 वि.व. 23 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों का सकल घरेलू उत्पाद अनुपात एक *प्रतिशत* (0.79 *प्रतिशत*) से भी कम था, जबकि सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 6.99 *प्रतिशत* थीं। हालांकि, अप्रत्यक्ष करों के *प्रतिशत* के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 15.34 *प्रतिशत* थीं।

1.7 भारत का आयात एवं निर्यात

1.7.1 शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार

पिछले पांच वर्षों (वि.व. 19 से वि.व. 23) के दौरान भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार यूएसए, चीन, यूएई, सऊदी अरब, रूस, इंडोनेशिया, इराक, सिंगापुर, हांगकांग एवं कोरिया थे। इनमें से चीन, इराक एवं हांगकांग को छोड़कर प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से वि.व. 22 की तुलना में वि.व. 23 में आयात का हिस्सा बढ़ा है।

वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में , शीर्ष 10 देशों से आयात में वृद्धि हुई है। शीर्ष 10 देशों से आयात किए जाने वाले वस्तु समूह में पेट्रोलियम कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, मोती, कीमती एवं अर्ध-कीमती पत्थर, कोयला कोक एवं ब्रिकेट, इलेक्ट्रॉनिक पुरजे, दूरसंचार उपकरण, वनस्पति तेल, कार्बनिक रसायन एवं कंप्यूटर हार्डवेयर आदि थे।

वि.व. 22 एवं 23 के दौरान शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों से आयात, इस अवधि के दौरान किए गए कुल आयात का लगभग आधा था **(तालिका 1.3)।**

तालिका 1.3: शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों से वर्ष दर वर्ष आयात
वि.व. 22 की तुलना में वि.व. 23 में वृद्धि

क्रम सं.	देश	आयात वि.व. 22	आयात वि.व. 23	वि.व. 22 की तुलना में वि.व. 23 में वृद्धि %	वि.व. 22 में कुल आयात का % हिस्सा	वि.व. 23 में कुल आयात का % हिस्सा
1	चीन	7,05,123	7,90,932	12.17	15.42	13.76
2	संयुक्त अरब अमीरात	3,34,470	4,27,406	27.79	7.31	7.43
3	संयुक्त राज्य अमेरिका	3,23,033	4,08,621	26.50	7.06	7.11
4	रूस	73,655	3,74,003	407.78	1.61	6.50
5	सऊदी अरब	2,54,678	3,37,572	32.55	5.57	5.87
6	इराक	2,38,418	2,75,202	15.43	5.21	4.79
7	इंडोनेशिया	1,32,049	2,30,815	74.80	2.89	4.01
8	सिंगापुर	1,41,574	1,89,828	34.08	3.10	3.30
9	कोरिया	1,30,299	1,70,632	30.95	2.85	2.97
10	हांगकांग	1,42,400	1,46,586	2.94	3.11	2.55
	कुल योग	**24,75,699**	**33,51,597**			
	प्रतिशत			***25.74***	**54.14**	**58.29**
	भारत का कुल आयात	**45,72,771**	**57,49,801**		**100**	**100**

स्रोत: आयात-निर्यात डाटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व. 23 के दौरान दस प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से आयात में वि.व. 22 के दौरान किए गए आयात की तुलना में वृद्धि दिखी। वि.व. 23 के दौरान रूस से आयात में 407 *प्रतिशत*

की सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से बाह्य कारकों के कारण तेल की कीमतों में छूट के कारण हुई। इसी अवधि के दौरान अन्य नौ प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से आयात में मध्यम से लेकर उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

1.7.2 भारत का अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार असंतुलन

वि.व. 23 के दौरान भारत का अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार असंतुलन कुल व्यापार असंतुलन {(-)₹21,28,251 करोड़} का 89 *प्रतिशत* {(-)₹19,02,016 करोड़} था। वि.व. 23 के दौरान शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों से आयात एवं निर्यात का विवरण **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: वित्तीय वर्ष 23 के लिए भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदार

वि.व.23		मूल्य: ₹ करोड़ में			
रैंक	**देश**	**निर्यात**	**आयात**	**कुल व्यापार**	**व्यापार संतुलन**
1	यूएसए	6,30,152	4,08,621	10,38,772	2,21,531
2	चीन	1,22,774	7,90,932	9,13,706	-6,68,158
3	यूएई	2,53,852	4,27,406	6,81,258	-1,73,553
4	सऊदी अरब	86,271	3,37,572	4,23,843	-2,51,301
5	रूस	25,463	3,74,003	3,99,466	-3,48,541
6	इंडोनेशिया	80,335	2,30,815	3,11,150	-1,50,480
7	इराक	21,777	2,75,202	2,96,979	-2,53,426
8	सिंगापुर	96,185	1,89,828	2,86,013	-93,643
9	हांगकांग	79,497	1,46,586	2,26,084	-67,089
10	कोरिया	53,275	1,70,632	2,23,907	-1,17,356
शीर्ष 10 देशों का योग		***14,49,582***	***33,51,597***	***48,01,179***	***-19,02,016***
भारत का योग		36,21,550	57,49,801	93,71,351	-21,28,251
भारत के कुल व्यापार में शीर्ष 10 देशों का हिस्सा *प्रतिशत*		***40.03***	***58.29***	***51.23***	***89.37***

स्रोत: आयात-निर्यात डाटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

1.7.3 वि.व. 19 से वि.व. 23 के दौरान भारत का कुल आयात एवं निर्यात

तालिका 1.5 वि.व.19 से वि.व. 23 के दौरान भारत के आयात एवं निर्यात की वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.5: वि.व. 19 से वि.व. 23 के दौरान भारत का आयात एवं निर्यात

वर्ष	आयात ₹ करोड़ में	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	निर्यात ₹ करोड़ में	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	व्यापार असंतुलन ₹ करोड़ में
वि.व.19	35,94,675	19.78	23,07,726	17.95	(-)12,86,949
वि.व.20	33,60,954	(-)6.50	22,19,854	(-)3.81	(-)11,41,100
वि.व.21	29,15,958	(-)13.24	21,59,043	(-)2.74	(-)7,56,915
वि.व.22	45,72,771	56.82	31,47,021	45.76	(-)14,25,750
वि.व.23	57,49,801	25.74	36,21,550	15.08	(-)21,28,251

स्रोतः आयात-निर्यात डाटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व. 22 में भारत का कुल निर्यात ₹31,47,021 करोड़ मूल्य की तुलना में वि.व. 23 में निर्यात ₹36,21,550 करोड़ मूल्य था जो कि 15.08 *प्रतिशत* अधिक था। वि.व. 23 में भारत का कुल आयात मूल्य ₹57,49,801 करोड़ था, जबकि वि.व. 22 में यह ₹45,72,771 करोड़ था, जो 25.74 *प्रतिशत* की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।

वि.व. 19 से वि.व. 23 के दौरान आयात की वार्षिक वृद्धि दर में कोविड महामारी (वि.व. 20 से वि.व. 21) के कारण (-) 13.24 *प्रतिशत* से 56.82 *प्रतिशत* तक उतार-चढ़ाव देखा गया। इसी अवधि के दौरान निर्यात की वृद्धि दर में भी (-) 3.81 *प्रतिशत* से 45.76 *प्रतिशत* तक का उतार-चढ़ाव देखा गया। हालांकि, वि.व. 23 के दौरान कुल व्यापार के लिए व्यापार संतुलन पिछले चार वर्षों (वि.व. 19 से 22) के व्यापार की तुलना में और भी अधिक बढ़ गया है। वि.व.23 के दौरान आयात में वृद्धि एवं निर्यात में कमी भारत के बढ़ते व्यापार घाटे का कारण है। इसका मुख्य कारण पेट्रोलियम उत्पादों के आयात मूल्य में वृद्धि है, जबकि बाह्य कारकों के कारण निर्यात में कमी हुई।

1.8 वि.व. 23 के दौरान आयात एवं निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी

1.8.1 वि.व. 23 के दौरान, खनिज ईंधन एवं उनके आसवन के उत्पाद' वस्तु के लिए ₹20,93,896 करोड़ का सबसे अधिक आयात दर्ज किया गया, जो भारत के कुल आयात में 36.42 *प्रतिशत* का सबसे बड़ा हिस्सा है। वि.व. 23 के दौरान आयात की जाने वाली शीर्ष पाँच प्रमुख वस्तुओं का *प्रतिशत* हिस्सा **तालिका 1.6** में वर्णित है। वि.व. 23 के दौरान भारत के कुल आयात में इन वस्तु समूहों की हिस्सेदारी 67.83 *प्रतिशत* थी।

तालिका 1.6 : वि.व.23 के दौरान आयात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी

क्रम सं.	वस्तु का नाम	आयात मूल्य (₹ करोड़ में)	कुल आयात का *प्रतिशत*
1	खनिज ईंधन, खनिज तेल एवं उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम। (अध्याय-27)	20,93,896	36.42
2	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या अर्द्ध-कीमती पत्थर, बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातु से जड़े हुए एवं उनकी वस्तुएं; नकली आभूषण; सिक्के। (अध्याय-71)	5,92,525	10.31
3	विद्युत मशीनरी एवं उपकरण तथा उनके पुर्जे; ध्वनि रिकॉर्डर एवं पुनरुत्पादक, टेलीविजन छवि, ध्वनि रिकॉर्डर एवं पुनरुत्पादक, एवं पुर्जे। (अध्याय-85)	5,43,741	9.46
4	मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण; उनके भाग (अध्याय-84)	4,37,140	7.60
5	कार्बनिक रसायन (अध्याय-29)	2,32,169	4.04
	योग योग	**38,99,471**	**67.83**
6	अन्य (अध्याय-27, 71, 85, 84, 29 को छोड़कर)	18,50,329	32.17
	योग	**57,49,801**	**100.00**

स्रोत: आयात-निर्यात डाटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

1.8.2 वि.व. 23 के दौरान, 'खनिज ईंधन एवं उनके आसवन के उत्पादों' में ₹8,12,670 करोड़ का सबसे अधिक निर्यात भी दर्ज किया गया, जो भारत के कुल निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा 22.44 *प्रतिशत* का है। वि.व. 23 के दौरान निर्यात की शीर्ष पाँच प्रमुख वस्तुएँ हिस्सेदारी *प्रतिशत* के साथ **तालिका 1.7** में दर्शाई गई हैं। वि.व. 23 के दौरान निर्यात में पाँच प्रमुख वस्तु समूहों की हिस्सेदारी भारत के कुल निर्यात का 48.08 *प्रतिशत* थी।

तालिका 1.7: वि.व. 23 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों की हिस्सेदारी

क्रम सं.	वस्तु का नाम	निर्यात मूल्य (₹ करोड़ में)	कुल निर्यात का *प्रतिशत*
1	खनिज ईंधन, खनिज तेल एवं उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम। (अध्याय-27)	8,12,670	22.44
2	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या अर्द्ध-कीमती पत्थर, बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातु से जड़े हुए एवं उनकी वस्तुएं; नकली आभूषण; सिक्का। (अध्याय-71)	3,05,758	8.44
3	विद्युत मशीनरी एवं उपकरण तथा उनके पुर्जे; ध्वनि रिकॉर्डर एवं पुनरुत्पादक, टेलीविजन छवि, ध्वनि रिकॉर्डर एवं पुनरुत्पादक, एवं पुर्जे। (अध्याय-85)	2,30,511	6.36
4	मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण; उनके भाग (अध्याय-84)	2,20,977	6.10
5	कार्बनिक रसायन (अध्याय-29)	1,71,546	4.74
	उप-योग	**17,41,462**	**48.08**

क्रम सं.	वस्तु का नाम	निर्यात मूल्य (₹ करोड़ में)	कुल निर्यात का *प्रतिशत*
6	अन्य (अध्याय-27, 71, 85, 84, 29 को छोड़कर)	18,80,087	51.92
	कुल	**36,21,550**	**100.00**

स्रोत: आयात-निर्यात डाटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

1.9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का प्रदर्शन

1.9.1 एसईज़ेड नियमों द्वारा समर्थित, एसईज़ेड अधिनियम, 2005, दिनांक 10 फरवरी, 2006 को प्रभावी हुआ, जिसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं केंद्र तथा राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर एकल खिड़की मंजूरी के लिए प्रावधान किया गया। एसईज़ेड अधिनियम 2005 के अनुसार, एसईज़ेड की स्थापना केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग वस्तुओं के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने या दोनों के लिए या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूज़ेड) के रूप में की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसित ऐसे प्रस्तावों पर एसईज़ेड के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा विचार किया जाता है।

एसईज़ेड अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन
- वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
- घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
- रोजगार के अवसरों का सृजन
- बुनियादी सुविधाओं का विकास

फरवरी 2006 में एसईज़ेड नियमों की अधिसूचना के बाद, दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक, वाणिज्य विभाग ने एसईज़ेड स्थापित करने के लिए 424 औपचारिक अनुमोदन दिए थे, जिनमें से 395 को अधिसूचित किया गया था, जिनमें से केवल 275 एसईज़ेड परिचालन में थे **(अनुलग्नक 1)** यानी कुल स्वीकृत एसईज़ेड का 64.86 *प्रतिशत*। दिनांक 31 मार्च 2023 तक, विशेष आर्थिक क्षेत्र में कुल 5,675 इकाइयां स्वीकृत थीं।

1.9.2 एसईज़ेड योजना ने भारत एवं विदेश दोनों जगह निवेशकों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की है, जो देश में निवेश के प्रवाह एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन से स्पष्ट है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने एवं बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा, एसईजेड ने प्रत्यक्ष एवं

अप्रत्यक्ष रोजगार, नई गतिविधियों के उद्भव, उपभोग पैटर्न एवं सामाजिक जीवन में बदलाव के मामले में महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्र प्रभाव हासिल किया है। वि.व.19 से वि.व.23 की अवधि के लिए एसईज़ेड प्रदर्शन के तीन मापदंड (i) निर्यात प्रदर्शन, (ii) निवेश एवं (iii) रोजगार नीचे **तालिका 1.8** दिए गए हैं।

तालिका 1.8: विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रदर्शन

	वि.व.19	वि.व.20	वि.व.21	वि.व.22	वि.व.23
निर्यात प्रदर्शन (**₹ करोड़ में**)	7,01,179 (21%)*	7,96,669 (14%)	7,59,524 (-5%)	9,90,747 (30%)*	12,63,578 (28 %)*
निवेश (**₹ करोड़ में**)	5,07,644 (3%)	5,71,735 (13%)	6,17,499 (8%)	6,49,705 (5%) *	6,60,184 (2%) *
रोज़गार (**व्यक्तियों को**)	20,61,055 (3%)	22,38,305 (8%)	23,58,136 (5%)	26,96,180 (14%) *	2 8,95,612 (7 %) *

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय   *कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाते हैं

वि.व. 23 में एसईज़ेड से निर्यात ₹12.64 लाख करोड़ रहा, जो वि.व. 19 में किए गए निर्यात की तुलना में समग्र वृद्धि 80.20 *प्रतिशत* (₹7.01 लाख करोड़) की थी। वि.व. 23 में निर्यात वृद्धि *प्रतिशत* वि.व. 22 की तुलना में बढ़कर 28 *प्रतिशत* हो गया, जिसमें ₹12.64 लाख करोड़ का निर्यात हुआ। पिछले वर्षों की तुलना में वि.व. 19 में सालाना आधार पर निर्यात में वृद्धि 21 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व.23 में 28 *प्रतिशत* हो गई (**तालिका 1.8 एवं अनुलग्नक 1**)। वि.व. 21 में कोरोना महामारी के घटते प्रभावों के बाद वि.व. 23 में निर्यात में वृद्धि देखने को मिली।

1.9.3 वि.व. 23 के दौरान एसईज़ेड में कुल ₹6.60 लाख करोड़ का निवेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 28.96 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। वि.व. 23 में निवेश में वि.व. 19 में किए गए ₹5.08 लाख करोड़ के निवेश की तुलना में 30 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान, सृजित रोजगार में 40.49 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई **(तालिका 1.8)**।

1.10 वि.व.22 एवं वि.व.23 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रह की लागत

1.10.1 संग्रह की लागत सीमा शुल्क के संग्रहण पर होने वाली लागत है एवं इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा खाते में लेन-देन एवं अन्य व्यय पर हुए व्यय सम्मिलित है। वि.व. 22 से वि.व. 23 की अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रह की लागत नीचे **तालिका 1.9** में दी गई है।

तालिका 1.9: वि.व. 22 एवं वि.व. 23 के दौरान संग्रह की लागत

(₹ करोड़ में)

व्यय शीर्ष	वि.व. 22	वि.व. 23
राजस्व-सह आयात/निर्यात एवं व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	833	928
निवारक एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4,279	5,275
रिजर्व, फंड, जमा खाता एवं अन्य व्यय में स्थानांतरण	19	23
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में छूट	12,016	13,175
राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट	9,176	7,659
भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत छूट	23,051	1,248
भारत से सेवा निर्यात योजना के अंतर्गत छूट	4,099	2,610
टारगेट प्लस योजना के अंतर्गत छूट/प्रोत्साहन	766	129
अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट	213	61
कुल व्यय	**54,452**	**31,109**
सीमा शुल्क प्राप्ति	*1,99,728*	*2,13,372*
सीमा शुल्क प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में संग्रहण की लागत	**27.26**	**14.58**

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए संघ सरकार के वित्त खाते

1.10.2 सीमा शुल्क प्राप्तियों के प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त, संग्रह की लागत वि.व.22 में 27.26 *प्रतिशत* एवं वि.व. 23 में 14.58 *प्रतिशत* थी। संग्रह की लागत में कमी 'भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत छूट, भारत से सेवा निर्यात योजना के अंतर्गत छूट, टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) के अधीन छूट/प्रोत्साहन, राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत छूट' के अंतर्गत हुए व्यय में कमी के कारण हुई।

1.11 बकाया सीमा शुल्क

1.11.1 सीमा शुल्क के बकाये की वसूली क्षेत्राधिकारी आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी है। उन्हें आयुक्तालयों के भीतर कार्यरत वसूली प्रभाग के कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी करनी होती है। हर साल, प्रत्येक आयुक्तालय के लिए वसूली लक्ष्य तय किए जाते हैं। वि.व. 19 से वि.व. 23 के दौरान सीमा शुल्क के बकाये की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

वि.व. 23 में ₹9,707 करोड़ के वसूली लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने ₹1,898 करोड़ (19.55 *प्रतिशत*) की वसूली की, जिससे ₹7,809 करोड़ (80.45 *प्रतिशत*) की राशि शेष रह गई **(तालिका 1.10)**।

तालिका 1.10: वि.व. 19 से वि.व. 23 के दौरान निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त वसूली

वर्ष	बकाया लक्ष्य (₹करोड़ में)	लक्ष्य हासिल किया (₹करोड़ में)	लक्ष्य की कमी (₹करोड़ में)	कमी का *प्रतिशत*
वि.व.19	4,315	2,159	(-)2,156	(-)49.97
वि.व.20	4,044	1,952	(-)2,092	(-)51.73
वि.व.21	4,108	1,128	(-)2,980	(-)72.54
वि.व.22	3,767	1,673	(-)2,094	(-) 55.59
वि.व.23	9,707	1,898	(-)7,809	(-)80.45

स्रोत: वि.व. 23 हेतु वित्त मंत्रालय का पत्र संख्या एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सी.शु. दिनांक 12.02.2025,

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि विभाग ने सीमा शुल्क बकाया वसूलने के लिए सीबीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं। वि.व. 23 में लक्ष्य में कमी (-) 80.45 *प्रतिशत* थी। पिछले पांच वर्षों से सीमा शुल्क बकाया की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार कमी रही। कुल कार्मिकों की संख्या में रिक्तियों ने बकाया वसूली लक्ष्य को प्रभावित किया हो सकता है। जनवरी 2023 तक कार्मिकों की कुल संख्या में 47 *प्रतिशत* की कमी थी।

बोर्ड ने समय-समय पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं सीमा शुल्क के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली से संबंधित निर्देश/परिपत्र जारी किए हैं। जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद हुए बदलावों को देखते हुए, अप्रत्यक्ष करों एवं सीमा शुल्क के बकाया की वसूली के लिए प्रक्रिया को अद्यतन एवं संशोधित करना अनिवार्य हो गया है।

1.11.2 सीमा शुल्क का बकाया विभाग द्वारा लगाए गए शुल्क हैं, लेकिन विभिन्न कारणों जैसे कि अधिनिर्णयन के लंबित रहने, विवादित दावों एवं अनंतिम मूल्यांकनों के कारण वसूल नहीं किए जा सके। दिनांक 31 मार्च 2023 तक कुल सीमा शुल्क बकाया राशि ₹55,853 करोड़ थी। वि.व 19 से वि.व 23 के लिए सीमा शुल्क राजस्व बकाया नीचे दी गई **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: सीमा शुल्क का बकाया

वर्ष	विवादित सीमा शुल्क का बकाया (₹ करोड़ में)	विवाद रहित सीमा शुल्क का बकाया (₹ करोड़ में)	कुल बकाया (₹ करोड़ में)	कुल बकाए में विवादित बकाया का *प्रतिशत*	कुल बकाया में निर्विवाद बकाया का *प्रतिशत*
वि.व.**19**	27,972	7,855	35,827	78.08	21.92
वि.व.**20**	36,951	8,101	45,052	82.02	17.98
वि.व.**21**	34,215	8,386	42,601	80.32	19.68
वि.व.**22**	41,917	9,867	51,784	80.95	19.05
वि.व.**23**	42,241	13,612	55,853	75.63	24.37

स्रोत: महानिदेशक प्रदर्शन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाएं

1.11.3 वि.व. 19 से वि.व. 23 के दौरान बकाया सीमा शुल्क मे निरंतर वृद्धि हुई है। मार्च 2023 (₹55,853 करोड़) तक लंबित सीमा शुल्क राजस्व का कुल बकाया मार्च 2022 (₹51,784 करोड़) की तुलना में 7.86 *प्रतिशत* बढ़ गया। सीमा शुल्क में कुल बकाया राशि वि.व. 19 की तुलना में वि.व. 23 में 55.90 *प्रतिशत* बढ गई है।

1.11.4 कुल बकाया के अनुपात में विवादित बकाया राशि वि.व. 19 में 78.08 *प्रतिशत* से मामूली रूप से घटकर वि.व. 23 में 75.63 *प्रतिशत* हो गई और यह ₹42,241 करोड़ हो गई।

1.11.5 दिनांक 31 मार्च 2023 तक लंबित विवाद रहित बकाया (₹13,612 करोड़) कुल बकाया (₹55,853 करोड़) का 24.37 *प्रतिशत* था। पिछले वर्ष की तुलना में वि.व. 23 में विवाद रहित बकाया (24.37 *प्रतिशत*) बढ़ा था।

1.11.6 कुल 20 ज़ोनों {11 सीमा शुल्क ज़ोन एवं नौ संयुक्त (सीमा शुल्क एवं जीएसटी ज़ोन)} में से, 10 ज़ोनों में वि.व. 23 के दौरान लंबित कुल बकाया (₹55,583 करोड़) का 83.12 *प्रतिशत* (₹ 46,201 करोड़) बकाया था, जैसा कि **तालिका 1.12** में दिखाया गया है।

तालिका 1.12: 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क राजस्व का क्षेत्रवार बकाया

रैंक	मुख्य आयुक्त क्षेत्र	विवादित राशि (₹करोड़ में)	विवाद रहित राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2023 तक लंबित राशि (₹ करोड़ में)
1	अहमदाबाद सीमा शुल्क	8,576	2,280	10,855
2	बेंगलुरू सीमा शुल्क	5,337	1,401	6,739
3	मुंबई - II सीमा शुल्क	6,085	542	6,626
4	दिल्ली सीमा शुल्क	3,169	3,001	6,171

रैंक	मुख्य आयुक्त क्षेत्र	विवादित राशि (₹करोड़ में)	विवाद रहित राशि (₹ करोड़ में)	31.03.2023 तक लंबित राशि (₹ करोड़ में)
5	मुंबई - I सीमा शुल्क	2,432	618	3,050
6	मुंबई - III सीमा शुल्क	2,287	679	2,966
7	कोलकाता सीमा शुल्क	2,062	499	2,562
8	चेन्नई सीमा शुल्क	1,771	678	2,449
9	भोपाल सीई एवं जीएसटी	1,251	1,192	2,442
10	दिल्ली निवारक	1,874	468	2,341
	शीर्ष 10 का उप-योग	**34,843**	**11,358**	**46,201**
11	अन्य का कुल योग	7,398	2,254	9,382
	कुल योग	**42,241**	**13,612**	**55,583**

स्रोतः वित्त मंत्रालय का पत्र संख्या एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सी.शु. दिनांक 12.02.2025

1.11.7 वि.व. 23 में सीमा शुल्क के बकाया की सबसे अधिक मात्रा अहमदाबाद स्थित मुख्य सीमा शुल्क आयुक्तालय में थी, जिसके बाद क्रमशः बेंगलुरु, मुंबई-II, दिल्ली सीमा शुल्क, मुंबई-I एवं मुंबई-III, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल-सीई एंड जीएसटी तथा दिल्ली निवारक ज़ोन का स्थान था।

1.11.8 वि.व. 19 से वि.व. 23 के लिए सीमा शुल्क राजस्व का अवधि-वार बकाया **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: वि.व. 19 से वि.व.23 के लिए सीमा शुल्क राजस्व के बकाया की अवधि-वार की लंबितता

वर्ष	विवादित राशि (₹करोड़ में)				विवाद रहित राशि (₹करोड़ में)				कुल योग
	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 6+7+8)	(कॉलम 5+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
वि.व.19	24,670	2,373	929	**27,972**	5,361	831	1,663	**7,855**	**35,827**
वि.व.20	29,226	6,128	1,597	**36,951**	6,243	864	994	**8,101**	**45,052**
वि.व.21	25,077	7,599	1,539	**34,215**	6,285	918	1,183	**8,386**	**42,601**
वि.व.22	31,558	8, 436	1,923	**41,917**	7, 667	966	1,234	**9,867**	**51,784**
वि.व.23	31,603	7,253	3,385	**42,241**	10,086	1,989	1,537	**13,612**	**55,853**

स्रोतः वित्त मंत्रालय का पत्र संख्या एफ.सं.307/46/2022-पीएसी-सी.शु. दिनांक 12.02.2025, वि.व. 23

विवाद रहित बकाए का अवधि-वार विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹13,612 करोड़ में से ₹3,526 करोड़ (25.90 *प्रतिशत*) पांच वर्षों से अधिक समय से वसूल नहीं हो पाए हैं। इनमें से ₹1,537 करोड़ की राशि की वसूली दस वर्षों से अधिक समय से लंबित है।

1.11.9 इसके अलावा, 20 ज़ोनों में (दिनांक 1 अप्रैल 2022 तक) 11,322 चूककर्ता थे, जिनसे ₹5,960 करोड़ का सीमा शुल्क राजस्व वसूला जाना था। वि.व. 23 के दौरान 2,258 नए चूककर्ता जुड़े, जिनकी राजस्व देनदारी ₹525 करोड़ थी। कुछ मामलों में वसूली के बाद 31 मार्च 2023 तक 13,027 चूककर्ता थे, जिन पर ₹5,908 करोड़ का बकाया था। बकाया राशि के लंबित रहने एवं कम वसूली के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों पर रिक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मंत्रालय को विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

1.12.1 सीबीआईसी एवं इसके क्षेत्रीय संरचनाओं के आंतरिक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा महानिदेशालय {डीजी (लेखापरीक्षा)} द्वारा किए गए तकनीकी लेखापरीक्षा एवं प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.सीसीए) द्वारा किए गए भुगतान एवं खातों की लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं। महानिदेशालय (लेखापरीक्षा) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसके प्रमुख महानिदेशक (लेखापरीक्षा) हैं, तथा अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में सात क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक करता है। लेखापरीक्षा महानिदेशालय की प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई का मुख्य आयुक्त एवं उसके अधीन आयुक्तालयों की क्षेत्रीय इकाइयों पर क्षेत्रवार क्षेत्राधिकार नियंत्रण होता है।

1.12.2 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, निकासी के बाद लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) ने दो प्रकार की पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा की योजना बनाई थी अर्थात संव्यवहार आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) एवं परिसर आधारित लेखापरीक्षा (पीबीए)।

1.12.3 संव्यवहार आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) का अर्थ है सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करने एवं किसी भी करारोपण या कर न लगने की जांच के लिए बिल ऑफ एंट्री (आयात विपत्र) / शिपिंग बिल (निर्यात विपत्र) की जांच करना। संव्यवहार आधारित लेखापरीक्षा में आम तौर पर लेखापरीक्षक को परिसर का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो इसमें क्षेत्रीय लेखापरीक्षा भी की जा सकती है। वि.व. 23 के दौरान, संव्यवहार आधारित लेखापरीक्षा में कुल 5,43,916 बीई के लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई गई थी। लेखापरीक्षा 8,67,669 बीई के लिए की गई, जो कि नियोजित लेखापरीक्षा से अधिक थी क्योंकि इसमें पिछले वर्ष के कुछ बीई सम्मिलित थे। महानिदेशक

(लेखापरीक्षा**)** ने ₹799.50 करोड़ की शुल्क चोरी का पता लगाया**,** जिसमें से ₹146.39 करोड़ का शुल्क वसूल किया गया था।

1.12.4 परिसर आधारित लेखापरीक्षा (पीबीए) का अर्थ है कि आयातकों एवं निर्यातकों के परिसर में सीमा शुल्क के कानूनी अनुपालन एवं सही मूल्यांकन का सत्यापन किया जाएगा। परिसर आधारित लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षितियों की पहचान जोखिम मापदंडों के आधार पर की जाएगी। अधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) स्तर[3] -1/स्तर **-2 /** स्तर -3 के लिए क्रमशः दो**/**तीन**/**पांच साल में एक बार परिसर आधारित लेखापरीक्षा आयोजित किया जाएगा। वि.व. 23 के दौरान**,** लेखापरीक्षा के लिए नियोजित 174 इकाइयों के मुकाबले**,** 176 इकाइयों की वास्तव में लेखापरीक्षा की गई**,** क्योंकि इसमें पिछले वर्ष की कुछ इकाइयां सम्मिलित थीं। परिसर आधारित लेखापरीक्षा के दौरान महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा ₹274.91 करोड़ की शुल्क चोरी का पता लगाया गया जिसमें से ₹64.54 करोड़ का शुल्क वसूल किया गया था।

1.12.5 प्रधान सीसीए, सीबीआईसी एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के भुगतानों एवं खातों का आंतरिक लेखा-परीक्षण करता है। सीबीआईसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वि.व. 23 के दौरान प्रधान सीसीए द्वारा ₹42,669 करोड़[4] की राशि की 115 लेखापरीक्षा अभ्युक्तिया इंगित की गई जो दिनांक 31 मार्च 2023 तक लंबित थीं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं थी**:**

1) महंगे भंडार/सरकारी धन का हिसाब ना रखना - ₹11.28 करोड़ (02 मामले);
2) सरकारी ई-बाज़ार में सरकारी राजस्व का अवरोधन - ₹211.19 करोड़ (23 मामले);
3) अधिक भुगतान/अनियमित व्यय/अनियमित खरीद/टीए-एलटीसी अग्रिम- ₹2.31 करोड़ (45 मामले);
4) अन्य अनियमितताएं[5]: विशेष प्रकृति की कोई अन्य मदें - ₹42,654 करोड़ (45 मामले);

वि.व. 23 में लंबित अनियमितताओं की राशि (₹42,669 करोड़) में वि.व. 22 (₹2,80,353 करोड़) की तुलना में कमी का रुझान रहा।

---

[3]अधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) श्रेणी

[4]वि.व. 23 के लिए वित्त मंत्रालय का पत्र क्रमांक आईए/एनजेड/मुख्यालय/सीएजी/ सूचना/2023-24/179 दिनांक 18.02.2025

[5] इस राशि में न्यायनिर्णयन के आंकड़े भी शामिल हैं, जिन्हें बकाया वसूली के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अधिनिर्णयन विभाग और करदाताओं के बीच एक नियमित आवर्ती प्रक्रिया है।

प्रधान सीसीए ने कहा (फरवरी 2025) कि इन बकाया आंकड़ों में सम्मिलित हैं; (i) अधिनिर्णयन मामले एवं (ii) सरकारी ई-बाज़ार (जीईएम) में सरकारी राजस्व को अवरुद्धोन, जिन्हें बकाया वसूली के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

उत्तर में अनियमितताओं की रिपोर्ट करने से पहले वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

1.13 कर चोरी एवं जब्ती

1.13.1 वि.व. 23 के दौरान डीआरआई द्वारा पता लगाए गए कर-चोरी के मामलों के संबंध में डीआरआई/सीबीआईसी-वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी (फरवरी/मार्च 2025) के अनुसार, शुल्क चोरी के मामलों की संख्या वि.व. 19 में 752 से घटकर वि.व. 23 में 582 हो गई, एवं इसी अवधि के दौरान मूल्य भी ₹6,228 करोड़ से घटकर ₹4,256 करोड़ हो गया **(अनुलग्नक 2)**। हालाँकि, पता लगाए गए मामलों में की गई वसूली का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

1.13.2 वि.व. 23 के दौरान वित्त मंत्रालय के अनुसार जब्त की गई प्रमुख वस्तुएं (मूल्य के अनुसार) नशीले पदार्थ, सोना, सिगरेट, लाल चंदन, विदेशी मुद्रा, भारतीय मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वाहन/जहाज, हीरे/कीमती पत्थर, चांदी एवं अन्य हैं। डीआरआई द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों का मूल्य कुल ₹15,660 करोड़ में से ₹14,248 करोड़ (91.98 *प्रतिशत*) था।

1.14 मानव संसाधन

1.14.1 सीबीआईसी में सीमा शुल्क संरचनाओं के लिए सभी स्तरों पर मानव संसाधन का कैडर-वार युक्तिकरण/पुनर्गठन अंतिम बार वर्ष 2017-18 में किया गया था। कुल मिलाकर 12,506 सीमा शुल्क अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त थे (जनवरी 2023 तक)। ये रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों (26,681) का 47 *प्रतिशत* थे। मंत्रालय रिक्तियों को न भरने के कारण बताए।

तालिका 1.14: सीबीआईसी में मानव संसाधन

की तारीख में	स्वीकृत पद			कुल	कार्यरत पद			कुल समूह
	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह क, ख एवं ग	समूह क	समूह ख	समूह ग	क, ख एवं ग
01.01.2022	1,280	16,811	8,588	**26,679**	814	9,530	3,791	**14,135**
01.07.2022	1,282	16,807	8,592	**26,681**	763	9,680	3,706	**14,149**
01.01.2023	1,162	16,807	8,592	**26,681**	683	9,918	3,508	**14,175**

की तारीख में	रिक्ति							
	समूह क	प्रतिशत	समूह ख	प्रतिशत	समूह ग	प्रतिशत	कुल समूह क, ख एवं ग	समग्र रूप से %
01.01.2022	466	36.41	7,281	43.31	4,797	55.86	12,544	47.02
01.07.2022	519	40.48	7,127	42.40	4,886	56.57	12,532	46.97
01.01.2023	479	41.22	6,889	40.99	5,084	59.17	12,506	46.87

स्रोतः वि. व. 23 के लिए महानिदेशालय (एचआरडी)-सीबीआईसी का दिनांक 05.03.2025 का पत्र

1.15 निष्कर्ष:

वि.व. 23 के लिए भारत के व्यापार आंकड़ों से पता चला है कि वि. व. 23 में आयात एवं निर्यात में वि.व. 22 की तुलना में क्रमशः 25.74 एवं 15.08 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है; हालांकि, वि.व. 23 के दौरान समग्र व्यापार के लिए व्यापार संतुलन पिछले चार वर्षों (वि.व. 19 से 22) की तुलना में और खराब हो गया है।

सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 27, 71, 85, 84 एवं 29 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का वि.व. 23 के दौरान भारत के कुल आयात में 68 *प्रतिशत* हिस्सा था। जबकि सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 27, 71, 85, 84 एवं 29 के अंतर्गत आने वाली पांच प्रमुख वस्तुओं का वि.व 23 के दौरान निर्यात की गई वस्तुओं में हिस्सा भारत के कुल निर्यात का 48 *प्रतिशत* था।

कुल 20 ज़ोनों {11 सीमा शुल्क ज़ोन एवं नौ संयुक्त (सीमा शुल्क एवं जीएसटी ज़ोन)} में से, 10 ज़ोनों में वि.व. 23 के दौरान लंबित कुल बकाया (₹55,583 करोड़) का 83.12 *प्रतिशत* (₹46,201 करोड़) का योगदान था। वि.व. 23 में सीमा शुल्क के बकाया की सबसे अधिक मात्रा अहमदाबाद के मुख्य सीमा शुल्क आयुक्तालय में थी, इसके बाद क्रमशः बेंगलुरु, मुंबई-II, दिल्ली सीमा शुल्क, मुंबई-I एवं मुंबई-III, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल-सीई एवं जीएसटी तथा दिल्ली निवारक ज़ोन का स्थान था।

विभाग ने सीमा शुल्क राजस्व बकाया वसूलने के लिए सीबीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किया था। वि.व. 23 में लक्ष्य में कमी (-)80.45 *प्रतिशत* थी। पिछले पांच वर्षों (वि.व. 19 से वि.व. 23) से सीमा शुल्क राजस्व बकाया वसूलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार कमी रही है।

विवाद रहित बकाए का अवधि-वार विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹13,612 करोड़ में से ₹3,526 करोड़ (25.90 *प्रतिशत*) पांच वर्षों से अधिक समय से वसूल नहीं हो पाए हैं। इनमें से ₹1,537 करोड़ की राशि की वसूली दस वर्षों से अधिक समय से लंबित है।

मंत्रालय अप्रत्यक्ष करों एवं सीमा शुल्क के बकाया की वसूली की प्रक्रिया में सुधार करे।

अध्याय -II

सीएजी का लेखापरीक्षा अधिदेश एवं लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी का अधिकार

2.1.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में यह प्रावधान है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ एवं राज्यों तथा किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन निर्धारित किए जा सकते हो। संसद ने वर्ष 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक डी.पी.सी. अधिनियम (सीएजी डी.पी.सी. अधिनियम) पारित किया।

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, सीएजी को भारत सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार तथा विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने तथा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अधिकृत करती है कि नियम एवं प्रक्रियाएं राजस्व के आकलन, संग्रहण एवं उचित आवंटन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं तथा उनका विधिवत पालन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम (संशोधन), 2020, प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

2.1.2 सीमा शुल्क राजस्व की अनुपालन लेखापरीक्षा में सीमा शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण, सीमा शुल्क के किसी अन्य आरोपण, एफटीपी के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए आयात एवं निर्यात के संव्यवहार एवं समय-समय पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए विशिष्ट अनुपालन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इस रिपोर्ट में सम्मिलित संव्यवहार वि.व. 23 से संबंधित हैं, लेकिन कुछ मामलों में समग्र चित्रण प्राप्त करने के लिए पूर्व अवधि के संव्यवहार की भी समीक्षा की गई है।

2.2 लेखापरीक्षा की सीमा

2.2.1 सीएजी सीबीआईसी के विभिन्न कार्यात्मक संरचनाओं के अभिलेखों की जांच करता है, जिन्हें लेखापरीक्षा दल (समग्र अखिल भारतीय डेटा के अभाव में) द्वारा जोखिम आधारित नमूने के आधार पर चुना जाता है, साथ ही आयात, निर्यात एवं धन-वापसी से संबंधित सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के संव्यवहार संबंधी अभिलेखों के नमूने की भी जांच करता है। सीएजी विभागीय कार्यों जैसे कि अधिनिर्णयन और बकाया की वसूली एवं निवारक कार्यों से संबंधित अभिलेखों की भी जांच करता है।

2.2.2 इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आयातकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त सीमा शुल्क छूट लाभों के संबंध में एमओसीआई के अंतर्गत डीजीएफटी के संबंधित आरए के अभिलेखों की जांच की जाती है। इसी प्रकार, सीएजी विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यातोन्मुखी इकाई एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों (एसटीपी) के विकास आयुक्तों (डीसी) की लेखापरीक्षा करता है, जिसमें केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र के लेखाओं का प्रमाणीकरण भी सम्मिलित है।

2.3 लेखापरीक्षा समष्टि

2.3.1 सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समष्टि में सीबीआईसी, इसकी सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाएं एवं पोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) से जुड़े, गैर-ईडीआई एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र) एवं उनके अंतर्गत निष्पादित संव्यवहार सम्मिलित हैं यानी बिल ऑफ एंट्री एवं शिपिंग बिल।

2.3.2 सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों को 11 सीमा शुल्क ज़ोनों एवं नौ संयुक्त {सीमा शुल्क एवं जीएसटी} ज़ोनों में विभाजित किया गया है, जिनमें 20 ज़ोनों में 70 प्रधान आयुक्त/आयुक्त हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक मुख्य आयुक्त करता है। दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक, 44 सीमा शुल्क कार्यकारी आयुक्तालय, 13 सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, नौ सीमा शुल्क अपील आयुक्तालय एवं चार सीमा शुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय थे।

2.3.3 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा इकाई में डीजीएफटी, उसके क्षेत्रीय प्राधिकरणों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यातोन्मुखी इकाई/एसटीपी के विकास आयुक्त सम्मिलित होते हैं। महानिदेशालय (विदेश व्यापार), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है एवं इसका प्रमुख महानिदेशक (डीजीएफटी) होता है। डीजीएफटी भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति तैयार करने एवं उसे लागू करने के लिए उत्तरदायी है। डीजीएफटी निर्यातकों को स्क्रिप्स/प्राधिकार जारी करता है तथा 25 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्वों की निगरानी करता है।

2.3.4 विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं निर्यातोन्मुखी इकाई के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का लेखापरीक्षण विशेष आर्थिक क्षेत्र/निर्यातोन्मुखी इकाई के संबंधित विकास आयुक्त के कार्यालयों में किया जाता है।

2.4 लेखापरीक्षिती आंकड़ों तक पहुंच

लेखापरीक्षा, सीमा शुल्क संव्यवहार के आंकड़ों पर निर्भर करती है ताकि यह आश्वासन मिल सके कि राजस्व की हानि को रोकने के लिए कानूनों को सही ढंग से लागू किया गया है। अखिल भारतीय आंकड़ों तक पूर्ण पहुंच का अभाव, लेखापरीक्षा जांच को विशिष्ट सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं में चयनित संव्यवहार की नमूना जांच तक सीमित करता है एवं राजस्व प्राप्तियों को प्रमाणित करने में सीमित आश्वासन देता है।

मार्च **2015** में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों के अनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा वि.व. **18** से वि.व. **23** की अवधि के लिए अखिल भारतीय आयात एवं निर्यात संव्यवहार डेटा (जून **2019**/जुलाई/सितंबर **2020/2022/2023)** मांगा गया था, जो बार-बार अनुरोध के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ। अखिल भारतीय लेन-देन संबंधी आंकड़ों के अभाव में, **70** आयुक्तालयों में से **39** का भौतिक रूप से दौरा करके तथा भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) के सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीआरए) मॉड्यूल एवं आयात सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (आईसीआरए) मॉड्यूल इंटरफेस का उपयोग करके लेखापरीक्षा की गई, जिनकी अपनी सीमाएं थीं।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच में प्राप्त परिणामों के आधार पर, जहां तक संभव हो सका, विभाग द्वारा सीआरए मॉड्यूल एवं आईसीआरए मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गई सीमित पहुंच के माध्यम से, जोखिम वाले कुल संव्यवहार की संख्या का परिमाणन किया है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो वि.व. 23 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा कुछ मामलों में वे है जो पिछले वर्ष के भी थे।

2.5 लेखापरीक्षा नमूना

वि.व. 23 के दौरान 70 में से 39 (56 *प्रतिशत*) आयुक्तालयों में संव्यवहार की नमूना जांच की गई। सीमा शुल्क आयुक्तालयों की लेखापरीक्षा में 44 कार्यकारी आयुक्तालयों में से 28, 13 निवारक आयुक्तालयों में से 10 तथा नौ अपील आयुक्तालयों में से एक को सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अपने क्षेत्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से विदेश व्यापार नीति की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए लाइसेंसों/प्राधिकारों की लेखापरीक्षा 25 क्षेत्रीय प्राधिकरणों में से 12 एवं नौ विकास आयुक्तों (डीसी) द्वारा की गई।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा समष्टि एवं नमूना

मंत्रालय	लेखापरीक्षित इकाई	लेखापरीक्षा समष्टि	लेखापरीक्षा नमूना
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीआईसी)	मुख्य आयुक्तालय सीमा शुल्क एवं निवारक	11	9
	प्रधान आयुक्तालय/आयुक्तालय	70	39
	कार्यकारी आयुक्तालय	44	28
	अनन्य निवारक आयुक्तालय	13	10
	अपील आयुक्तालय	9	01
	लेखापरीक्षा आयुक्तालय	4	शून्य
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग-डीजीएफटी)	क्षेत्रीय प्राधिकरण	25	12
	विकास आयुक्त	9	9

2.6 लेखापरीक्षा प्रयास

2.6.1 वि.व. 23 के दौरान, संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय प्राधिकरणों /विकास आयुक्तों को 203 निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गईं, जिनमें 1,894 अभ्युक्तियाँ सम्मिलित थीं एवं कुल ₹1,779 करोड़ का राजस्व निहित था।

2.6.2 लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण एवं उच्च मूल्य के मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पहले मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय/मंत्रालय) को टिप्पणियों के लिए भेजा गया। इस प्रतिवेदन में ₹747 करोड़ के राजस्व निहितार्थ से संबंधित 50 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं एवं इन्हें जनवरी 2025 से मई 2025 के दौरान दोनों मंत्रालयों को जारी किया गया।

2.6.3 मंत्रालयों/विभागों ने जारी की गई 50 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, 49 पर प्रतिक्रिया दी एवं 49 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णय के रूप में ₹21 करोड़ के धन मूल्य से संबंधित सुधारात्मक उपाय बताए गए एवं सीमा शुल्क के गलत मूल्यांकन के 39 मामलों में ₹14 करोड़ की वसूली की सूचना दी गई।

2.6.4 विदेश व्यापार नीति में भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) एवं भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) के लिए निर्यात प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। दो योजनाओं एमईआईएस एवं एसईआईएस के आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं कार्यान्वयन की

समीक्षा के लिए एक विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई एवं **अध्याय III** में **₹724.96 करोड़** के राजस्व निहितार्थ के साथ परिणामों को अभिलेखित किया गया।

इन योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा पहले ही आयोजित की गई थी एवं इसे सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5/2020 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया कि पिछली लेखापरीक्षा की सिफारिशों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है।

2.6.5 **अध्याय-IV में**, लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी के चयनित आयुक्तालयों एवं क्षेत्रीय प्राधिकरणों में बिल्स् ऑफ एंट्री/शिपिंग बिलों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण परिणामों को अभिलेखित किया, जिससे **₹22 करोड़** का राजस्व निहित था। लेखापरीक्षा परिणामों 'आयातों के गलत वर्गीकरण (पैराग्राफ 4.4.1 से 4.4.10)', 'आईजीएसटी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग (पैराग्राफ 4.5.1 से 4.5.4)', 'छूट अधिसूचनाओं का अनुचित अनुप्रयोग (पैराग्राफ 4.5.5 से 4.5.6)', 'निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न होना' (पैराग्राफ 4.6.1 से 4.6.3) एवं "अन्य अनियमितताएं (पैराग्राफ 4.7.1 से 4.7.3) से संबंधित थे। लेखापरीक्षा परिणामों में कुछ प्रणालीगत मुद्दे एवं अनियमितताएं निरंतर रूप से थीं।

(क) प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा ने कुछ आयात मामलों में प्रणालीगत मुद्दे देखे, जिनमें आरएमएस ने निर्धारित शुल्क दरों से कम दरों पर निकासी की अनुमति दी थी। आरएमएस को ऐसे मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि निर्धारित आयात शर्तों का अनुपालन किया जा सके तथा बिल ऑफ एंट्री की प्रणाली से गुजरने पर लागू शुल्क स्वतः ही वसूला जा सके।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है तथा प्रतिवेदन के अध्याय-IV में भी उन पर चर्चा की गई है।

(i) अंतर्दहन पिस्टन डीजल इंजन के आयात पर आईजीएसटी का अल्प अधिरोपण **(पैराग्राफ 4.5.1)**।

(ii) लोहा एवं इस्पात वस्तुओं के आयात पर आईजीएसटी दर के अनुचित अनुप्रयोग के कारण शुल्क का कम लगाया जाना **(पैराग्राफ 4.5.3)**।

(ख) अनियमितताओं में निरंतरता

आयातों के गलत वर्गीकरण एवं आयातों पर 'एंटी-डंपिंग शुल्क न लगाने/कम लगाने' के ऐसे ही मामलें पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मंत्रालय को चिह्नित किए गए थे, लेकिन सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों में इनको इंगित किया जाना जारी है, जबकि सीबीआईसी ने आश्वासन दिया है कि उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे मुद्दों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए जागरूक किया गया है। कुछ मामले नीचे उल्लिखित हैं:

(i) रेल सह सड़क वाहन का गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 4.4.3)**।

(ii) आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क न लगाना/कम लगाना **(पैराग्राफ 4.7)**।

2.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का राजस्व पर प्रभाव

वि.व. 19 से वि.व. 23 से संबंधित पांच प्रतिवेदनों में, लेखापरीक्षा ने 525 लेखापरीक्षा पैराग्राफों (**तालिका 2.2**) को शामिल किया है, जिसमें ₹12,716 करोड़ का राजस्व निहितार्थ सम्मिलित है। सरकार ने 494 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹364 करोड़ की राशि से संबंधित अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है एवं मई 2025 तक 357 पैराग्राफों में ₹229 करोड़ की राशि वसूल कर ली है।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का राजस्व पर प्रभाव

वर्ष	सम्मिलित पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ		प्रभावी वसूली	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वि.व. **19**	114	10,909	104	69	83	41
वि.व. **20**	137	143	130	127	93	40
वि.व. **21**	105	86	93	71	59	65
वि.व. **22**	119	831	118	76	83	69
वि.व. **23**	50	747	49	21	39	14
कुल	**525**	**12,716**	**494**	**364**	**357**	**229**

स्रोत: पिछले वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं 'की गई कार्रवाई टिप्पणी'

2.8 आभार

हम एसएससीए एवं नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन से संबंधित आवश्यक अभिलेखों एवं जानकारी प्रदान करके लेखापरीक्षा को सुगम बनाने में सीमा शुल्क विभाग, विकास आयुक्त-एसईज़ेड एवं डीजीएफटी के सहयोग के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

अध्याय III

भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)

3.1 परिचय

दिनांक 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई पांच वर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 ने 'मेक इन इंडिया' विजन के साथ देश में निर्यात बढ़ाने, रोजगार सृजन एवं मूल्य संवर्धन में वृद्धि के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। एफटीपी 2015-20 का केंद्र-बिंदू विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों, दोनों को समर्थन देना था, जिसमें 'व्यापार सुगमता' को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया था।

विदेश व्यापार नीति 2015-20 में पहले की ढेरों योजनाओं के स्थान पर, दो नई योजनाएं शुरू की गईं, जिनके नाम हैं निर्दिष्ट बाजारों में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए "भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस)" एवं अधिसूचित सेवाओं का निर्यात को बढ़ाने के लिए "भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)", जिनमें पात्रता एवं उपयोग के लिए अलग-अलग शर्तें हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत जारी किसी भी स्क्रिप पर कोई शर्त जुड़ी हुई नहीं होगी। एमईआईएस एवं एसईआईएस के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स एवं इन स्क्रिप्स के आधार पर आयातित माल पूरी तरह से हस्तांतरणीय हैं। एमईआईएस के अंतर्गत प्रतिफल प्रदान करने के लिए देशों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एमईआईएस के अंतर्गत प्रतिफल की दरें 2 *प्रतिशत* से 5 *प्रतिशत* तक हैं। एसईआईएस के अंतर्गत चयनित सेवाओं को 3 *प्रतिशत* एवं 5 *प्रतिशत* की दर से प्रतिफल दिया जाएगा।

3.1.1 एमईआईएस/एसईआईएस के लिए पात्र न होने वाले उत्पादों/क्षेत्रों की श्रेणी

(i) विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.06 के अनुसार, प्रारंभ में उत्पादों/क्षेत्रों की 19 श्रेणियां एमईआईएस के अंतर्गत पात्र नहीं थीं, एवं बाद में (दिसंबर 2017) इन्हें घटाकर सात श्रेणियां[6] तक कर दिया गया। निर्यात हेतु अपात्र श्रेणियों में वे प्रतिबन्धित उत्पाद सम्मिलित हैं, जिन पर निर्यात शुल्क लगता है या जो न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन हैं, जैसे अनाज, मानित निर्यात, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम

[6] एफटीपी (मध्यावधि समीक्षा रिपोर्ट) का पैरा 3.06

उत्पाद, हीरा, सोना, चांदी एवं प्लेटिनम, अन्य कीमती धातुएं, सभी प्रकार के अयस्क एवं सांद्रण आदि।

(ii) इसके अलावा, राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) नामक एक नई योजना की शुरुआत के बाद अध्याय 61, 62 एवं 63 के अंतर्गत परिधानों एवं मेड-अप[7] का निर्यात अनुचित है (7 मार्च 2019 से प्रभावी)।

सभी वस्तुओं के निर्यात के लिए एमईआईएस योजना को निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में छूट[8] (आरओडीटीईपी) नामक एक नई योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 19/2015-20 दिनांक 17 अगस्त 2021 के माध्यम से विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में संशोधन करते हुए 1 जनवरी 2020 से निर्यात के लिए प्रभावी है। हालाँकि, अधिसूचित तिथि से पहले किए गए निर्यातों के एमईआईएस दावों पर लागू विलंब शुल्क के साथ संसाधित किया जाना जारी रहा।

(iii) विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.09 के अनुसार, अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने के लिए अर्जित विदेशी मुद्रा के अलावा अन्य विदेशी मुद्रा प्राप्तियों को पात्रता के लिए नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा अर्जन के अन्य स्रोत जैसे इक्विटी या ऋण भागीदारी, दान, ऋणों के पुनर्भुगतान की प्राप्तियां आदि तथा विदेशी मुद्रा का कोई अन्य अंतर्वाह, जो सेवा प्रदान करने से संबंधित नहीं है, अपात्र होगा।

3.2 एमईआईएस/एसईआईएस योजनाओं का संचालन

(i) **विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)** जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है, निर्यात/आयात को बढ़ावा देने एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति तैयार करने एवं उसे लागू करने के लिए उत्तरदायी है। डीजीएफटी निर्यातकों को स्क्रिप्स/प्राधिकार भी जारी करता है तथा देश भर में फैले 25 क्षेत्रीय प्राधिकरणों के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्वों की

[7] मेड-अप आम तौर पर बुने हुए कपड़े से बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें कंबल और बिस्तर की चादरों जैसे कुछ उत्पादों के लिए सीले या क्रोशे हुए कपड़े भी सम्मिलित हो सकते हैं। डीजीएफटी पीएन. सं.58/2015-20; दिनांक 29-01-2020; डीजीएफटी पीएन. सं.83/2015-20; दिनांक 29-03-2019; सीबीआईसी परिपत्र संख्या 22/2021, दिनांक 30-09-2021

[8] डीजीएफटी अधिसूचना. 19/2015-20, दि. 17-08-2021; सीबीआईसी परिपत्र संख्या 23/2021, दिनांक 30-09-2021

निगरानी करता है, जिसकी स्थापना डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों के पुनर्गठन[9] के बाद की गई है।

(ii) **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी),** जो वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत भारत से होने वाले निर्यात/आयात पर सीमा शुल्क तथा अन्य अतिरिक्त शुल्कों/करों को लागू करने वाला शीर्ष निकाय है। देश में 20 सीमा शुल्क जोन हैं एवं इसके अंतर्गत निवारक, लेखापरीक्षा एवं अपील आयुक्तालयों सहित 70 सीमा शुल्क आयुक्तालय हैं।

(iii) **विकास आयुक्त-** अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड), जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, उन आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) के एमईआईएस/ एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण के लिए नोडल अधिकारी हैं, जिनकी विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयां हैं या जो 100 *प्रतिशत* निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के रूप में पंजीकृत हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के अंतर्गत 395 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित हैं, जिनमें से 275 कार्यात्मक हैं (दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक)। भारत सरकार के अधीन नौ विशेष आर्थिक क्षेत्र[10] हैं।

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य निम्नलिखित थे:

क) क्या 2020 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 5 (एमईआईएस/ एसईआईएस पर पीए) में की गई लेखापरीक्षा सिफारिशों को लागू किया गया है।

ख) क्या योजनाओं अर्थात एमईआईएस/एसईआईएस के नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया।

ग) क्या एमईआईएस/एसईआईएस योजना के कार्यान्वयन के दौरान राजस्व हानि, दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण उपाय पर्याप्त थे।

---

[9] ओ एंड एम निर्देश संख्या 05/2018, दिनांक 06-09-2018; व्यापार सूचना संख्या 31/2019-20, दिनांक 06-09-2019

[10] चेन्नई-तमिलनाडु, फाल्टा-कोलकाता, केएएसईजेड- गुजरात, कोच्चि-केरल, नोएडा- उत्तर प्रदेश, एसईईपीजेड-मुंबई, विशाखापत्तनम, इंदौर, मिहान-नागपुर

3.4 लेखापरीक्षा की सीमा, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं नमूना

3.4.1 लेखापरीक्षा की सीमा

एसएससीए में नवंबर 2018 से मार्च 2023 तक जारी एमईआईएस एवं एसईआईएस स्क्रिप्स एवं पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा-एआर संख्या 5/2020 के लेखापरीक्षा परिणामों, सिफारिशों एवं मंत्रालय की कार्रवाई नोट (एटीएन) के अनुसरण को शामिल किया गया, जिसमें अक्टूबर 2018 तक के संव्यवहारों को शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय प्राधिकरणों एवं एसईजेड के विकास आयुक्तों तथा वित्त मंत्रालय, सीबीआईसी, संबंधित सीमा शुल्क आयुक्तालय के माध्यम से सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के अभिलेखों की जांच की, जो एमईआईएस एवं एसईआईएस योजनाओं के नीतिगत ढांचे एवं क्रियान्वयन में लगे हुए हैं।

नीति निर्माण/परिवर्तन एवं योजना कार्यान्वयन फाइलें, एमआईएस रिपोर्ट, श्रमबल एवं मूल्यांकन/समीक्षा रिपोर्ट एवं मंत्रालय स्तर (डीओसी/डीजीएफटी/डीओआर) पर अन्य प्रासंगिक सामग्री की डीजीए (सीआर), नई दिल्ली (एफएओ) कार्यालय द्वारा जांच की गई।

3.4.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं नमूना

डीजीएफटी से प्राप्त अखिल भारतीय एमईआईएस डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि नवंबर 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान 25 क्षेत्रीय प्राधिकरणों (आरए) द्वारा ₹1,07,445 करोड़ (एमईआईएस ₹90,905 करोड़ एवं एसईआईएस ₹16,540 करोड़) मूल्य के 7,30,217 स्क्रिप्स (एमईआईएस-7,07,775 एवं एसईआईएस-22,442) जारी किए गए थे।

प्रचलित मैनुअल प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, इस लेखापरीक्षा के लिए 20 आरए एवं आठ डीसी कार्यालयों का एक नमूना चुना गया, ताकि आरए एवं डीसी कार्यालयों द्वारा की जाने वाली मैनुअल जांच का परीक्षण किया जा सके। इन 28 इकाइयों में 5,103 (4,294 एमईआईएस एवं 809 एसईआईएस) स्क्रिप्स शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1: चयनित नमूना

क्र. सं.	आरए/ एसईज़ेड का नाम	चयनित एमईआईएस स्क्रिप्स	चयनित एसईआईएस स्क्रिप्स
1	अहमदाबाद	150	20
2	वडोदरा	150	20

क्र. सं.	आरए/ एसईज़ेड का नाम	चयनित एमईआईएस स्क्रिप्स	चयनित एसईआईएस स्क्रिप्स
3	डीसी केएएसईज़ेड-कांडला	50	10
4	जयपुर	175	35
5	मुंबई	150	20
6	पुणे	150	20
7	डीसी एसईईपीज़ेड, मुंबई	50	10
8	चेन्नई	150	30
9	कोयंबटूर	150	30
10	डीसी एमईपीजेड-एसईज़ेड चेन्नई	50	20
11	कोचीन	186	42
12	कोचीन-एसईज़ेड	242	33
13	हैदराबाद	195	33
14	विशाखापत्तनम	150	48
15	डीसी विएसईज़ेड	60	14
16	बेंगलुरु	369	70
17	दिल्ली	350	63
18, 19, 20	इंदौर, भोपाल, एसईज़ेड-इंदौर	406	23
21	कोलकाता	150	224
22	गुवाहाटी	150	2
23	फाल्टा एसईज़ेड	50	3
24	लुधियाना	175	31
25	पानीपत	194	0
26	नोएडा एसईज़ेड	60	0
27	कानपुर	164	6
28	वाराणसी	168	2
	कुल	**4,294**	**809**

लेखापरीक्षा ने 19[11] सीमा शुल्क संरचनाओं का भी चयन किया, जहां से इन नमूना स्क्रिप्स से संबंधित निर्यात किए गए थे। अखिल भारतीय आंकड़ों पर किए गए डेटा विश्लेषण के परिणाम एवं चयनित इकाइयों एवं नमूना स्क्रिप्स में किए गए नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा परिणामों को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

इसके अलावा, जिन एमईआईएस एवं एसईआईएस स्क्रिप्स पर नियमित लेखापरीक्षा के दौरान कुछ अभ्युक्तियों बताई गई थीं, उन्हें भी चयनित नमूने के अतिरिक्त सम्मिलित किया गया है। अनुचित वर्गीकरण, अपात्र उत्पाद, लेट कट आदि जैसे मुद्दों के लिए एमईआईएस योजना में अतिरिक्त नमूनों को भी सम्मिलित किया गया था, जिनकी पहचान डीजीएफटी द्वारा उपलब्ध कराए गए एमईआईएस आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान की गई थी।

3.5 लेखापरीक्षा मानदंड एवं लेखापरीक्षा पद्धति:

3.5.1 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निर्धारित मैनुअल एवं नियमों, सरकारी अधिसूचनाओं, सार्वजनिक नोटिसों एवं परिपत्रों से लिए जाते हैं। मानदंड के लिए स्रोतों की एक उदाहरणात्मक सूची इस प्रकार है:

I. दिनांक 30-6-2015, 5-12-2017, 30-06-2019 एवं 31-03-2021 को अद्यतित एफटीपी 2015-20 ।

II. दिनांक 30-06-2015, 05-12-2017, 30-06-2019 एवं 31-03-2021 को अद्यतित प्रक्रियाओं की हैंडबुक (एचबीपी) 2015-20 एवं इसके परिशिष्ट एवं आयत निर्यात फॉर्म (एएनएफ) ।

III. डीजीएफटी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना/व्यापार सूचना/परिपत्र आदि।

IV. विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992

V. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975

VI. आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अधिनियम एवं नियम, 2017 (समय-समय पर संशोधित)।

VII. एमईआईएस एवं एसईआईएस पर सीबीआईसी की अधिसूचनाएं एवं परिपत्र।

---

[11] सीसी-मुंद्रा, आईसीडी-खोडियार, सीसी-जोधपुर-जयपुर, सीसी-जेएनसीएच और एसीसी मुंबई, सीसी (आयात-II)-चेन्नई, सीसी-तूतीकोरिन, सीसी-कोचीन, सीसी (निवारक)-कोचीन, सीसी-एसीसी-हैदराबाद, आईसीडी-सनथ नगर-हैदराबाद, आईसीडी-व्हाइटफील्ड-बेंगलुरु, सीसी-एसीसी-बेंगलुरु, सीसी-एसीसी-दिल्ली, आईसीडी-टीकेडी, सीसी-इंदौर, सीसी-कोलकाता, सीसी-एसीसी-कोलकाता, सीसी-लुधियाना

VIII. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999

IX. की गई कार्रवाई नोट एवं पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) रिपोर्ट संख्या 05/2020 की सिफारिशें।

3.5.2 लेखापरीक्षा पद्धति

सीएजी के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश (2017) एवं सीएजी लेखापरीक्षा विनियम (2020) के अनुसार एवं सीएजी डीपीसी अधिनियम, 1971 में निर्धारित सीमा के भीतर, यह विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा पद्धति में फाइलों की डेस्क समीक्षा, आंकड़ों का संग्रह एवं आंकड़ा विश्लेषण, स्क्रिप फाइलों की परीक्षण जांच, एमईआईएस एवं एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का लाभ उठाने वाले बिल ऑफ एंट्री (आयात) सम्मिलित थे।

3.6 पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020 की संख्या 5 में की गयी सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

वाणिज्य मंत्रालय को की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की कार्रवाई/स्थिति का पता लगाने के लिए, डीजीएफटी, नई दिल्ली से सिफारिशों पर की गई कार्रवाई नोट/उत्तरों के अभिलेख मांगे गए थे एवं इस संबंध में की गई मांगों के जवाब में उत्तर (जून/सितंबर 2023) प्रस्तुत किया गया था। डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा की गई सिफारिशों एवं इसके कार्यान्वयन पर की कार्रवाई/स्थिति **अनुलग्नक 3** में दी गई है।

कुल मिलाकर, 14 सिफारिशें अभिलेखित की गई थी जिनमें से दस सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, दो को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया एवं शेष दो को स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि, डीजीएफटी ने स्वीकृत/आंशिक रूप से स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की पर्याप्त निगरानी नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार अभ्युक्तियाँ जारी रहीं। प्रतिवेदन में आगे के पैराग्राफों में इन अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई है।

3.7 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा ने अखिल भारतीय विश्लेषण द्वारा एमईआईएस एवं एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शुरू किए गए सुविधा उपायों के कार्यान्वयन की जांच की। लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

i. एमईआईएस एवं एसईआईएस में प्रणालीगत मुद्दे **{पैरा 3.7.1 (ए) से 3.7.1 (के)}**

ii. एमईआईएस के साथ अनुपालन मुद्दे **{पैरा 3.7.2.1 (ए) से 3.7.2.1 (जी)}**

iii. एसईआईएस के साथ अनुपालन मुद्दे **{पैरा 3.7.3.1 (ए) से 3.7.3.1 (एम)}**

प्रणालीगत एवं अनुपालन मुद्दे वाली 39 अभ्युक्तियाँ इस रिपोर्ट में सम्मिलित हैं। रिपोर्ट का राजस्व प्रभाव **₹724.96 करोड़** है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश निम्नलिखित है:

तालिका 3.2: अभ्युक्तियों का सारांश

क्र.सं.	विषय	अभ्युक्तियों की संख्या	राशि (₹लाख में)
1	एमईआईएस/एसईआईएस में प्रणालीगत मुद्दे	14	18,585
2	एमईआईएस के साथ अनुपालन मुद्दे	12	13,221
3	एसईआईएस के साथ अनुपालन मुद्दे	13	40,690
		39	**72,496**

उद्देश्य: क्या योजना के नियमों एवं प्रक्रियाओं अर्थात एमईआईएस/एसईआईएस का अनुपालन किया गया था।

3.7.1 एमईआईएस एवं एसईआईएस में प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एमईआईएस एवं एसईआईएस लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का स्वचालन किया गया था, लेकिन प्रणाली संचालित जांच के अभाव में कुछ दोष एवं विधिमान्यकरण संबंधी कमियां थीं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता से प्रक्रियागत विलंब हुआ।

(ए) एमईआईएस स्क्रिप्स जारी करने में विलंब

डीजीएफटी ने एफटीपी 2015-20 के पैरा 1.09 के अंतर्गत अपने नागरिक चार्टर में ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-अनुसूची निर्धारित[12] की थी। स्क्रिप जारी करने के लिए प्रक्रियाओं की हैंडबुक (पैरा 9.10) आवेदनों के निपटान के लिए तीन दिन निर्धारित करती है। आवेदन में गलत वर्गीकरण या गलत घोषणा के किसी भी संदेह के मामले में, संबंधित आरएजांच के लिए भौतिक दस्तावेजों की मांग कर सकता है एवं दस्तावेजों की प्राप्ति पर, जांच के बाद सात दिनों[13] के भीतर दावा तय किया जाना है।

कुल 4,294 एमईआईएस स्क्रिप में से, 20 आरए में 1,656 एमईआईएस स्क्रिप (39 *प्रतिशत*) एवं सात डीसी-एसईजेड निर्धारित समय सीमा के बाद जारी किए गए थे, अर्थात

[12] दिनांक 4 जून 2015 की सार्वजनिक सूचना संख्या 16/2015-20 द्वारा

[13] जैसा कि एचबीपीवी1 के पैरा 3.01 में निर्दिष्ट है, जो दिनांक 5 दिसंबर 2017 से प्रभावी हुआ

आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन दिनों के बाद। एक दिन से 2,080 दिनों तक का विलंब था। ऐसे स्क्रिप्स का विवरण **अनुलग्नक 4** में नीचे दिया गया है एवं अवधि-वार विश्लेषण **तालिका 3.3** में दिखाया गया है।

तालिका-3.3: एमईआईएस स्क्रिप जारी करने में विलंब की सीमा

विलंब की सीमा	एमईआईएस स्क्रिप की संख्या			प्रतिशतता
	आरएमें	एसईज़ेड में	योग	
तीन महीने से कम	152	49	201	12.14
तीन से छः महीने	279	79	358	21.62
छः से 12 महीने	285	63	348	21.01
12 महीने से अधिक	697	52	749	45.23
कुल योग	**1,413**	**243**	**1,656**	**100.00**

उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है कि जारी किए गए कुल 1,656 स्क्रिपों में से, आरए द्वारा जारी 1,413 स्क्रिपों (85 *प्रतिशत*) एवं एसईजेड में जारी 243 स्क्रिपों में विलंब हुआ। 749 स्क्रिपों (45 *प्रतिशत*) में 12 महीने से अधिक का विलंब था एवं शेष 907 स्क्रिपों (55 *प्रतिशत*) को जारी करने में एक दिन से 12 महीने का विलंब हुआ था।

यद्यपि एक प्रणाली संचालित अनुमोदन तंत्र कार्यान्वित किया गया था, तथापि यह जांच औपचारिक रूप से नहीं की गई एवं प्रणाली संचालित जांच लागू नहीं होने के कारण मानवीय रूप से जांच की जा रही थी। मानवीय हस्तक्षेप/प्रक्रिया के अतिरिक्त, विलंब के अन्य कारण यदि कोई हो, अभिलेख में नहीं थे।

विभिन्न नमूना आरए से निम्नलिखित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई

आरए कोयंबटूर ने आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया एवं कहा (सितंबर 2023) कि स्क्रिप पूर्ववर्ती विरासत प्रणाली में जारी किए गए थे, जो अब चालू नहीं थी एवं पूर्ववर्ती पोर्टल तक पहुंच के अभाव में, विलंब के कारणों की जांच करना संभव नहीं था। तदनुसार, पूर्ववर्ती प्रणाली के अभाव में, आरए कार्यालय ने मान लिया कि कमी पत्र जारी करने एवं दोषों के सुधार के बाद स्क्रिप जारी किए गए होंगे।

विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के स्वीकार्य नहीं थे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

आरए, चेन्नई (जनवरी 2024) ने कहा कि, कर्मचारियों की कमी के कारण, विलंब हो सकता है क्योंकि एमईआईएस आवेदन को संसाधित करने के लिए बहुत अधिक दस्तावेज सत्यापित करने की आवश्यकता थी। इन्होनें बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित किए थे।

लेखापरीक्षा का विचार है कि लिगेसी एमईआईएस स्क्रिप डेटा के अ-प्रवासन के कारण, इस तक पहुँच न होने से निर्यातकों को ड्युटी क्रेडिट में विलंब हुआ एवं इसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में निर्यात लाभ का नुकसान भी हो सकता है।

(बी) एसईआईएस स्क्रिप जारी करने में विलंब

18 आरए एवं चार डीसी - एसईजेड से संबंधित 809 चयनित एसईआईएस स्क्रिप में से 357 एसईआईएस स्क्रिप (44.13 *प्रतिशत*) निर्धारित समय सीमा के बाद जारी किए गए थे, जैसे कि आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन दिनों के बाद। एक दिन से 947 दिनों तक का विलंब था। ऐसे स्क्रिप का विवरण निम्नलिखित है (**अनुलग्नक 5**) एवं अवधि-वार विश्लेषण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: एसईआईएस स्क्रिप जारी करने में विलंब

विलंब की सीमा	एसईआईएस स्क्रिप की संख्या			प्रतिशतता
	आरए में	एसईज़ेड में	योग	
तीन महीने से कम	241	15	256	71.71
तीन से छः महीने	32	10	42	11.76
छः से 12 महीने	21	11	32	8.96
12 महीने से अधिक	20	7	27	7.56
कुल योग	**314**	**43**	**357**	**100.00**

उपर्युक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि विलंब से जारी किए गए 357 स्क्रिपों में से, 92 *प्रतिशत* (330 मामलों) में, 1 दिन से 12 महीने तक का विलंब एवं 8 *प्रतिशत* मामलों (27 मामलों) में 12 महीने से अधिक का विलंब था।

आरए , कोलकाता में, मैसर्स 'ए' रेस्तरां लिमिटेड के मामले में 947 दिनों का अत्यधिक विलंब हुआ। ₹19.12 लाख के एसईआईएस स्क्रिप जारी करने के लिए दिनांक 28 मार्च 2017 को एक आवेदन दायर किया गया था एवं दिनांक 5 अप्रैल 2018 को सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन एसईआईएस स्क्रिप दिनांक 10 नवंबर 2020 को

जारी किया गया था। इसे दिसंबर 2023 में इंगित गया था, विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (मई 2025)।

स्वचालन के बावजूद, एमईआईएस/एसईआईएस दावों के प्रसंस्करण में विलंब की प्रतिशतता महत्वपूर्ण थी, जो दर्शाती है कि नागरिक चार्टर में निर्धारित समय अनुसूची का निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया गया था, जिसने काम-काज को सरल बनाने हेतु स्वचालन के उद्देश्य को विफल कर दिया था।

आरए , चेन्नई (जनवरी 2024) ने कहा कि विलंब कर्मचारियों की कमी के कारण हो सकता है क्योंकि एसईआईएस आवेदन को संसाधित करने के लिए भारी मात्रा में दस्तावेज सत्यापित करने की आवश्यकता थी। यह आगे कहा गया कि चूंकि लिगेसी डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए आरए विलंब का सही कारण प्रस्तुत करने में असमर्थ था।

(सी) अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में फर्मों को जारी एमईआईएस स्क्रिप

एफटीपी के पैरा 2.15 के अनुसार, यदि स्क्रिप धारक प्राधिकार की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है या मांग नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित मांग राशि जमा करने में विफल रहता है, तो वह एफटी (डी एंड आर) अधिनियम एवं एफटीपी के अंतर्गत बनाए गए नियम एवं आदेश एवं वर्तमान में लागू कोई अन्य कानून के अंतर्गत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) नियम, 1993 के नियम 7, में प्रावधान है कि जब स्क्रिप धारक को अस्वीकृत इकाई सूची पर रखा जाता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण स्क्रिप देने या नवीनीकृत करने से इनकार कर सकता है। डीजीएफटी ने एक डीईएल डेटा बना रखा था जिसमें स्क्रिप धारक का नाम एवं आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) था जो उन इकाइयों का विश्लेषण करता है जिन्हें कोई नई स्क्रिप प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए, ऐसी इकाइयों को एमईआईएस/एसईआईएस लाभ प्राप्त करने के लिए कोई एमईआईएस/ एसईआईएस स्क्रिप जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

12 आरए एवं चार डीसी-एसईजेड से संबंधित ₹9,123 लाख के ड्यूटी क्रेडिट से जुड़े 388 एमईआईएस स्क्रिप में आरए द्वारा उन तिथियों पर एमईआईएस स्क्रिप जारी किए गए थे जब फर्म डीईएल सूची में थे। इस प्रकार, विभाग ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए उपयुक्त प्रणालियां रहें, एवं आईईसी धारकों को डीईएल में होने के बावजूद स्क्रिप जारी करने पर विचार करने के लिए कोई उचित तर्क दर्ज नहीं किया गया था, जो प्रावधानों का उल्लंघन था **(अनुलग्नक 6)**।

इस मुद्दे को सितंबर से दिसंबर 2023 के दौरान इंगित गया था, विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (मई 2025)।

(डी) दंडित किए गए आईईसी धारकों के लिए जारी एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप

एमईआईएस एवं एसईआईएस योजनाओं के लिए एक आवेदक को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है कि उसका कोई भी मालिक/भागीदार/निदेशक किसी भी फर्म से जुड़ा नहीं था, जिसे डीजीएफटी ने चूककर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया है एवं ऐसे दंडित आईईसी धारकों को एमईआईएस स्क्रिप जारी करने से बचने के लिए छः महीने से अधिक लंबित अप्राप्त विदेशी मुद्रा का विवरण प्रस्तुत करता है (एचबीपी, वॉल्यूम I का पैरा 3.01 (बी))।

(i) पांच आरए ने एचबीपी के प्रावधानों के उल्लंघन में, दंडित आईईसी धारकों को ₹229.24 लाख के ड्यूटी क्रेडिट से जुड़े 38 एमईआईएस स्क्रिप जारी किए **(अनुलग्नक 7)।**

(ii) इसी तरह, आरए मुंबई में, आरए मुंबई द्वारा दंडित आईईसी धारक को ₹30 लाख के ड्यूटी क्रेडिट से जुड़े तीन एसईआईएस स्क्रिप जारी किए गए थे (फरवरी 2019, जनवरी/सितंबर 2020) **(अनुलग्नक 8)।**

दंडित आईईसी धारकों को अनियमित एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप जारी करने के कारण को विभाग द्वारा अवगत कराये जाने की प्रतीक्षा है (मई 2025)।

डीईएल/या दंडित इकाईयों को एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप जारी करना, अधिकारियों को लाइसेंस जारी करने से रोकने में डीजीएफटी प्रणाली में कमजोरियों को उजागर करता है, जो नियंत्रण तंत्र की कमी का संकेत देता है।

डीजीएफटी/एसईजेड प्रभावी निगरानी तंत्र को संस्थागत बनाने एवं डीईएल सूची या दंडित इकाईयों को स्क्रिप जारी करने को सक्रिय रूप से रोकने के लिए बेहतर पर्यवेक्षण करता है। किसी भी कारण को दर्ज किए बिना डीईएल/दंडित आईईसी धारक को अनियमित रूप से स्क्रिप जारी करने के लिए भूल/ चूक की जिम्मेदारी तय की जाए।

(ई) एमईआईएस स्क्रिप मूल्य एवं वास्तविक पात्रता के बीच विसंगतियां

एफटीपी के पैरा 3.04 के अनुसार, रिवार्ड की गणना का आधार निर्यात के वास्तविक एफओबी मूल्य पर या शिपिंग बिल्स् (एसबी) में दिए गए एफओबी मूल्य पर होगा, जो भी कम हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। कई शिपिंग बिल्स् वाले एमईआईएस स्क्रिप के अनुदान के लिए निर्यातक द्वारा किए गए आवेदन में, स्वचालित एमईआईएस मॉड्यूल के

आवेदन में प्रत्येक शिपिंग बिल्स् से रिवार्ड की वास्तविक पात्रता जोड़कर रिवार्ड की गणना करनी चाहिए। प्रोत्साहन स्क्रिप मूल्य ऐसे सभी रिवाड्र्स के योग के बराबर है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच आरए एवं तीन एसईजेड द्वारा जारी 13 स्क्रिपों में, जारी किया गया स्क्रिप मूल्य शिपिंग बिल्स् के अनुसार वास्तविक पात्रता से ₹33.12 लाख अधिक था **(अनुलग्नक 9)**। जारी किए गए अतिरिक्त स्क्रिप मूल्य को वसूल करने की आवश्यकता है।

यह विभाग को इंगित किया गया था एवं उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

वर्ष 2020 की निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) प्रतिवेदन संख्या 5 (पैरा 2 देखें) में इस मुद्दे पर प्रकाश डालने एवं की गई सिफारिशों के बावजूद, विसंगति को दूर करने के लिए प्रणाली को अद्यतित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को ₹33.12 लाख का अतिरिक्त रिवार्ड मिला है।

(एफ) आयातक निर्यातक कोड के साथ स्क्रिप धारक के बेमेल नाम

एफटीपी 2015-20 के पैरा 2.05 के अनुसार, आईईसी किसी भी निर्यात/आयात गतिविधि को करने के लिए अनिवार्य है। सेवा निर्यात के लिए, एफटीपी के अंतर्गत लाभ लेने वाले सेवा प्रदाता के लिए आईईसी आवश्यक था।

इसके अलावा, एचबीपी 2015-20 के पैरा 3.06 के अनुसार, आवेदकों के पास एमईआईएस एवं एसईआईएस के अंतर्गत आवेदन / आवेदन जमा करने के लिए आईईसी पर पृष्ठांकित कॉर्पोरेट कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय / शाखा कार्यालय के पते के आधार पर क्षेत्राधिकार आरए चुनने का विकल्प था, जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष की शुरुआत में किया जाना आवश्यक है। एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद, उस वर्ष से संबंधित दावों के लिए किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स पर स्क्रिप धारक के नाम के रूप में आईईसी धारक के नाम को पृष्ठांकित किया जाना आवश्यक था।

24 आईईसी धारकों **(अनुलग्नक 10)** को एक एसईजेड एवं पांच आरए द्वारा जारी ₹1,276.92 लाख के 90 एमईआईएस स्क्रिप में, संबंधित आईईसी में उल्लिखित नाम स्क्रिप के नाम से मेल नहीं खाता था। डीजीएफटी आईटी प्रणाली उन संस्थाओं को स्क्रिप जारी करने को रोकने में विफल रही, जिनका आईईसी का नाम आवेदक के नाम से अलग है, जिससे भविष्य में दंडात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का जोखिम है।

आरए पानीपत ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि ऑनलाइन अनुरोध करने के बाद उनकी आवश्यकता के अनुसार आईईसी धारक का नाम अपने आईईसी पर रखना विकल्प में सम्मिलित था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भविष्य की दंडात्मक कार्रवाई के लिए बुनियादी पहचानकर्ता एक आईईसी नंबर है एवं इसके मिलान न होने की स्थिति में, वसूली योग्य राजस्व, यदि कोई हो, को जोखिम में डालते हुए प्रणालीगत विनियमन का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, आईईसी धारक के पास विकल्प होने के संदर्भ में, उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था।

अन्य आरए से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(जी) एक से अधिक स्क्रिप में शिपिंग बिल्स् का प्रयोग

एक एकल शिपिंग बिल का प्रयोग केवल एक बार स्क्रिप सृजन करने के लिए किया जा सकता था, एवं इसलिए, प्रणाली को एक ही शिपिंग बिल को कई स्क्रिप उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाने से रोकना चाहिए।

चार आरए एवं एक एसईजेड से संबंधित 188 एसबी से जुड़े 46 एमईआईएस स्क्रिपों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि एक ही शिपिंग बिल का प्रयोग विभिन्न स्क्रिप जारी करने के लिए किया गया था। शिपिंग बिल का बार-बार प्रयोग तब भी हुआ जब ऐसे शिपिंग बिल से जुड़े स्क्रिप को या तो रद्द कर दिया गया था या विभिन्न कारणों से वापस सौंप दिया दिया गया था। रद्द किए गए स्क्रिप से संबंधित शिपिंग बिल्स् को डीजीएफटी रिपोजिटरी में फिर से सक्रिय किया गया, जिससे उन्हें निर्यातकों के लिए फिर से दावा करने के लिए उपलब्ध कराया गया।

इस तरह की रद्द/सौंपी की गई स्क्रिप को हटाने के बाद भी, ₹1.18 करोड़ के एमईआईएस रिवार्ड वाले 27 फाइलों (26 स्क्रिप) के 188 शिपिंग बिल में शिपिंग बिल का दोहरा प्रयोग देखा गया था (**अनुलग्नक 11**)। चूंकि दूसरी बार प्रयोग किए जा रहे शिपिंग बिल के बारे में प्रयोगकर्ताओं को सचेत करने के लिए कोई अंतर्निहित प्रणाली नहीं थी, इसलिए यह अनियमितता हुई है। यह आंतरिक नियंत्रण में कमजोरियों को उजागर करता है चूंकि यह बुनियादी जांच करने में विफल रहा, इस प्रकार दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी की गुंजाइश बनी रही।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(एच) दोहरे निर्यात का प्राप्त लाभ

(i) एमईआईएस एवं आरओएससीटीएल योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दोहरे निर्यात लाभ

एचबीपी 2015-20 का पैरा 4.95 को संशोधित करके आईटीसी एचएस 2017 के अध्याय 61, 62 एवं 63 के अंतर्गत आने वाले परिधानों एवं मेड अप [14] के निर्यात के लिए "राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्क की छूट (आरओएससीटीएल)" नामक एक नई योजना को अधिसूचित किया गया था (जनवरी 2020)। तदनुसार, नई योजना (पीएन सं. 58/2015-2020 दिनांक 29 जनवरी 2020) की शुरूआत के मद्देनजर दिनांक 7 मार्च 2019 से अध्याय 61, 62 एवं 63 के अंतर्गत वस्तुओं के निर्यात के लिए एमईआईएस लाभ वापस ले लिए गए थे। दिनांक 07.03.2019 से 31.12.2019 की बीच की अवधि में परिधान एवं मेड-अप से संबंधित निर्यातकों को भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त/अनुचित दावे को आरओएससीटीएल के सापेक्ष उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा एवं जहां भी देय होगा, वसूली की जाएगी {एचबीपी पैरा 3.01 (एल)}।

जांच में सामने आया कि 18 आरए एवं एक एसईजेड ने दिनांक 7 मार्च 2019 को या उसके बाद आईटीसी एचएस के अध्याय 61, 62 एवं 63 के अंतर्गत सम्मिलित परिधानों एवं मेड-अप के निर्यात के लिए 264 आईईसी धारकों को 656 एमईआईएस स्क्रिप (8,401 शिपिंग बिल) अनियमित रूप से जारी किए जो एमईआईएस लाभों के लिए अपात्र थे। एमईआईएस योजना के अंतर्गत लाभ का दावा करने वाले आईईसी धारकों को आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत ₹44.30 करोड़ की राशि के ड्यूटी क्रेडिट का दोहरा लाभ हुआ **(अनुलग्नक 12)**।

आरए कोयंबटूर ने कहा (दिसंबर 2023) कि सात आईईसी धारक के संबंध में जारी एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट को आरओएससीटीएल स्क्रिप के सापेक्ष पहले ही भुगतान किया गया/समायोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने सत्यापन के बाद सात आईईसी धारकों के मामले में विभाग के उत्तर को स्वीकार कर लिया। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा शेष 54 आईईसी धारकों के संबंध में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

आरए चेन्नई (जनवरी 2024) ने कहा कि डीजीएफटी ऑनलाइन प्रणाली ने अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन सहित प्रति शिपिंग बिल की पात्रता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पॉप्युलेट किया है एवं

[14] डीजीएफटी पीएन सं.58/2015-20; दिनांक 29-01-2020; डीजीएफटी पीएन सं. 83/2015-20; दिनांक 29-03-2019; सीबीआईसी परिपत्र संख्या 22/2021, दि. 30-09-2021

पहले से ही प्रदान की गई एमईआईएस को कम/समायोजित किया है। अंतिम पात्रता के प्रणाली-आधारित अनुमोदन के बाद ही, आरए द्वारा स्क्रिप जारी किए गए हैं।

बताए गए तथ्यों को, लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता था क्योंकि विभाग द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था कि पहले से ही प्रदान किए गए एमईआईएस को कम/समायोजित करने के बाद स्क्रिप जारी किए गए थे।

अन्य आरए से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(ii) आरओएससीटीएल के स्थान पर अनुमत एमईआईएस का लाभ

दो आरए एवं दो एसईजेड में, ₹996.05 लाख के लिए 88 एमईआईएस स्क्रिप **(अनुलग्नक 13)** को कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में 22 आईईसी धारकों को आरओएससीटीएल के बजाय अध्याय 61, 62 एवं 63 के अंतर्गत सम्मिलित की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए दिनांक 7 मार्च 2019 के बाद अनुचित तरीके से प्रदान किया गया था।

न तो प्रणाली निर्यातकों के दोहरे लाभों को रोकने में सक्षम थी एवं न ही लाइसेंसिंग अधिकारी अनियमित ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति देते हुए दिनांक 7 मार्च 2019 के बाद परिधान एवं मेड-अप क्षेत्र को एमईआईएस के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट के अनुदान को विनियमित करने में सक्षम था।

(आई) *'लेट कट' न लगाने/अनुचित तरीके से लगाने के कारण अत्यधिक एमईआईएस / एसईआईएस लाभ का जारी करना*

एचबीपी के पैरा 9.02 के साथ पठित एचबीपी 2015-20 के पैरा 3.15 के संदर्भ में, एमईआईएस / एसईआईएस के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का दावा करने वाले आवेदन शिपिंग बिल[15] के लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ) की तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर दायर किए जाएंगे या डीजीएफटी सर्वर पर ईडीआई पोर्टों के शिपिंग बिल अपलोड करने के तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, अन्यथा विलंब से आवेदन करने पर लेट कट शुल्क देय था। नियत तिथि के बाद यानि 12 महीने तक के विलंब लेकिन नियत तिथि से 2 साल के बाद नहीं, की अवधि के आधार पर प्राप्त आवेदनों पर 2 से 10 *प्रतिशत* के "लेट कट "के बाद विचार किया जा सकता था।

---

[15] सार्वजनिक सूचना 67/2015-20 दिनांक 31.03.2020 और सार्वजनिक सूचना 53/2015-20 दिनांक 09.04.2021।

(i) लेखापरीक्षा ने जारी किए गए चयनित 4,294 एमईआईएस स्क्रिप के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें पता चला कि प्रणाली ने 10 आरए एवं सात एसईजेड से संबंधित 2,846 शिपिंग बिलों में सम्मिलित 429 स्क्रिपों में "लेट कट शुल्क" अनुचित तरीके से लागू किया था, जिसके परिणामस्वरूप एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट की अतिरिक्त मंजूरी ₹120.91 लाख थी **(अनुलग्नक 14)** जो यह दर्शाता है कि प्रणाली को "लेट कट शुल्क" की सही गणना करने के लिए संरेखित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि:

- 2,548 शिपिंग बिलों में, जैसा भी मामला हो, दो *प्रतिशत*, पांच *प्रतिशत* या 10 *प्रतिशत* के "लेट कट" के मुकाबले "लेट कट" बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया था।
- 161 शिपिंग बिलों में, पांच *प्रतिशत* या 10 *प्रतिशत* के लागू "लेट कट" के मुकाबले दो *प्रतिशत* का "लेट कट" लागू किया गया था।
- 76 शिपिंग बिलों में, 10 *प्रतिशत* की लागू "लेट कट" के सापेक्ष में पांच *प्रतिशत* का "लेट कट" लागू किया गया था एवं 61 शिपिंग बिलों में, जैसा भी मामला हो, दो *प्रतिशत*, पांच *प्रतिशत* या 10 *प्रतिशत* लागू "लेट कट" के सापेक्ष में पांच *प्रतिशत* का "लेट कट" लागू किया गया था।

आरए, चेन्नई ने कहा (जनवरी 2024) कि ईडीआई शिपिंग बिलों के माध्यम से किए गए निर्यात पर प्रणाली संचालित प्रक्रिया के माध्यम से विचार किया गया था एवं आगे के स्पष्टीकरण के लिए डीजीएफटी मुख्यालय के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है। अन्य आरए से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

(ii) इसी तरह, लेखापरीक्षा ने आठ आरए के समक्ष दायर नौ एसईआईएस आवेदनों (106 एसईआईएस स्क्रिप) में "लेट कट "का अल्प/अनधिरोपण देखा, हालांकि उन्हें नियत तिथियों के बाद प्राप्त किया गया था। वसूली योग्य "लेट कट" ₹394.12 लाख था **(अनुलग्नक 15)**।

(जे) समय बाधित शिपिंग बिल्स् पर स्क्रिप का अनुचित अनुदान

14 आरए एवं चार एसईजेड द्वारा जारी 115 स्क्रिप, (656 शिपिंग बिल सम्मिलित) में, दो/पांच/दस *प्रतिशत* के "लेट कट" लगाने के बाद या कोई "लेट कट" लगाए बिना ड्यूटी क्रेडिट प्रदान किया गया था। लेकिन, शिपिंग बिलों के निर्यात निकासी आदेश (एलईओ) तिथि के सत्यापन पर, यह देखा गया कि आवेदन इस तरह की फाइलिंग के लिए निर्धारित (अधिकतम) समय सीमा की समाप्ति के बाद दायर किए गए थे एवं शिपिंग बिलों को

समय बाधित घोषित करने के बजाय, आरए ने ₹1,034.10 लाख के एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को अनियमित रूप से संस्वीकृति दी है **(अनुलग्नक 16)।**

इस प्रकार, समय बाधित शिपिंग बिल्स् के संबंध में रिवार्ड की मंजूरी ने ऑनलाइन प्रणाली में कमजोरी एवं सत्यापन नियंत्रण की कमी का संकेत दिया।

आरए, जयपुर में, ₹1.06 करोड़ के लिए मैसर्स 'बी' इंडस्ट्रीज लि. को एक एमईआईएस स्क्रिप जारी किया गया (नवंबर 2019), हालांकि एक शिपिंग बिल में दावे निर्धारित "लेट कट" अवधि (2018 तक) से तीन साल की समाप्ति के बाद दायर किए गए थे।

इसी तरह, आरए, दिल्ली में, ₹28.84 लाख के लिए मैसर्स 'सी' मेटेलेक्स एलएलपी को एक एमईआईएस स्क्रिप (नवंबर 2020) प्रदान किया गया था, जिसके लिए दावे निर्धारित कट ऑफ अवधि के तीन साल की समाप्ति के बाद दायर किए गए थे।

उत्तर में, आरए चेन्नई, ने कहा (जनवरी 2024) कि ईडीआई शिपिंग बिल्स् के माध्यम से किए गए निर्यात पर प्रणाली संचालित प्रक्रिया के माध्यम से विचार किया गया था एवं आगे के स्पष्टीकरण के लिए डीजीएफटी मुख्यालय के साथ इस मुद्दे को उठाया गया था।

आरए, दिल्ली ने कहा (अक्टूबर 2023) कि ₹1.12 लाख की राशि के एमईआईएस रिवार्ड का अतिरिक्त भुगतान एक एमईआईएस स्क्रिप में उचित ब्याज के साथ वसूल किया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

अन्य आरए/एसईजेड से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

पूर्व के निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) रिपोर्ट (पैरा 2.4) एवं इस संबंध में की गई सिफारिश के मुद्दे पर प्रकाश डालने के बावजूद, "लेट कट" के मुद्दे बने रहे। आईटी प्रणाली ऐसी अंकगणितीय अशुद्धियों एवं ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति को नहीं रोक सकी, जिससे एफटीपी एवं एचबीपी प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ एवं परिणामस्वरूप अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट ₹15.49 करोड़ दिया गया।

(के) जारी किए गए एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप के मूल्यों में विसंगति

डीजीएफ़टी (मुख्यालय) एवं 24 आरए का एक नेटवर्क भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से विदेश व्यापार नीतियों के निरूपण एवं कार्यान्वयन में सरकार का समर्थन करता है। सृजित आंकड़ों पर निर्मित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रशासन का उप-

उत्पाद है जो आधिकारिक आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण घटक है एवं संगठन के प्रबंधन निर्णयों का समर्थन करता है।

मांगे जाने पर (जून 2023), डीजीएफटी (मुख्यालय) ने वर्ष 2021-2022 एवं 2022-23 के दौरान जारी स्क्रिपों के मूल्य के बारे में सूचना प्रस्तुत की (जुलाई 2023)। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा प्रदान किए गए डेटा के आंकड़ों एवं निर्यात प्रोत्साहन योजना-2023 पर डीजीएफटी-एमआईएस रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण के बीच विसंगति का खुलासा किया, जैसा कि **तालिका 3.5** में वर्णित है।

तालिका 3.5: जारी किए गए स्क्रिपों की तुलना

वर्ष	डीजीएफटी (मुख्यालय) के पीसी-III द्वारा प्रस्तुत जारी किए गए स्क्रिपों का मूल्य	निर्यात पर डीजीएफटी एमआईएस में उल्लिखित जारी किए गए स्क्रिप का मूल्य	अंतर
	(₹ करोड़ में)		
एमईआईएस			
2021-2022	24,757.73	20,984.00	3,773.73
2022-2023	1,201.18	1,028.00	173.18
एसईआईएस			
2021-2022	4,033.54	2,299.00	1,734.54
2022-2023	2,610.35	2,455.00	155.35

स्रोत: विभाग के अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा विश्लेषण एवं अभ्युक्तियों का सारांश

इसके अलावा, जारी किए गए एमईआईएस स्क्रिप की संख्या एवं वर्ष 2021-22 के लिए उनके मूल्य के आंकड़ों के बीच विसंगति थी, जैसा कि वार्षिक प्रतिवेदन की तुलना में एमआईएस रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया है, **तालिका 3.6** में वर्णित है।

तालिका 3.6: जारी किए गए स्क्रिप की संख्या एवं मूल्य में अंतर

वर्ष	जारी किए गए एमईआईएस स्क्रिप की संख्या			स्क्रिप्स का मूल्य (₹ करोड़ में)		
	एमओसीआई वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार	एमआईएस प्रतिवेदन 2022 के अनुसार	अंतर	एमओसीआई वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार	एमआईएस प्रतिवेदन 2022 के अनुसार	अंतर
2021-22	1,86,004	1,86,040	36	20,976	20,984	08

स्रोत: विभागीय अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा विश्लेषण एवं अभ्युक्तियों का सारांश

अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है एवं वित्तीय आंकड़ों की सटीकता एवं विश्वसनीयता एवं प्रभाव मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है। तदनुसार, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की अवधि के लिए एमईआईएस एवं एसईआईएस योजनाओं के संबंध में जारी स्क्रिप के वास्तविक मूल्य का पता लगाने में लेखापरीक्षा सक्षम नहीं है।

जनवरी 2024 में डीजीएफ़टी (मुख्यालय) को इसकी सूचना दे दी गयी थी, उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025) ।

3.7.2 एमईआईएस के अनुपालन मुद्दे

(ए) भारतीय रुपए में निर्यात आय की प्राप्ति पर एमईआईएस प्रोत्साहन का अनुचित अनुदान

विदेश व्यापार नीति 2015-20 में परिकल्पित (पैरा 2.52) "निर्यात संविदाओं का मूल्यवर्ग" जिसके अंतर्गत सभी निर्यात संविदाओं एवं बीजकों को या तो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित किया जाना था, लेकिन निर्यात आय को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल किया जाना था। यह निर्दिष्ट किया गया था कि प्राप्ति, एशियाई क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) के सदस्य देशों या नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश में स्थित किसी नॉन-रेसिडेंट बैंक के स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय वोस्ट्रो खाते[16] के माध्यम से होनी चाहिए।

इसके अलावा, यदि ई-बीआरसी भारतीय रुपए में जारी किया गया था एवं भुगतान विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52 (बी) के अंतर्गत किया गया था, तो भुगतान वोस्ट्रो तंत्र {पैरा 3.01 (बी) प्रक्रियाओं की पुस्तिका} के माध्यम से प्राप्त किये जाने का पुष्टि पत्र संबंधित बैंक से संबंधित आरए को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

इन प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 5/2020 का पैरा 2.5) में उजागर किया गया था। यह कमी लगातार बनी रही।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्यात आय भारतीय रुपए में वसूल की गई थी, हालांकि, आरए के बैक ऑफिस (बीओ) पोर्टल के माध्यम से सत्यापित संबंधित भौतिक एमईआईएस फाइलों

[16] वोस्ट्रो खाता एक ऐसा खाता है जो एक स्थानीय बैंक स्थानीय मुद्रा में विदेशी बैंक के लिए रखता है। यह अनिवार्य रूप से एक कॉरेस्पॉंडेंट बैंकिंग व्यवस्था है जहां एक बैंक अपनी मुद्रा में विदेशी बैंक के धन के लिए एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

में संबंधित बैंक से अपेक्षित पत्र उपलब्ध नहीं था, जिसमें पुष्टि की गई थी कि भुगतान वोस्ट्रो तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

एसीयू देशों से भारतीय रुपए में प्राप्तियों की विस्तृत जांच से पता चला कि बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान (एसीयू देश) से भारतीय रुपए में ₹ 23.47 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी एवं निर्धारित प्रावधानों के सापेक्ष तीन आरए द्वारा आठ स्क्रिप को सम्मिलित करते हुए 27 शिपिंग बिलों {बेंगलुरु -17 बीई/5 स्क्रिप, कोलकाता -9 बीई/2 स्क्रिप एवं पुणे -01 बीई/01 स्क्रिप} के सापेक्ष ₹17.97 लाख का रिवार्ड दिया गया था। (**अनुलग्नक 17**)।

तदनुसार, आरए के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि निर्यात आय भारतीय रुपए में वोस्ट्रो खातों के माध्यम से प्राप्त की गई थी एवं न ही आरए ने निर्यातकों से किसी घोषणा के लिए जोर दिया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(बी) अपात्र उत्पादों एवं श्रेणियों को एमईआईएस स्क्रिप प्रदान करना

भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली) {आईटीसी (एचएस)} में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अंतर्गत निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध वस्तुएं, एवं निर्यात उत्पाद जो न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) या निर्यात शुल्क के अधीन हैं, एमईआईएस के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पात्रता के लिए अपात्र थे (एफटीपी का पैरा 3.06)। इसके अलावा, योजना के परिशिष्ट 3बी में असम्मिलित वस्तुएं भी एमईआईएस लाभों के लिए अपात्र थीं।

कुल मिलाकर, 132 एमईआईएस स्क्रिप प्याज, दुग्ध उत्पाद, भारतीय मैकेरल (एक मछली), पैलेट फॉर्म में मैरीगोल्ड एवं प्लांट एक्सट्रैक्ट आदि जैसे अपात्र उत्पादों को दिए गए थे, जो या तो एमईपी के अंतर्गत थे या एमईआईएस प्रोत्साहन से हटा दिए गए थे या निषिद्ध श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹243.09 लाख मूल्य वाले स्क्रिप को अनुचित तरीके से संस्वीकृति दी गयी **(अनुलग्नक 18)**।

आगामी पैराग्राफों में इन मामलों पर चर्चा की गई है:

(i) पैलेट फॉर्म में मैरीगोल्ड खाद्य के निर्यात पर अपात्र एमईआईएस रिवाड्र्स की संस्वीकृति।

सीएसईज़ेड-कोच्चि ने पैलेट में अपात्र मैरीगोल्ड खाद्य के निर्यात के लिए अनुचित तरीके से ₹1.17 करोड़ के ड्यूटी क्रेडिट के साथ पांच एमईआईएस स्क्रिप प्रदान किए, जिसे एमईआईएस के परिशिष्ट 3बी में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(ii) दुग्ध उत्पादों के निर्यात पर अपात्र एमईआईएस रिवाड्र्स की संस्वीकृति।

दिनांक 05 दिसंबर 2017 से दिनांक 12 जुलाई 2018 की अवधि के दौरान निर्यात किए गए "दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद" एमईआईएस रिवार्ड के लिए अपात्र हैं (पब्लिक नोटिस (पीएन) सं. 44/2015-2020, दिनांक 5 दिसंबर 2017, पीएन सं. 23/2015-2020 दिनांक 13 जुलाई 2018 के साथ पठित)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो आरए (आरए चेन्नई एवं आरए कोयंबटूर) ने एमईआईएस लाभों के लिए अपात्र अवधि के दौरान "दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों" के निर्यात के लिए नौ निर्यातकों को ₹17.66 लाख के ड्यूटी क्रेडिट से जुड़े 54 शिपिंग बिलों के सापेक्ष 15 एमईआईएस स्क्रिप प्रदान किए थे।

इसे इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), आरए कोयंबटूर ने कहा (नवंबर 2023) कि शिपिंग बिलों की लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ) तिथि 11 नवंबर 2017 से आगे थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा आंकड़ों की फिर से जांच करने पर, यह पुष्टि की गई थी कि शिपिंग बिलों के संबंध में एलईओ की तिथि 5 दिसंबर 2017 से 12 जुलाई 2018 की अपात्र अवधि के दौरान आती है एवं इसलिए उक्त माल के निर्यात के लिए एमईआईएस स्क्रिप का अनुदान अनुचित था।

आरए, चेन्नई ने कहा (जनवरी 2024) कि दुग्ध उत्पादों को अपात्र नहीं बनाया गया था, बल्कि अवधि के दौरान प्रचलित दरों पर जारी रहा एवं केवल उन उत्पादों का उल्लेख संदर्भित पीएन में किया गया था जिनके लिए पात्र दर संशोधित की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीएन 44 (तालिका 3, परिशिष्ट 3बी) ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया था कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्यात एमईआईएस लाभों के लिए अपात्र है।

(iii) एमईपी के अंतर्गत प्याज के निर्यात के लिए अपात्र एमईआईएस रिवार्ड की संस्वीकृति

आईटीसीएचएस कोड 07031010 के अंतर्गत प्याज के निर्यात पर एमईआईएस लाभ को तत्काल प्रभाव से पीएन 9/2015-20 दिनांक 11 जून 2019 द्वारा वापस ले लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दिनांक 11 जून 2019 से एमईआईएस लाभों को वापस लेने के बावजूद, आरए-चेन्नई ने निकासी अवधि के दौरान 72 शिपिंग बिल्स् के सापेक्ष प्याज के निर्यात के लिए 22 निर्यातकों को 27 एमईआईएस स्क्रिप दिये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 32.63 लाख के ड्यूटी क्रेडिट से जुड़े एमईआईएस स्क्रिप का अनुचित अनुदान हुआ।

(iv) एमईआईएस सूची से हटाई गई वस्तुओं के लिए अपात्र एमईआईएस रिवार्ड की संस्वीकृति।

डीजीएफटी पीएन संख्या 12/2015-20, दिनांक 10 जुलाई 2020 एवं पीएन 17/2015-20, दिनांक 22 सितंबर 2020 द्वारा संशोधित परिशिष्ट 3बी के परिणामस्वरूप एमईआईएस लाभ कुछ वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं थे क्योंकि उन्हें दिनांक 1 जनवरी 2020 से किए गए निर्यात के लिए हटा दिया गया था एवं ये आईटीसी (एचएस) कोड दिनांक 1 जनवरी 2020 से मौजूद नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरए चेन्नई ने, परिशिष्ट 3बी से हटाये हुये आईटीसी (एचएस) कोड की वस्तुओं के निर्यात के लिए, 15 निर्यातकों को 237 शिपिंग बिल वाले 24 एमईआईएस स्क्रिप प्रदान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹23.30 लाख के अनुचित एमईआईएस रिवार्ड प्रदान किये गये थे।

(v) भारतीय मैकेरल (मछली) के अनुचित वर्गीकरण के कारण अपात्र एमईआईएस रिवार्ड की संस्वीकृति।

एमईआईएस लाभ केवल तभी दिया जा सकता था जब शिपिंग बिल में निर्यात मद का विवरण एमईआईएस सूची के परिशिष्ट 3बी में दिए गए विवरण से मेल खाता हो। आईटीसी एचएस कोड 03024900 एवं 03035900 के अंतर्गत वर्गीकृत भारतीय मैकेरल (एक मछली), दिनांक 1 जुलाई 2018 को या उसके बाद किए गए निर्यात के लिए सूचीबद्ध परिशिष्ट 3बी-एमईआईएस के क्र.सं. 8019 एवं 8020 के अंतर्गत 7 *प्रतिशत* पर एमईआईएस लाभ की पात्र थी। दिनांक 1 जनवरी 2020 से भारतीय मैकेरल (एक मछली) के निर्यात पर क्र. सं. 8020 के अंतर्गत एमईआईएस लाभ को वापस ले लिया गया था (पीएन 12/2015-20 दिनांक 10 जुलाई 2020)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरए चेन्नई में, भारतीय मैकेरल (एक मछली) को विभिन्न आईटीसीएचएस कोड अर्थात 03028990; 03035400; 03043900; 03024900; 03073990 03031900 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण तरीके तरह से वर्गीकृत किया गया था एवं एमईआईएस सूची क्रम 13, 26, 27, 40, 56 एवं 100 के अंतर्गत 62 एमईआईएस स्क्रिप प्रदान किए गए थे। उक्त आईटीसीएचएस कोड में भारतीय मैकेरल (मछली) के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं आती हैं। इसके परिणामस्वरूप 192 शिपिंग बिल्स् में 10 निर्यातकों को ₹52.83 लाख के ड्यूटी क्रेडिट से जुड़े एमईआईएस स्क्रिप का अनुचित अनुदान हुआ था।

प्याज एवं भारतीय मैकेरल (मछली) निर्यात के लिए अनुचित लाभ देने के मामलों में, आरए, चेन्नई ने (जनवरी 2024) कहा कि प्रदान किए गए अनुचित एमईआईएस रिवार्ड की वसूली के लिए मांग नोटिस जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी पीएन संख्या 12/2015-20 एवं पीएन 17/2015-20 के अंतर्गत अपात्र श्रेणियों के मामलों में आरए, चेन्नई ने (जनवरी 2024) कहा कि, निर्यात ईडीआई शिपिंग बिल्स् के माध्यम से किया गया था एवं प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया गया था। इसलिए, मामले को आगे स्पष्टीकरण के लिए डीजीएफटी मुख्यालय के साथ उठाया गया है।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

पूर्व की निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) रिपोर्ट (पैरा 2.10.3) एवं इस संबंध में की गई सिफारिश के मुद्दे पर प्रकाश डालने के बावजूद, डीजीएफटी की आईटी प्रणाली के एमईआईएस मॉड्यूल में कोई उचित सत्यापन नियंत्रण मौजूद नहीं है, जिसके कारण ₹243.09 लाख से जुड़े ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का अनियमित रिवार्ड दिया गया।

(सी) गलत वर्गीकरण के कारण एमईआईएस रिवॉर्ड का अत्यधिक अनुदान

एमईआईएस दावों के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण में प्रक्रियाओं को सरल बनाने, विलंब को कम करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डीजीएफटी ने पीएन संख्या 62/2015-2020 दिनांक 16 फरवरी 2018 के माध्यम से निर्देश दिया कि अनुलग्नक में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, अन्य सभी अधिसूचित वस्तुओं के लिए, आरए उत्पाद के मद विवरण के सत्यापन के बिना शिपिंग बिल में निर्दिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड के आधार पर ही एमईआईएस दावे के लिए आवेदनों को संसाधित करेगा।

लेखापरीक्षा में माल के वर्गीकरण की जांच से पता चला कि माल के गलत वर्गीकरण के कारण एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की उच्च दरों का दावा किया गया। निर्यात की अनुमति देते समय, एसबी, बीजक एवं पैकिंग सूची में दिए गए आइटम विवरण के संदर्भ में निर्यात किए गए माल के भारतीय व्यापार वर्गीकरण / सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (आईटीसी / एचएस) कोड की शुद्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीमा शुल्क विभाग की है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणाली ने निर्यातकों द्वारा दावा किए गए उच्च दरों की अनुमति दी, जिसमें नौ आरए एवं एक एसईज़ेड द्वारा ₹409.19 लाख की राशि के 178 एमईआईएस स्क्रिप्स जारी किए गए जिसमें निर्यात उत्पादों जैसे जिओलाइट खनिज, परीक्षण किट,

फार्मा ड्रग्स, निकाले गए मैरीगोल्ड ओलियोरेसिन एवं सिरेमिक टाइल्स आदि का गलत वर्गीकरण सम्मिलित था **(अनुलग्नक 19)**।

आरए, कोयम्बटूर ने बताया कि (दिसंबर 2023) एमईआईएस रिवॉर्ड का अतिरिक्त भुगतान ₹117.20 लाख के उचित ब्याज के साथ वसूल किया गया।

आरए, चेन्नई ने बताया (जनवरी 2024) कि, अतिरिक्त दिए गए ऋण की वसूली के लिए स्क्रिप धारकों को डिमांड नोटिस निर्गत किए गए थे।

अन्य आरए से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

पूर्व पीए (पैरा 2.10.2) में इस मुद्दे को उजागर करने तथा इस संबंध में की गई सिफारिश के बावजूद, विभाग ने दर अनुसूची का उल्लंघन करते हुए निर्यात वस्तुओं के सही वर्गीकरण की अनदेखी करते हुए ₹4.09 करोड़ के अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति दे दी।

(डी) उच्चतर प्रोत्साहन दर अपनाने के कारण एमईआईएस लाभ का अत्यधिक अनुदान

चयनित एमईआईएस स्क्रिप्स के डीजीएफटी डेटा विश्लेषण से पता चला कि 10 आरए एवं एक एसईजेड द्वारा जारी 187 एमईआईएस स्क्रिप्स में निर्यात उत्पादों के लिए रिवॉर्ड एमईआईएस अनुसूची के परिशिष्ट-3बी में निर्धारित दरों से अधिक दर पर अनुमत किया गया, जिसकी राशि ₹3,127.94 लाख थी **(अनुलग्नक 20)**।

इससे यह संकेत मिलता है कि प्रणाली निर्दिष्ट दरों के अनुसार रिवार्ड देने में विफल रही एवं एमईआईएस रिवार्ड के अत्यधिक अनुदान को रोकने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त इससे यह संकेत मिलता है कि प्रणाली को परिशिष्ट 3बी के साथ उचित रूप से प्रतिचित्रित नहीं किया गया है, जिसमें प्रत्येक उत्पाद को प्रदान की जाने वाले रिवार्ड दर सूचीबद्ध है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(ई) गैर-क्षेत्राधिकार प्राधिकरणों द्वारा एमईआईएस स्क्रिप का निर्गमन

आवेदक को एमईआईएस एवं एसईआईएस के अंतर्गत आवेदन/आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए अपने आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) पर अंकित कॉर्पोरेट कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय / शाखा कार्यालय[17] के पते के आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रीय प्राधिकरण का चयन करने का विकल्प होता है। यह विकल्प प्रत्येक

[17] एचबीपी आर.डब्ल्यू.डीजीएफटी पीएन 30/2015-20, दिनांक 26-08-2015 और पीएन 58/2015-20, दिनांक 10-02-2017 का पैरा 3.06

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अपनाया जाना आवश्यक है। एक बार जब विकल्प चुन लिया जाता है, तो उस वर्ष के संबंध में किए गए दावे के लिए उसमें कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं होती है (एचबीपी 2015-202 का पैरा 3.06)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पांच आरए एवं एक एसईजेड द्वारा जारी 343 एमईआईएस स्क्रिप्स, जिनमें ₹6,197.46 लाख का ड्यूटी क्रेडिट सम्मिलित था, में आईईसी धारकों ने प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्राधिकार मानदंडों का उल्लंघन किया एवं एक ही वित्तीय वर्ष में किए गए निर्यात के लिए विभिन्न आरए में एमईआईएस के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट के लिए आवेदन प्रस्तुत किए **(अनुलग्नक 21)**।

विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2025)।

(एफ) एसईजेड इकाइयों को क्षेत्राधिकार से बाहर लाभ का दावा करने वाली एमईआईएस स्क्रिप्स का अनुदान

आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) धारक जिनकी इकाइयां विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/ईओयू में हैं, उनको एफटीपी 2015-2020 (संशोधित एचबीपी 2015-20 के पैरा 3.6 एवं 3.08 के साथ पठित डीजीएफटी पीएन संख्या 30/2015-2020 दिनांक 26 अगस्त 2015) में प्रदान किए गए एमईआईएस एवं एसईआईएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए परिशिष्ट 1क में दिए गए एसईजेड के संबंधित डीसी को आवेदन करना होगा।

पांच आरए एवं दो एसईजेड द्वारा जारी 210 एमईआईएस स्क्रिप्स, जिनमें ₹3,228.27 लाख का ड्यूटी क्रेडिट सम्मिलित था, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये स्क्रिप्स एसईजेड/ईओयू के रूप में कार्य करने वाली इकाइयों को, आरए द्वारा, जहां वे पंजीकृत नहीं हैं, एफटीपी 2015-20 **(अनुलग्नक 22)** के प्रावधानों के उल्लंघन कर जारी किए गए थे। ये इकाइयां डीसी जैसे एमईपीजेड-चेन्नई, सीएसईजेड-कोच्चि, इंदौर-एसईजेड, केएसईजेड-कांडला, एनएसईजेड-नोएडा एवं विशाखापत्तनम के साथ पंजीकृत थीं।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

वर्ष 2020 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 के पैरा 2.7.2 में इस मुद्दे को उजागर किए जाने तथा इस संबंध में की गई सिफारिशों के बावजूद भी प्रणाली को क्षेत्राधिकार संबंधी मानदंडों के साथ यथोचित रूप से नहीं जोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹3,228.27 लाख के ड्यूटी क्रेडिट से संबंधित एमईआईएस स्क्रिप्स ऐसे अधिकारियों द्वारा जारी की गईं जिन्हें इस प्रकार के लाइसेंस जारी करने का अधिकार ही नहीं था।

(जी) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की कार्य पद्धति

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.19 में यह परिकल्पित किया गया था कि डीजीएफटी मुख्यालय यादृच्छिक आधार पर प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह जारी किए गए स्क्रिप्स में से 10 *प्रतिशत* स्क्रिप्स का जांच हेतु चयन करेगा, जो कि समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित आरए द्वारा की जाएगी। आरए, इसके अंतर्गत चयनित सभी मामलों में मूल दस्तावेजों की मांग कर सकता है ताकि उनका विस्तृत परीक्षण किया जा सके। यह आवेदकों की जिम्मेदारी होगी कि वे स्क्रिप्स जारी करने की तारीख से कम से कम तीन साल की अवधि के लिए या आरए द्वारा शुरू किए गए आरएमएस के अंतर्गत जांच पूरी होने तक, जो भी बाद में हो, ऐसे दस्तावेजों को बनाए रखें।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली में विद्यमान कमियों को पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5, के पैरा 3.9) में उजागर किया गया था। लेखापरीक्षा में यह सिफारिश की गई थी कि स्क्रिप्स जारी करने की स्वचालित प्रणाली में विद्यमान त्रुटियों एवं अपव्ययों को दूर करते हुए जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए।

चयनित मामलों के संबंध में पूछे जाने पर आरए ने बताया कि नवंबर 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा कोई भी मामला चयनित नहीं किया गया, क्योंकि इस अवधि में डीजीएफटी से कोई सूची प्राप्त नहीं हुई थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने केंद्रीकृत रूप से सभी स्थानों पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा चयनित मामलों का डेटा प्राप्त किया एवं यह पाया कि पांच आरए तथा दो एसईजेड में जांच हेतु जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा कुल 91 मामले चयनित किए गए थे **(अनुलग्नक 23)**। चयनित मामलों में ऐसे 9 मामले भी सम्मिलित थे जो जेडीजीएफटी गुवाहाटी से संबंधित थे, जिन्होंने यह कहा था कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा चयनित मामलों की सूची डीजीएफटी से प्राप्त नहीं हुई थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने दो मामलों (एडीजीएफटी – कोलकाता एवं फाल्टा एसईजेड जिनको इस प्रतिवेदन **के पैरा 3.7.1(एच)** में उजागर किया था) में कमियाँ पाई थीं, जहां शिपिंग बिल्स् के संबंध में एमईआईएस लाभ अनियमित रूप से प्रदान किए गए एवं /या वसूल नहीं किए गए, जिनके लिए लाभ आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत कवर किए गए थे, जिससे आरएमएस द्वारा चयनित मामलों की विभागीय समीक्षा में कमियों का संकेत मिलता है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा अन्य आरए द्वारा जारी किए गए स्क्रिप्स की जांच की स्थिति का पता नहीं लगा सकी क्योंकि लेखापरीक्षा को विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। विभाग को इस संबंध में बताया गया एवं उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मामलों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली की कमियां बनी रहीं, क्योंकि इसके जोखिम मानदंड पूर्ण नहीं थे एवं प्रणाली में कार्यप्रवाह प्रक्रिया में सत्यापन संबंधी ख़ामियां थीं।

3.7.3 एसईआईएस के साथ अनुपालन संबंधी समस्याएं

एसईआईएस एक प्रोत्साहन योजना थी, जो पात्र सेवा निर्यातकों के लिए विदेश व्यापार नीति (2015-20) के अंतर्गत लागू की गई थी। यह योजना पूर्ववर्ती भारत से सेवा योजना के स्थान पर लाई गई थी।

यह योजना शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन के आधार पर रिवार्ड प्रदान करती है तथा इसके अंतर्गत दो प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया गया था— **(i)** भारत से निर्यात की गई सेवाएँ तथा **(ii)** भारत में विदेशी उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाएँ।

एसईआईएस स्क्रिप्स का गलत अनुदान

(ए) एसईआईएस स्क्रिप्स का गलत अनुदान उन सेवाओं के लिए किया गया जो निर्दिष्ट नहीं थीं

भारत में स्थित अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एसईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड दिया जाएगा। केवल निम्नलिखित तरीके से प्रदान की गई सेवाएँ ही पात्र हैं:

मोड 1 – सीमा पार व्यापार (भारत से किसी अन्य देश को सेवा की आपूर्ति)।

मोड 2 – विदेश में उपभोग (जो वर्तमान में भारत में है, भारत से किसी अन्य देश के सेवा उपभोक्ता को सेवा की आपूर्ति)।

चयनित 809 एसईआईएस मामलों में से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच आरए एवं एक एसईजेड ने गलत तरीके से 294 स्क्रिप्स (31 फाइलें में) प्रदान की थीं, जिनमें **₹25,983.69 लाख {अनुलग्नक 24}** की ड्यूटी क्रेडिट सम्मिलित थी 'भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय एवं अन्य वैज्ञानिक पूर्वेक्षण सेवाएं (8341)', प्रतिभूति बाजार संबंधित सेवाएं (8132), बीमा एवं पेंशन निधि से जुड़ी सहायक सेवाएँ (814), वित्तीय मध्यस्थता के लिए सहायक अन्य सेवाएं

(8133) तथा विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए जारी की गई थीं, जो अधिसूचित सेवाओं की सूची में नहीं थीं।

यह तथ्य अक्टूबर 2023 में इंगित किया गया था; विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(बी) अयोग्य तरीके से प्रदान की गई सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स का गलत अनुदान (मोड-3 एवं मोड-4)

सेवा प्रदाता, जो किसी अन्य देश में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करते हैं **{ मोड -3 – एफटीपी के पैरा 9.51 (iii)},** या किसी अन्य देश में वास्तविक व्यक्तियों की उपस्थिति के माध्यम से भारत से सेवा की आपूर्ति करते हैं **(मोड -4 – पैरा 9.51 (iii) एफटीपी),** एसईआईएस के अंतर्गत रिवार्ड के पात्र नहीं हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात आरए ने मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मोड-3 एवं मोड-4 (**अनुलग्नक 25**) के अंतर्गत अयोग्य तरीके से प्रदान की गई सेवाओं के लिए 13 सेवा प्रदाताओं को 20 एसईआईएस दावों में ₹1,176.78 लाख का रिवार्ड प्रदान किया था।

20 एसईआईएस दावों से संबंधित संविदात्मक करारों, कार्यादेशों तथा बीजकों के विवरण की परीक्षण जांच में यह पाया गया कि सामग्री की आपूर्ति, निरीक्षण, परिवहन, निर्माण, स्थापना एवं परियोजनाओं की देखरेख का कार्य साइट पर किया गया। निर्यातकों के कर्मियों द्वारा लगातार विदेश यात्राएं करने, उनकी विदेश यात्रा, ठहरने के खर्च की वसूली से भी इसकी पुष्टि हुई, जिससे संकेत मिलता है कि सेवा की आपूर्ति का तरीका मोड-4 अर्थात् अन्य देश में वास्तविक व्यक्तियों की उपस्थिति के माध्यम से किया गया था।

आरए चेन्नई ने बताया (जनवरी 2024) कि मैसर्स 'डी' कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को तीन स्क्रिप्स के लिए ₹66.35 लाख का डिमांड नोटिस जारी किया गया था। शेष आरए से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(सी) सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) को प्रोत्साहनों का गलत अनुदान

आईटी/आईटीईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अधिकांश सेवाएं, जैसे कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य डेटाबेस सेवाएं, जो सीपीसी (केन्द्रीय उत्पाद वर्गीकरण) प्रावधान कोड 841 से 849 के अंतर्गत आती हैं, एसईआईएस के परिशिष्ट 3डी/3ई/3एक्स में निर्दिष्ट नहीं हैं, जिसमें इस प्रोत्साहन के लिए पात्र सेवाओं की सूची सम्मिलित है।

दो आरए ने सेवाओं के लिए गलत तरीके से 15 स्क्रिप्स दिए थे, जिनके सीपीसी कोड परिशिष्ट 3डी में सम्मिलित नहीं थे। ये सेवाएँ हैं {(i) प्रोविजनल सीपीसी कोड 842 के अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर विकास एवं (ii) "शोध एवं विकास" सॉफ्टवेयर डिजाइन तथा विकास सेवाएँ सीपीसी कोड 842} जिसमें कुल **₹2,539.55 लाख** का ड्यूटी क्रेडिट सम्मिलित है **(अनुलग्नक 26)**।

इसके परिणामस्वरूप एसईआईएस के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट का अनियमित अनुदान हुआ, इसे फरवरी 2024 में इंगित किया गया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(डी) गलत वर्गीकरण के कारण अपात्र सेवाओं के लिए जारी की गई एसईआईएस स्क्रिप्स

प्रदान की गई अधिसूचित सेवाओं के प्रतिपादन से प्राप्त अर्जित विदेशी मुद्रा प्राप्ति के अलावा अन्य विदेशी मुद्रा प्राप्ति को पात्रता के लिए नहीं गिना जाएगा एवं विदेशी मुद्रा आय का कोई अन्य प्रवाह जैसे इक्विटी या ऋण भागीदारी, दान, ऋण के भुगतान की रसीदें, रॉयल्टी आदि तथा अन्य कोई भी विदेशी मुद्रा का कोई अन्य प्रवाह, जो अधिसूचित सेवाओं के प्रतिपादन से संबंधित नहीं है, अपात्र होगा (एफटीपी के पैरा 3.09 के अनुसार)। यह स्पष्ट किया गया था (व्यापार सूचना संख्या 04/2018 दिनांक 25 अप्रैल 2018) कि केवल वे सेवा श्रेणियां जो एसईआईएस के अंतर्गत अधिसूचित हैं, वे एसईआईएस के अंतर्गत दावे के लिए मान्य होंगी।

वर्ष 2020 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में सिफारिश संख्या 10 के अनुसार, यह कहा गया था कि विभिन्न एजेंसियों (डीजीएफटी, आरबीआई, सीमा शुल्क आदि) द्वारा सेवाओं के वर्गीकरण को संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) के केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) कोड के अनुरूप होना चाहिए, ताकि सीपीसी कोड पर आधारित प्रोत्साहनों के किसी भी दुरुपयोग से बचा जा सके।

छः आरए एवं दो एसईजेड द्वारा 20 निर्यातकों को जारी किए गए 40 एसईआईएस स्क्रिप्स (28 फाइलें) में, जिनका मूल्य **₹4,870.31 लाख (अनुलग्नक 27)** है, जिसमें सेवा प्रदाताओं द्वारा समुद्री परिवहन सेवा {समुद्री परिवहन के लिए सहायता सेवा (745)}, भौतिक चीजें-दवा (9311), माल एवं यात्रा व्यय (8672), रॉयल्टी आदि के लिए निर्यात आय प्राप्त की गई थी, जो एफटीपी 2015-20 के परिशिष्ट में सूचीबद्ध नहीं हैं। हालांकि, प्रदान की गई सेवाओं को अस्वीकार्य एसईआईएस लाभों का दावा करने के लिए पात्र सेवाओं के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। आरए ड्यूटी क्रेडिट देने से पूर्व सेवाओं की पात्रता का पता लगाने में विफल रहे।

इसे (जनवरी 2024) इंगित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(ई) गलत स्व-घोषणाएं एवं सीए प्रमाण पत्र

प्रदान की गई पात्र सेवाओं के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के अनुदान के लिए आवेदन डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत वार्षिक आधार पर ऑनलाइन दायर किया जाएगा। संलग्न अनुलग्नक में दी गई जानकारी की उचित संवीक्षा के बाद सनदीलेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद दावा आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। किसी अन्य दस्तावेज के अभाव में, स्क्रिप के अनुदान के लिए आवेदक की स्व-घोषणा एवं सनदीलेखाकार प्रमाणपत्रों पर भरोसा किया जाता है (एचबीपी के पैरा 3.04 (बी) को पैरा 3.10 के साथ पठित)।

चार आरए द्वारा **₹332.99 लाख** के रिवॉर्ड से संबंधित नौ आवेदनों के विरुद्ध प्रदान किए गए नौ एसईआईएस स्क्रिप्स में, सीए द्वारा प्रमाणित दो अलग-अलग दस्तावेजों में अलग-अलग आय के कारण एसईआईएस रिवार्ड का अनियमित अनुदान देखा गया **(अनुलग्नक 28)**।

आरए कोयंबटूर ने बताया (दिसंबर 2023) कि, फर्म को सहायक दस्तावेजों के लिए पत्र भेजा गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)। अन्य आरएलए से उत्तर प्रतीक्षित है। (मई 2025)।

अस्पष्टता से बचने एवं पात्र सेवाओं पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए, पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 3.3 में सिफारिश की गई थी कि पात्र सेवाओं की सूची की केवल क्रम संख्या बताने के बजाय सीपीसी कोड एवं जिस मोड के अंतर्गत वह आती है, उसके साथ सेवा के सटीक/सही वर्गीकरण पर सीए प्रमाणपत्र के लिए जोर दिया जाए। अगर इस सिफारिश को लागू किया गया होता, तो गलत तरीके से दिए गए ₹349.03 करोड़ के ड्यूटी क्रेडिट के एसईआईएस लाभों को रोका जा सकता था (अनुलग्नक 24+ अनुलग्नक 25+ अनुलग्नक 26+ अनुलग्नक 27+ अनुलग्नक 28)।

(एफ) आरसीएमसी/आईईसी के बिना सेवा प्रदाताओं को एसईआईएस स्क्रिप्स का अनियमित जारी करना

एफटीपी के अंतर्गत किसी भी लाभ के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को रिवॉर्ड का दावा करने के लिए संबंधित निर्यात परिषदों से वैध पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है (एफटीपी का पैरा 2.56)। इसके अलावा, सेवा प्रदाता के पास सेवाएं प्रदान करने के समय एक सक्रिय आईईसी होना चाहिए जिसके लिए रिवॉर्ड का दावा किया गया (एफटीपी का पैरा 3.08 (एफ))।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार आरए ने सेवाएं प्रदान करने के समय आरसीएमसी की वैधता की पुष्टि किए बिना ₹2,949.41 लाख के ड्यूटी क्रेडिट वाले 16 स्क्रिप जारी किए **(अनुलग्नक 29)।** विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(जी) योजना की अधिसूचना से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के लिए जारी एसईआईएस स्क्रिप

एसईआईएस के अंतर्गत रिवॉर्ड अधिसूचना की तिथि यानी दिनांक 1 अप्रैल 2015 को या उसके बाद प्रदान की गई सेवाओं के लिए स्वीकार्य होंगे (एफटीपी का पैरा 3.12)। प्रदान की गई पात्र सेवाओं के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के अनुदान के लिए आवेदन वार्षिक आधार पर एक वित्तीय वर्ष के लिए ऑनलाइन किया जाएगा। एसईआईएस आवेदन करने की अंतिम तिथि दावा अवधि के प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंत से 12 माह होगी (एचबीपी 2015-20 का पैरा 3.15 (बी))।

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन आरए ने अप्रैल 2015 से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं अथवा उस वित्तीय वर्ष के अलावा अन्य किसी वर्ष में की गई सेवाओं के लिए अनियमित रूप से ₹133.12 लाख का रिवॉर्ड प्रदान किया, जिसके लिए दावा किया गया था **(अनुलग्नक 30 एवं 31)**।

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2023), आरए चेन्नई ने बताया (जनवरी 2024) कि आपत्ति की गई राशि की वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी कर दिया गया है (जनवरी 2024)। अन्य आरए के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

पैरा 3.5.1 में वर्ष 2020 की पीए प्रतिवेदन संख्या 5 में इस मुद्दे को उजागर करने एवं इस संबंध में की गई सिफारिशों के बावजूद, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के लिए उचित जांच सूची के अभाव के कारण योजना की शुरूआत से पूर्व प्रदान की गई अपात्र सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹133.12 लाख का अनियमित ड्यूटी क्रेडिट स्वीकृत किया गया।

(एच) अपात्र धन प्रेषणों के लिए एसईआईएस रिवॉर्ड की अनुचित स्वीकृति

एफटीपी के पैरा 3.09 के अनुसार, अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने के लिए अर्जित की गई विदेशी मुद्रा (एफई) के अलावा अन्य विदेशी मुद्रा प्राप्ति को पात्रता के लिए नहीं गिना जाएगा एवं सेवा प्रदान करने से असंबंधित किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा प्राप्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी।

तीन आरए एवं एक एसईजेड ने अनियमित रूप से 14 एसईआईएस स्क्रिप्स प्रदान किए, जिनमें अपात्र धन-प्राप्तियों पर ₹ 445.62 लाख का रिवॉर्ड सम्मिलित था, जैसे कि भारतीय रूपए में हुई धन- प्राप्तियां, गैर-अधिसूचित सेवाओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय तथा उन सेवाओं से विदेशी मुद्रा आय जिनकी प्रकृति ज्ञात नहीं थी। **(अनुलग्नक 32)**।

आरए कोयम्बटूर ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि एसईआईएस के अंतर्गत अपात्र श्रेणियों के संबंध में पैरा 3.09 के संदर्भ में एफटीपी प्रावधानों को दिनांक **05** दिसंबर **2017** से संशोधित किया गया है, जहां ईईएफसी खाते से प्राप्त सेवाओं के लिए भुगतान को अनर्ह श्रेणियों में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

दिनांक 5 दिसंबर 2017 के पीएन 45 के अवलोकन में यह उत्तर स्वीकार्य नही है, जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते से प्राप्त भुगतान एसईआईएस रिवॉर्ड के लिए पात्र नहीं थे। अन्य आरए से उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

वर्ष **2020 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में की गई सिफारिश (सं. 14) के बावजूद, एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करने से पूर्व आवश्यक बुनियादी जांच के बारे में आरए को स्पष्ट निर्देश जारी करने के बावजूद भी यह समस्या बनी रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹445.62 लाख के ड्यूटी क्रेडिट का अपात्र अनुदान किया गया।**

(आई) शुद्ध विदेशी मुद्रा की गलत गणना के कारण स्क्रिप्स का अत्यधिक अनुदान

सेवा प्रदाता पूर्व वित्तीय वर्ष में शुद्ध मुक्त विदेशी मुद्रा आय (एनएफई) के आधार पर एसईआईएस लाभ के लिए पात्र है। शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी (एफटीपी का पैरा 3.08 (डी)):-

एनएफई = सकल विदेशी मुद्रा आय (जीएफई) घटा (-) वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा विदेशी मुद्रा का कुल व्यय/भुगतान।

छः आरए एवं दो एसईजेड ने, 27 एसईआईएस मामलों (165 स्क्रिप्स) में, एनएफई की गणना में त्रुटियों के कारण ₹1,139.12 लाख **(अनुलग्नक 33)** के अतिरिक्त रिवॉर्ड जारी किए, जैसा कि **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना में त्रुटियाँ

त्रुटियों के प्रकार	आवेदन की संख्या	अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट (₹ लाख में)
पात्रता की गणना करते समय एनएफई का अधिक मूल्य लिया गया	10	143.05
अनुचित विदेशी आवक धन प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी)	13	953.28
व्ययों का अन-अपवर्जन/कम अपवर्जन	4	42.79
कुल	**27**	**1,139.12**

स्रोत: आरएलए द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों से एकत्रित जानकारी के आधार पर।

आरए, मुंबई ने बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (सितंबर 2022) तथा आगे की प्रगति की प्रतीक्षित है (मई 2025)।

आरए, दिल्ली ने (दिसंबर 2023 में) बताया कि इंगित किए गए छः में से चार लाइसेंसों में एसईआईएस रिवॉर्ड की अधिक भुगतान की गई राशि ₹33.05 लाख को उपयुक्त ब्याज सहित वसूल कर लिया गया है।

(जे) गलत विनिमय दर अपनाने के कारण स्क्रिप का अतिरिक्त अनुदान

एसईआईएस के लिए आवेदन पत्र के अनुलग्नक-ए में लेन-देन का विवरण एवं तिथि-वार विदेशी मुद्रा आय को अमेरिकी डॉलर में दर्ज किया गया था। यदि आय अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में प्राप्त हुई थी, तो लेन-देन की तिथि पर सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार विनिमय दर लागू करके लेन-देन की तिथि पर अमेरिकी डॉलर में उनके समतुल्य का उल्लेख आवेदक द्वारा किया जाना था।

आरए कोलकाता में, मैसर्स 'ई' ग्लोबल बेवरेजेस लि. ने मैसर्स 'एफ' ग्लोबल बेवरेजेस सर्विसेज लि., मिडलसेक्स, इंग्लैंड को 2017-18 के दौरान प्रदान की गई प्रबंधन सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स रिवॉर्ड के लिए आवेदन किया था (15 नवंबर 2019) जिससे 6070182.90 अमेरिकी डॉलर की शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) आय प्राप्त हुई। निर्यातक ने सेवा मूल्य जीबीपी (यूके पाउंड) में प्राप्त किया तथा लेन-देन की तिथियों (बीजक तिथि) पर लागू सीमा शुल्क अधिसूचित विनिमय दरों को नहीं अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप एनएफई की गलत घोषणा हुई। इसके परिणामस्वरूप रिवॉर्ड में ₹11.65 लाख की अधिक राशि प्रदान की गई **(अनुलग्नक 34)**।

इसे अक्टूबर 2023 में इंगित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(के) सरकारी करों को सम्मिलित न करने के कारण स्क्रिप का अतिरिक्त जारी करना

केंद्रीय/राज्य सरकार के कर संबंधित सरकारों की ओर से ग्राहकों से सेवा प्रदाता द्वारा एकत्र किए जाते हैं जो सेवा प्रदाता की आय नहीं माने जाते हैं एवं इसलिए, एसईआईएस लाभों के लिए पात्र नहीं होते हैं (एफटीपी 2015-2020 के पैरा 3.09 को व्यापार सूचना संख्या 11/2015-20 दिनांक 27 जुलाई 2016 के साथ पठित)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार आरए द्वारा शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) के पांच एसईआईएस स्क्रिप को जारी उस अर्जित मूल्य के आधार पर किया गया जिसमें सेवा कर, स्वच्छता भारत उपकर एवं कृषि कल्याण उपकर के लिए भुगतान की गई राशि सम्मिलित है, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.45 लाख का अतिरिक्त रिवॉर्ड दिया गया **(अनुलग्नक 35)**। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(एल) अधिकार क्षेत्र अनुशासन का पालन न करना

डीजीएफटी पीएन संख्या 30/2015-20 दिनांक 26 अगस्त 2015 एवं 58/2015-20 दिनांक 10 फरवरी 2017 के साथ पठित एचबीपी 2015-20 के पैरा 3.06 में निर्धारित किया गया है कि एसईजेड/ईओयू में इकाई रखने वाले आईईसी धारकों को संबंधित डीसी को आवेदन करना होगा।

डीसी एसईईपीज़ेड-मुंबई ने (दिसंबर 2018) मैसर्स 'जी' रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया प्रा. लि., जो एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत काम करती है, को ₹1,100.70 लाख की एसईआईएस स्क्रिप प्रदान की थी। निर्यातक ने एसईजेड पुणे एवं एसईजेड बैंगलोर में स्थित दो एसईजेड इकाइयों के संबंध में एसईआईएस लाभ का दावा किया। एसईजेड बैंगलुरु की विदेशी मुद्रा आय अधिक होने के कारण निर्यातक को डीसी/एसईईपीजेड, मुंबई से दावा करने के बजाय क्षेत्राधिकार वाले आरए अर्थात डीसी/सीएसईजेड कोच्चि (बैंगलुरु डीसी/सीएसईजेड कोच्चि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है) के समक्ष एसईआईएस लाभों का दावा करना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप वि.व. 2016-17 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा आय पर एक ऐसे प्राधिकरण द्वारा रिवॉर्ड प्रदान किया गया, जो ऐसे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है **(अनुलग्नक 36)**। इसे दिसंबर 2023 में इंगित किया गया, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

(एम) आयात निर्यात फॉर्म (एएनएफ) में सेवावार व्यय घोषित करने का प्रावधान न होने के कारण एसईआईएस स्क्रिप का गलत अनुदान

एफटीपीके पैरा 3.08 (डी) के अनुसार, इस योजना के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा आय को वित्ती वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा विदेशी मुद्रा के सकल आय में से कुल व्यय/भुगतान/प्राप्ति को घटाकर परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, एसईआईएस योजना के अंतर्गत पात्रता का दावा करने के लिए, फर्म को एएनएफ 3बी भरना होगा।

एसईआईएस फाइलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एएनएफ 3बी फॉर्म में कई सेवाओं के आधार पर अर्जित सकल विदेशी मुद्रा घोषित करने का विकल्प है। लेकिन दो या अधिक सेवाओं के संबंध में कई सेवाओं के आधार पर विदेशी मुद्रा के व्यय/भुगतान/प्राप्ति की घोषणा करने का कोई विकल्प नहीं था। उपर्युक्त प्रावधान के अभाव में, फर्म को सभी प्रदान की गई सेवाओं के लिए समेकित व्यय घोषित करना पड़ा।

उपरोक्त प्रावधान के अभाव में, प्रणाली (डीजीएफटी-एसईआईएस मॉड्यूल) ने पृष्ठभूमि में कुल व्यय को सेवा-वार अर्जित सकल विदेशी मुद्रा की अनुपातिकता में विभाजित किया एवं सेवावार शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन एवं पात्रता की गणना कर कार्यालय टिप्पणी तैयार की। चूंकि विभिन्न सेवाओं के लिए रिवॉर्ड दरें (**3** *प्रतिशत* से **7** *प्रतिशत* तक) भिन्न थीं, इस कारण से रिवॉर्ड स्क्रिप्स का अधिक निर्गम हो गया।

इस प्रकार, एएनएफ **3**बी में व्यय विवरण को उपयुक्त रूप से दर्ज करने हेतु प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण, उन दावेदारों को जो विभिन्न पात्रता दरों वाली दो या अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे थे, एसईआईएस के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट का अनुचित रूप से अनुदान दिया जाना पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर (अगस्त 2023) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि यह ध्यान देने योग्य है कि आरए पर लागू दावे के मूल्य को प्रमाणित करने के लिए सीए प्रमाणपत्र की अनिवार्य आवश्यकता थी एवं उसके बाद, आरए मैनुअल रूप से इसकी गणना सहित दावे की जांच एवं इसको संसाधित करते हैं। इसलिए, आरए स्तर पर दोहरी जांच उपलब्ध थी। हालाँकि, वर्तमान मामले में, संबंधित आरए से एक रिपोर्ट मांगी गई है। यदि कोई वसूली कार्रवाई होगी तो उसे शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि एसईआईएस योजना दिनांक 01 अप्रैल 2020 से बंद कर दी गई है। एसईआईएस के

अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 थी एवं इसलिए एनआईसी द्वारा लागू किए जा रहे आईटी सिस्टम डिजाइन में कोई बदलाव संभव नहीं था।

तथ्यों से डीजीएफटी (मुख्यालय) को जनवरी 2024 में अवगत करा दिया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

3.8 निष्कर्ष:

विदेश व्यापार नीति 2015-20 की दो योजनाओं – एमईआईएस एवं एसईआईएस के कार्यान्वयन एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र की समीक्षा के लिए विषय-विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई। इन योजनाओं की पूर्व में एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी, जिसे सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5/2020 के रूप में प्रकाशित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा का उद्देश्य, पूर्ववर्ती लेखापरीक्षाओं की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना भी था।

(i) पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5/2020 में एमईआईएस तथा एसईआईएस दोनों योजनाओं से संबंधित योजनाओं में स्वचालन की कमियों को दूर करने तथा आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए दी गई सिफारिशों के बावजूद, मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों का क्रियान्वयन नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण यह रहा कि दोनों योजनाओं को बंद कर दिया गया।

(ii) तथापि, इस अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि योजनाओं को बंद करने के बाद भी, दोनों योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या (सरकार द्वारा प्रदत्त छूट के अंतर्गत) काफी अधिक थी तथा इसमें ड्यूटी क्रेडिट के माध्यम से प्रोत्साहन का बहिर्वाह सम्मिलित था, यदि पूर्व की सिफारिशों का समय पर क्रियान्वयन किया गया होता, तो इस व्यय से बचा जा सकता था।

(iii) प्रणालीगत परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि एमईआईएस एवं एसईआईएस लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का स्वचालन किया गया था, फिर भी स्वचालन प्रणाली में कमियां एवं सत्यापन संबंधी कमजोरियां बनी रहीं, जिसके लिए मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। इस कारण प्रक्रियाओं में काफी विलंब हो रहा था, जो नमूना किए गए मामलों (क्रमशः एमईआईएस एवं एसईआईएस) में 39 *प्रतिशत* एवं 44 *प्रतिशत* देखी गई। यह प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।

(iv) अन्य बातों के साथ-साथ जो प्रणालीगत मुद्दें देखे गए, उनमें अस्वीकृत ईकाई सूची में शामिल फर्मों को तथा वे फर्मों जिनके नाम संबंधित विशिष्ट पहचानकर्ता-आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) में नामों से मेल नहीं खाते हैं, को स्क्रिप्सों का गलत जारी करना, दोहरे निर्यात लाभों का लाभ उठाने वाले, समयावधि समाप्त दावों/शिपिंग बिलों के लिए जारी किए गए स्क्रिप्स, लेट कट के न लगाने / कम लागने के कारण अधिक जारी किए गए स्क्रिप्स, भी सम्मिलित हैं, जिसका कुल राजस्व निहितार्थ **₹185.85 करोड़** हैं

(v) अनुपालन परिप्रेक्ष्य से, एमईआईएस योजना के संचालन में, लेखापरीक्षा ने अपात्र उत्पादों को लाभ देने, निर्यातित उत्पादों के गलत वर्गीकरण, गलत प्रोत्साहन दर को अपनाने, निर्यात आय की प्राप्ति न करने या भारतीय रूपए में निर्यात आय की वसूली के कारण कुल **₹132.21 करोड़** के एमईआईएस लाभों का अस्वीकार्य एवं अनियमित अनुदान देखा।

(vi) इसी प्रकार, एसईआईएस योजना के संचालन में एसईआईएस लाभों को गलत तरीके से अनुमति दी गई थी, जिससे **₹406.90 करोड़** का कुल राजस्व निहित था, जो अस्वीकार्य सेवाओं, पात्र तरीके से प्रदान की गई सेवाओं, सेवाओं के गलत वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा आय की गलत गणना, एसईआईएस लाभ प्रदान करते समय सरकारी करों को असम्मिलित करने एवं विनिमय दरों को गलत तरीके से अपनाने के कारण हुआ।

3.9 सिफारिशें:

लेखापरीक्षा निम्नलिखित सिफारिशें दोहराती है:

- विभाग को लाइसेंस जारी करने की संपूर्ण कार्यप्रवाह प्रक्रिया का स्वचालन व्यवसायिक नियमों के अनुरूप करते हुए सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि मैनुअल हस्तक्षेप समाप्त हो सके, प्रक्रियागत विलंब न्यूनतम किया जा सके तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न एजेंसियों द्वारा सेवाओं का वर्गीकरण समान रूप से संरेखित किया जाना आवश्यक है, ताकि प्रोत्साहनों के दुरुपयोग से बचा जा सके।
- विभाग को स्वचालित प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए एवं साथ ही एफटीपी योजनाओं के सत्यापन एवं मंजूरी की अपनी प्रक्रिया को मजबूत

करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्यूटी स्क्रिप्स/लाभ परिकल्पित रूप से प्रदान किए जाएं।

- डीजीएफटी, आरए को निर्देश दे कि वे उन स्थानों पर उचित वसूली कार्रवाई शुरू करें जहां योजना बंद होने के बाद एमईआईएस के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट प्रदान किया गया था, विशेष रूप से परिधान एवं मेड-अप क्षेत्र के संबंध में, जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट के लिए पात्र हैं।

अध्याय IV

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचनाओं और विदेश व्यापार नीति की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन ना करना

4.1 परिचय

सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे वर्ष 1962 में तैयार किए गए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत लगाया जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 एक मूल विधिक प्रावधान है जो विभिन्न प्रकार के पोतों, विमानों, वस्तुओं, यात्रियों आदि के देश में प्रवेश या निकास को शासित करता है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, किसी भी अन्य कर कानून की तरह, मुख्यतः शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु है, परंतु इसके साथ ही इसके कुछ अन्य समान महत्वपूर्ण उद्देश्य भी हैं, जैसे: (i) आयात एवं निर्यात का विनियमन; (ii) घरेलू उद्योग की सुरक्षा; (iii) तस्करी की रोकथाम; तथा (iv) विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं संवर्धन। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान है कि सीमा शुल्क उन दरों पर उद्ग्रहित किया जाएगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 अथवा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई हों, उन वस्तुओं पर जो भारत में आयात या निर्यात की जाती हैं।

4.2 सीमा शुल्क प्राधिकारियों का निर्धारण कार्य विभिन्न अधिसूचनाओं या निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत दावा किए गए किसी भी रियायत या लाभ को ध्यान में रखते हुए शुल्क देयता निर्धारित करना है। उन्हें यह भी जांचना होता है कि आयातित वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध या निषेध तो नहीं है एवं क्या उनके लिए किसी अनुमति/लाइसेंस/अनुज्ञा आदि की आवश्यकता है, तथा यदि हाँ, तो क्या ये आवश्यकताएं पूरी की गई हैं। शुल्क का निर्धारण मूलतः आयातित माल का सीमा शुल्क टैरिफ के अंतर्गत उचित वर्गीकरण करना होता है, जिसमें व्याख्याओं के नियमों, अध्याय एवं खंड टिप्पणियों आदि का समुचित ध्यान रखा जाता है, एवं शुल्क देयता निर्धारित की जाती है। इसमें रियायत अधिसूचना को सही रूप से लागू किए जाने अथवा विदेशी व्यापार नीति की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की शर्तों की पूर्ति भी सम्मिलित है।

4.3 लेखापरीक्षा नमूना

वि.व. 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा किए गए 39 आयुक्तालयों में कुल 47.51 लाख बीई एवं 62.05 लाख एसबी सृजित किए गए, जिनमें से क्षेत्राधिकार लेखापरीक्षा कार्यालयों ने स्थानीय जोखिमों के आधार पर 3.61 लाख बीई (7.60 *प्रतिशत*) एवं 2.63 लाख एसबी (4.24 *प्रतिशत*) के नमूनों की भौतिक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया। ये नमूने पैन इंडिया आंकड़ों के अभाव में स्थानीय स्तर पर किए गए लेखापरीक्षाओं के माध्यम से चुने गए, जो कि एक उप-इष्टतम स्थिति है। सीमा शुल्क आयुक्तालयों/ डीजीएफटी के आरए में दस्तावेजों की परीक्षण जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक की राजस्व निहितार्थ वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (49 मामले) इस अध्याय में सम्मिलित किए गए हैं। छोटी अभ्युक्तियां निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय प्राधिकरणों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु जारी किया गया था।

4.3.1 सृजित व लेखापरीक्षित अभिलेखों के नमूने एवं उनमें की गई वसूली

पैन इंडिया स्तर पर, 70 सीमा शुल्क आयुक्तालयों में वि.व. 23 के दौरान 880 लाख आयात एवं निर्यात अभिलेख (बीई/एसबी) सृजित किए गए। लेखापरीक्षा ने 39 आयुक्तालयों का जांच परीक्षण किया, जिनमें 109.56 लाख अभिलेख (880 लाख का 12.45 *प्रतिशत*) सृजित किए गए।

इसके अलावा, जोखिम विश्लेषण के आधार पर, 39 आयुक्तालयों में लेखापरीक्षा ने 6.24 लाख अभिलेखों (109.56 लाख का 5.70 *प्रतिशत*) का चयन किया **(तालिका 4.1)** एवं ₹22 करोड़ के राजस्व से जुड़े 49 मामलों में महत्वपूर्ण अनियमितताएं का पता लगाया, जिन्हें इस अध्याय में अभिलेखित किया गया है।

तालिका 4.1: आयुक्तालयों में सृजित किए गए/लेखापरीक्षित अभिलेख

क्रम संख्या	पैन इंडिया 70 आयुक्तालय (₹ लाख में)	39 आयुक्तालयों का नमूना लिया गया (₹ लाख में)	39 आयुक्तालयों में कुल का *प्रतिशत* (कॉलम 3/कॉलम 2)	39 आयुक्तालयों में लेखापरीक्षित अभिलेखों का *प्रतिशत* (पंक्ति 3/पंक्ति 2)
1	2	3	4	5
तैयार किए गए अभिलेख (बीई+एसबी)	**880**	**109.56**	**12.45**	
लेखापरीक्षित अभिलेख (बीई+एसबी)		**6.24**	**0.71**	**5.70**

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए गैर-अनुपालन के मामलों को मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

I. आयातों का गलत वर्गीकरण **(पैराग्राफ 4.4.1 से 4.4.10)।**

II. अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

क) आईजीएसटी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग **(पैराग्राफ 4.5.1 से 4.5.4)।**

ख) छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग **(पैराग्राफ 4.5.5 से 4.5.6)।**

III. निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करना **(पैराग्राफ 4.6.1 से 4.6.3)।**

IV. अन्य अनियमितताएं **(पैराग्राफ 4.7.1 से 4.7.3)।**

नीचे दी गई तालिका 4.2 मई 2025 तक चिह्नित निष्कर्षों एवं प्रभावी वसूली की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 4.2: आपत्ति किए गए मामले, स्वीकृति एवं की गई वसूली

पैरा की श्रेणी	आयातों का गलत वर्गीकरण	अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग	निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करना	अन्य अनियमितताएं	कुल
आपत्ति वाले पैरा की संख्या	19	20	3	7	**49**
स्वीकृत पैरा	19	20	3	7	**49**
पैरा के अनुसार वसूली	12	18	3	6	**39**
आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	1,141	590	289	220	**2,240**
स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	1,132	475	289	188	**2,084**
वसूली गई राशि (₹ लाख में)	633	302	332	135	**1,402**

मंत्रालयों/विभागों ने 49 पैराग्राफ को स्वीकार कर लिया है तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिस के अधिनिर्णयन के रूप में ₹21 करोड़ के धन मूल्य से संबंधित सुधारात्मक उपाय किए हैं तथा सीमा शुल्क के गलत मूल्यांकन के 39 मामलों में ₹14 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

यद्यपि मंत्रालय ने 49 मामलों में शुल्क वसूलने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है, फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि ये केवल कुछ नमूना-जांच किए गए मामले हैं। इस बात की पूरी

संभावना है कि मूल्यांकन में भूल एवं चूक की ऐसी त्रुटियाँ कई अन्य संव्यवहारों में भी मौजूद हो सकती हैं।

4.4 आयात का गलत वर्गीकरण

आयातित वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होता है। लागू शुल्कों का अधिरोपण आयातित वस्तु पर लागू वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने 19 मामलों में गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली पाई। इस अध्याय में गलत वर्गीकरण के 19 मामलों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व निहित है, तथा कुल ₹11.41 करोड़ का राजस्व निहित है। ₹10 लाख से कम मूल्य वाले आयातों के गलत वर्गीकरण के व्यक्तिगत मामलों को क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थानीय आयुक्तालयों में अभिलेखित किया गया है।

10 आयुक्तालयों में पाए गए गलत वर्गीकरण के 19 मामलों में से, 10 मामले जिनमें कुल ₹10.10 करोड़ का राजस्व निहितार्थ सम्मिलित है, की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई है एवं शेष नौ मामले जिनमें कुल ₹1.31 करोड़ का राजस्व निहितार्थ सम्मिलित है, **अनुलग्नक 37** में सूचीबद्ध किया गया हैं। विभाग ने सभी 19 मामलों को स्वीकार कर लिया तथा 13 मामलों में ₹6.33 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

4.4.1 'आंतरिक दहन इंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत प्रज्वलन या स्टार्टिंग उपकरण' को 'अन्य स्वचालित विनियमन या नियंत्रण उपकरण' के रूप में गलत वर्गीकृत करना

'कंट्रोलर असेंबली ग्लो प्लग' को सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 8511 के अंतर्गत 'स्पार्क-इग्निशन या कम्प्रेशन-इग्निशन आंतरिक दहन इंजन (उदाहरण के लिए, इग्निशन मैग्नेटो, मैग्नेटो-डायनेमो, इग्निशन कॉइल, स्पार्किंग प्लग एवं ग्लो प्लग, स्टार्टर मोटर्स आदि) के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत इग्निशन या स्टार्टिंग उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं जिस पर 15 *प्रतिशत* की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) एवं 28 *प्रतिशत* की दर से एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लगता है (आईजीएसटी अधिसूचना संख्या 01/2017, अनुसूची IV- क्रम संख्या 143 दिनांक 28 जून 2017)।

मैसर्स 'एच' सुजुकी इंडिया लि. ने आईसीडी-गढ़ी हरसरू, गुरुग्राम के माध्यम से ₹17.66 करोड़ के कुल मूल्यांकन योग्य मूल्य पर 'कंट्रोलर असेंबली ग्लो प्लग' की 29 खेपें आयात कीं (जनवरी 2019 से मार्च 2021 तक)। आयातित वस्तुओं को सीटीएच-90328990 के अंतर्गत 'अन्य स्वचालित विनियमन या नियंत्रण उपकरण एवं तंत्र' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था एवं उन पर 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी एवं 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाया गया था (उपर्युक्त आईजीएसटी अधिसूचना की अनुसूची III-क्रम संख्या 422)।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित वस्तु 'कंट्रोलर असेंबली ग्लो प्लग' है, जो यह तय करती है कि 'ग्लो प्लग' के लिए करंट को कब चालू या बंद करना है एवं इंजन के साथ एकीकृत 'ग्लो प्लग' को चालू करने के लिए कितने करंट की आवश्यकता है। 'कंट्रोलर असेंबली ग्लो प्लग' सेंसर से प्राप्त इनपुट के आधार पर ग्लो प्लग के कार्य को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। यह आइटम ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में काम करता है जहां इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल (ईसीएम), ग्लो प्लग एवं सेंसर प्रमुख हैं। तदनुसार, इसे सीटीएच-8511 के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जो ग्लो प्लग एवं उसके पाट्र्स को कवर करता है, न कि सीटीएच-90328990 के अंतर्गत, तथा इस पर क्रमशः 15 एवं 28 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी एवं आईजीएसटी लगाया जाना चाहिए।

आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण ₹3.78 करोड़ का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (मई 2021), विभाग ने आयातक से ₹3.78 करोड़ की मांग की पुष्टि की (जनवरी 2023) तथा उतनी ही राशि की शास्ति भी लगाई ।

4.4.2 खानों में इस्तेमाल होने वाले परिवहन वाहनों को 'अन्य बोरिंग या उत्खनन मशीनरी' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

नामकरण की सामंजयपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) के अनुसार, 'शटल कार', जिनका उपयोग कोयला या अयस्कों के परिवहन के लिए उत्खनन में किया जाता है, उन्हें सीटीएच 87049090 के अंतर्गत 'अन्य वाहन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं उन पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी (अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क, क्रम संख्या 526 दिनांक 30 जून 2017) एवं 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है।

मैसर्स 'आई' माइनिंग लिमिटेड ने कोलकाता (समुद्री बंदरगाह) के माध्यम से पूरी तरह से नॉक्ड डाउन (सीकेडी) स्थिति में शटल कार की दो खेप (एक बीई के अंतर्गत) आयात की (मार्च 2021)। विभाग ने माल को सीटीएच 87049090 के बजाय सीटीएच 84304190 के अंतर्गत

'अन्य बोरिंग या उत्खनन मशीनरी' के रूप में गलत वर्गीकृत कर दिया। आयातित वस्तुओं को 15 *प्रतिशत* की लागू बीसीडी दर एवं 28 *प्रतिशत* आईजीएसटी के स्थान पर 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी एवं 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाकर मंजूरी दी गई। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹2.60 करोड़ का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2021), विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2022) कि आयातक ने ₹2.99 करोड़ का भुगतान किया था जिसमें ब्याज भी सम्मिलित था।

4.4.3 रेल सह सड़क वाहन के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम लगाया जाना

नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) के व्याख्यात्मक नोट के अनुसार सड़क एवं रेल दोनों से यात्रा करने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित सड़क-रेल लॉरियों को सीटीएच 8704 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा सीमा शुल्क टैरिफ की धारा XVII के नोट 4(ए) के अनुसार 'सड़क एवं रेल दोनों पर यात्रा करने के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहन' सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 87 के उचित शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने परिपत्र संख्या 14/2012-सीमा शुल्क दिनांक 11.06.2012 के माध्यम से स्पष्ट किया था कि 'रेल सह सड़क वाहनों' का सही वर्गीकरण धारा XVII के नोट 4 (ए) के आवेदन द्वारा अध्याय 87 के अंतर्गत उचित शीर्षक में होना चाहिए।

तदनुसार, विद्युत चालित 'रेल सह सड़क वाहन' सीटीएच 87049012 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य हैं एवं इन पर 40 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी एवं 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगेगा (अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) अनुसूची I, क्रम संख्या 242ए दिनांक 28 जून 2017 यथा संशोधित)।

मैसर्स 'जे' हैवी इजीनियरिंग लि. एवं एक अन्य ने कोलकाता (समुद्र) पोर्ट के माध्यम से 'विद्युत रूप से संचालित रेल सह सड़क वाहन' की दो खेप आयात की (फरवरी 2021)। आयातित माल को सीटीएच 86029090/86012000 के अंतर्गत 'बिजली या इलेक्ट्रिक संचायकों द्वारा संचालित रेल इंजन/अन्य रेल इंजन' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था एवं 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी एवं 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाकर निकासित किया था। यह माल सीटीएच 87049012 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है तथा इस पर 40 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी तथा 5 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है। गलत वर्गीकरण के कारण ₹53.22 लाख रुपए का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2022), विभाग ने बताया (मार्च 2023) कि आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.4.4 कार्बन ब्लैक के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम लगना

'कार्बन ब्लैक' सीटीएच 28030010 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य है एवं इस पर अन्य लागू शुल्कों के साथ 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है।

मैसर्स 'के' इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आईसीडी तालेगांव, पुणे आयुक्तालय के माध्यम से "कार्बन ब्लैक" की 62 खेप आयात की (अप्रैल 2021 से फरवरी 2023 तक)। आयातित माल को सीटीएच 28030090 के अंतर्गत 'कार्बन के अन्य रूप' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था तथा लागू 7.5 *प्रतिशत* के बजाय 5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाकर निकासित किया था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹1.12 करोड़ का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (मार्च 2023), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया एवं ₹1.16 करोड़ तथा ₹21.71 लाख ब्याज की वसूली की सूचना दी।

4.4.5 चिकित्सा उपकरणों के लिए पुर्जे एवं सहायक उपकरण जिन्हें यंत्र एवं उपकरणों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है

अध्याय 90 के मशीनों, उपकरणों, यंत्रों या तंत्र के लिए भाग एवं सहायक उपकरण (अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं) सीटीएच-9033000 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य हैं एवं इन पर 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी लगेगा (आईजीएसटी अधिसूचना संख्या 01 एकीकृत कर (दर), क्रम संख्या 423, अनुसूची III दिनांक 28 जून 2017)।

मैसर्स 'एल' ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड एवं मैसर्स 'एम' मेडिकल डिवाइसेज ने आईसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से 'ब्लड प्रेशर मॉनिटर एवं अन्य भागों (चिकित्सा उपकरणों के लिए घटक) के लिए एलसीडी डिस्प्ले सिस्टम' की 18 खेप का आयात किया (फरवरी 2021 से जुलाई 2022 तक)। माल को सीटीएच 90189011 के अंतर्गत 'यंत्र एवं उपकरण' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था एवं उस पर 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित सामान अध्याय 90 के अंतर्गत मशीनों, उपकरणों, यंत्रों या उपकरणों के लिए 'पुर्जे एवं सहायक उपकरण' हैं, इसलिए सीटीएच

90330000 के अंतर्गत वर्गीकरण करने योग्य हैं एवं 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी के अधीन हैं। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹48.34 लाख के कम शुल्क की वसूली हुई।

इंगित किए जाने पर (फरवरी 2023), विभाग ने मैसर्स 'एल' ग्रुप प्रा. लि. से ₹39.08 लाख एवं ₹9.38 लाख ब्याज की वसूली की सूचना दी (फरवरी 2024) एवं अन्य आयातक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.4.6 "इंजन के पार्ट्स - वाल्व इनलेट एवं एग्जॉस्ट" के गलत वर्गीकरण के कारण बीसीडी एवं आईजीएसटी का कम शुल्क लगाया जाना

'सीटीएच 8407 या 8408 (मोटर वाहन/मोटर कार/मोटर साइकिल) के आंतरिक दहन पिस्टन इंजन के साथ पूरी तरह या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग, सीटीएच 8409 के अंतर्गत वर्गीकरण के योग्य हैं। तदनुसार, "वाल्व टेपेट, वाल्व सीट रिंग, एग्जॉस्ट, वाल्व गाइड, वाल्व गाइड एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट वाल्व एवं रिंग सेट-पिस्टन" इंजन के हिस्से होने के नाते सीटीएच 84099111/84099911 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य हैं एवं इन पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी एवं 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है (अधिसूचना संख्या 01/2017-एकीकृत कर (दर), अनुसूची IV- क्रम संख्या 116, दिनांक 28 जून 2017)।

मैसर्स 'एन' इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्रा. लि. एवं मैसर्स 'ओ' ऑटोमोटिव इंडिया प्रा. लि. ने (अप्रैल 2019 से नवंबर 2020 तक) चेन्नई (समुद्र) सीमा शुल्क के अंतर्गत आईसीडी, इरुंगट्टुकोट्टई के माध्यम से 46 बीई के अंतर्गत 'वाल्व टैपेट, वाल्व सीट रिंग एग्जॉस्ट, वाल्व गाइड वाल्व गाइड एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट वाल्व एवं रिंग सेट- पिस्टन' जैसे इंजन के पार्ट्स का आयात किया। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 8481 के अंतर्गत 'नल, कॉक, वाल्व एवं पाइप, बॉयलर शेल, टैंक, वैट या इसी प्रकार के अन्य उपकरण' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था एवं उन पर 7.5/10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी एवं 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाया गया था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कुल ₹46.09 लाख का बीसीडी एवं आईजीएसटी कम लगाया गया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि समान आयात की 227 खेप में, आयातकों ने माल को सीटीएच 84099111 के अंतर्गत 'इंजन के पुर्जे' के रूप में सही ढंग से वर्गीकृत किया था एवं क्रमशः 15 *प्रतिशत* एवं 28 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी एवं आईजीएसटी का भुगतान किया था।

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2021), विभाग ने एक आयातक (मैसर्स 'एन' कमर्शियल व्हीकल प्रा. लि.) से ₹45.66 लाख एवं ₹15.47 लाख ब्याज की वसूली की सूचना दी (फरवरी 2022)। दूसरे आयातक के संबंध में प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.4.7 'पहिएदार खिलौना (स्कूटर)' के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम लगाया जाना

'तिपहिया वाहन, स्कूटर, पैडल कार एवं इसी प्रकार के पहिए वाले खिलौने सीटीएच 9503 के अंतर्गत वर्गीकरण करने के योग्य हैं एवं इन पर कुल 85.92 *प्रतिशत* सीमा शुल्क लगता है (बीसीडी, एसडब्ल्यूएस एवं आईजीएसटी सहित)। 'साइकिलें एवं अन्य साइकिलें (डिलीवरी ट्राइसाइकिल सहित), मोटररहित ' सीटीएच 8712 के अंतर्गत वर्गीकरण करने के योग्य हैं। शीर्षक सीटीएच 87120090 में 'साइकिलों के अलावा' विवरण के सामान सम्मिलित हैं, जिन पर कुल 24.32 *प्रतिशत* सीमा शुल्क लगता है (जिसमें 10 *प्रतिशत* बीसीडी, बीसीडी का 10 *प्रतिशत* एसडब्ल्यूएस एवं 12 *प्रतिशत* आईजीएसटी सम्मिलित है)।

अप्रैल से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान कस्टम हाउस (एपी एंड एसईजेड) मुंद्रा के माध्यम से 28 बिल ऑफ एंट्री (बीई) के अंतर्गत ₹2.38 करोड़ मूल्य के "पहिएदार खिलौने (स्कूटर)/बच्चों की स्टैंडिंग साइकिल" का आयात किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 14 बीई की नमूना जांच की गई तथा ₹52.73 लाख मूल्य के आयात पर ₹32.48 लाख की कम शुल्क वसूली पाई गई।

मैसर्स 'पी' सिंथेटिक्स लिमिटेड एवं मैसर्स 'क्यू' एम्ब्रॉयडरी ने कस्टम हाउस (एपी एंड एसईजेड) मुंद्रा के माध्यम से 'चिल्ड्रन स्टैंडिंग साइकिल' की 14 खेप का सामान आयात किया (अप्रैल से मई 2021)। माल को सीटीएच 87120090 के अंतर्गत 'अन्य साइकिल' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था एवं इस पर कुल 24.32 *प्रतिशत* सीमा शुल्क (बीसीडी, एसडब्ल्यूएस एवं आईजीएसटी सहित) लगाया गया था। जांच से पता चला कि आयातित वस्तु को आम व्यापारिक भाषा में 'बच्चों के लिए स्कूटर' के रूप में जाना जाता है एवं इसे 'खिलौने' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो सीटीएच 9503 के अंतर्गत वर्गीकरण करने के योग्य है। इस प्रकार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹32.48 लाख का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022), विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि दोनों आयातकों को मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं (अक्टूबर 2022)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.4.8 'पॉलिएस्टर/नायलॉन से बने रिबन/टेप/वेबिंग' के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली

"मानव निर्मित रेशों से बने अन्य संकीर्ण बुने हुए कपड़े" सीटीएच 58063200 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य है एवं इस पर 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है।

मैसर्स 'आर' डिजाइन प्रा. लि. एवं 48 अन्य ने सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), एसीसी, नई दिल्ली के माध्यम से ₹2.46 करोड़ के कुल निर्धारण योग्य मूल्य पर 'पॉलिएस्टर/नायलॉन से बने रिबन/टेप/वेबिंग' की 99 खेप आयात की (जून 2020 से जनवरी 2023 तक)। विभाग ने आयातित वस्तुओं का निर्धारण सीटीएच 58062000/58063190/58063990 के अंतर्गत 'अन्य बुने हुए कपड़े जिनमें कपास या अन्य वस्त्र सामग्री से बने इलास्टोमेरिक धागे का 5 *प्रतिशत* या अधिक हिस्सा सम्मिलित है' के रूप में किया एवं 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाने को मंजूरी दी।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पॉलिएस्टर/नायलॉन एक प्रकार के मानव निर्मित फाइबर हैं एवं इसलिए इन फाइबर से बने आयातित सामान सीटीएच 58063200 के अंतर्गत वर्गीकरण करने के योग्य हैं एवं उन पर लागू 10 *प्रतिशत* के स्थान पर 20 *प्रतिशत* बीसीडी लगता है। आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹28.37 लाख का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (जून 2022/जनवरी 2023), विभाग ने (अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक) दो आयातकों से ₹5.09 लाख की मांग की पुष्टि की, 10 आयातकों से ₹0.78 लाख की वसूली की, तथा 31 आयातकों को एस.सी.एन./पी.एन.सी. जारी किए। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.4.9 सिंथेटिक/कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों को 'कपास के कपड़े' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

"सिंथेटिक/कृत्रिम रेशों से बने अन्य बुने हुए या क्रोशिया से बना हुए कपड़े" को सीटीएच-60063100 से 60064400 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है एवं इन पर 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है।

मैसर्स 'एस' इंडिया एवं 11 अन्य ने आईसीडी-तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से "बुना हुआ पॉलिएस्टर/रेयान कपड़े" की 14 खेप आयात कीं। माल को सीटीएच 60062200/ 60062400/60069000 के अंतर्गत 'कपास के अन्य बुने हुए या क्रोशिया से बना हुए कपड़े'

के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था एवं 10 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी का निर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित कपड़े या तो 'पॉलिएस्टर फाइबर से बने हैं या मुख्य रूप से पॉलिएस्टर/रेयान फाइबर से बने हैं' एवं सीटीएच 60063100 से 60064400 के अंतर्गत वर्गीकरण के योग्य हैं एवं उन पर लागू 10 *प्रतिशत* के स्थान पर 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया जा सकता है। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹26.56 लाख की राशि का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2022), विभाग ने आठ आयातकों से ब्याज सहित ₹10.54 लाख की वसूली की सूचना दी (जनवरी से मई 2023) एवं तीन आयातकों (मैसर्स 'टी' नोवेल्टीज प्रा. लि., मैसर्स 'यू' एब्रेसिव्स एंड पेंट्स प्रा. लि. एवं मैसर्स 'वी' फैब्रिक्स प्रा. लि.) के संबंध में मांगों की पुष्टि की (मई 2023)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.4.10 'बैंक नोट पैकिंग मशीनों' के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क कम लगाया गया

नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) व्याख्यात्मक नोटों के अनुसार, 'बैंक नोट पैकिंग मशीनें' सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक 84729099 के अंतर्गत 'अन्य कार्यालय मशीनें' के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं एवं उन पर 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है।

मैसर्स 'वी' हाइडेक इंडिया प्रा. लि. ने आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से बैंक नोट पैकिंग सिस्टम {(i) सेंटरिंग आईएनएस 1000-15-सीईएन एवं (ii) स्ट्रैपर आईएनएस 1000-15-एसटीआर} की 12 खेप का आयात किया। इन वस्तुओं को सीटीएच 84224000 के अंतर्गत 'अन्य पैकिंग या रैपिंग मशीनरी' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था एवं इन पर 7.5 *प्रतिशत* की लागू दर के बजाय 5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगाया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित वस्तुएं नकदी प्रबंधन प्रणाली के लिए मशीनें हैं, जिनका उपयोग स्ट्रैपिंग, करेंसी नोटों को संभालने में किया जाता है तथा ये उपरोक्त एचएसएन व्याख्यात्मक नोट के अनुसार सीटीएच 84729099 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, जिन पर 7.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। इस प्रकार, आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹24.90 लाख की राशि का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021), विभाग ने ₹34.80 लाख की मांग की पुष्टि की (जुलाई 2023) एवं लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किए गए 12 बीई सहित 22 बीई के अंतर्गत किए गए आयातों पर ₹3 लाख का शास्ति भी लगाया।

4.5 अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

नमूना जांच में 20 मामलों में विभिन्न अधिसूचनाओं के गलत प्रयोग का पता चला, जिनमें से प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व सम्मिलित था। कुल राजस्व निहितार्थ ₹5.90 करोड़ था। ₹10 लाख से कम मूल्य की अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग के व्यक्तिगत मामलों की रिपोर्ट क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थानीय आयुक्तालयों को दी गई है। विभाग ने 20 मामले स्वीकार किए तथा 17 मामलों में ब्याज सहित ₹3.02 करोड़ की वसूली की सूचना दी। ₹3.98 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले सात मामलों (आईजीएसटी अधिसूचना-पांच मामले एवं अन्य छूट अधिसूचनाएं-दो मामले) पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है एवं ₹1.92 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाले शेष 13 मामलों को **अनुलग्नक 38** (09 मामले) एवं **अनुलग्नक 39** (04 मामले) में सम्मिलित किया गया है।

आईजीएसटी अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के कारण कम/शुल्क न लगाया जाना

संपूर्ण आयात को आईजीएसटी अधिनियम के अनुसार अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा एवं तदनुसार लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयातों पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। भारत में आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर उस समय लगाया जाएगा जब सीमा शुल्क के शुल्क लगाए जाते हो।

आईजीएसटी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 (संशोधित) की अनुसूचियों के अंतर्गत निर्धारित दरों पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा आयात पर आईजीएसटी लगाने से छूट दे सकती है।

4.5.1 आंतरिक दहन पिस्टन डीजल इंजन के आयात पर आईजीएसटी का अल्प शुल्क लगाया जाना

“सीटीएच 8408 के अंतर्गत वर्गीकृत "संपीड़न-इग्निशन आंतरिक दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध-डीजल इंजन)" पर 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है {अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), अनुसूची IV-क्रमांक 115, दिनांक 28 जून 2017}।

मैसर्स ‘एक्स’ इंडिया लि. ने आईसीडी तालेगांव, पुणे आयुक्तालय के माध्यम से “कमिंस डीजल इंजन” की सात खेप आयात की (अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 तक)। आयातित

माल को सीटीएच 84089090 के अंतर्गत 'अन्य इंजन' के रूप में वर्गीकृत किया गया था एवं उक्त अधिसूचना, अनुसूची III, क्रम संख्या 453 के अंतर्गत 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाया गया था। अधिसूचना की क्रम संख्या 453 उन वस्तुओं पर लागू होगी जो उक्त अधिसूचना की किसी भी अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं हैं। यद्यपि, आयातित डीजल इंजन अधिसूचना की अनुसूची IV, क्रम संख्या 115 के अंतर्गत आते हैं, जिन पर 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है। इसके परिणामस्वरूप ₹54.01 लाख की राशि कम शुल्क लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (मार्च 2023), विभाग ने ₹54.01 लाख की संपूर्ण अल्प शुल्क तथा ₹11.52 लाख के ब्याज की वसूली की सूचना दी (सितंबर 2023)।

4.5.2 सिरिंज, सुई, कैथेटर एवं कैनुला के विनिर्माण के लिए स्टेनलेस स्टील ट्यूब के आयात पर आईजीएसटी का अल्प शुल्क लगाया जाना

'सिरिंज, सुई, कैथेटर एवं कैनुला के विनिर्माण के लिए वेल्डेड, रिवेटेड या इसी तरह से बंद स्टेनलेस स्टील ट्यूब को सीटीएच-73063090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है एवं इस पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है {अधिसूचना संख्या 1/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची III, क्रम संख्या 220}।

मैसर्स 'वाई' ग्रुप प्रा. लि. एवं तीन अन्य ने आईसीडी, पटपड़गंज के माध्यम से "स्टेनलेस स्टील कैपिलरी ट्यूब" की 25 खेप का आयात किया (नवंबर 2020 से अक्टूबर 2022 तक)। आयातित माल को सीटीएच-90183210/90183290/90183990 के अंतर्गत 'इंस्ट्रूमेंट्स-ट्यूबलर मेटल नीडल्स एवं टांके के लिए नीडल्स' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था एवं उक्त आईजीएसटी अधिसूचना की अनुसूची II, क्रम संख्या 218 के अंतर्गत 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाया गया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित माल टांके के लिए सुइयों के विनिर्माण हेतु स्टेनलेस स्टील के केशिका ट्यूब थे, न कि तैयार उत्पाद, जो तदनुसार सीटीएच 73063090 के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिस पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है। इसके परिणामस्वरूप ₹52.39 लाख का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (मार्च 2023), विभाग ने (फरवरी 2024) ₹58.77 लाख की वसूली की सूचना दी, जिसमें दो आयातकों (मैसर्स 'जेड' इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. एवं मैसर्स 'वाई'

ग्रुप प्रा. लि.) से ब्याज भी सम्मिलित था। दो आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.5.3 लोहा एवं इस्पात वस्तुओं के आयात पर आईजीएसटी दर के गलत अनुप्रयोग के कारण शुल्क का कम लगाया जाना

(i) "लोहा एवं इस्पात के अन्य सामान" सीटीएच-7326 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं एवं इन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है {अधिसूचना संख्या 1/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची III, क्रम संख्या 238}।

मैसर्स 'एए' लिमिटेड एवं चार अन्य ने एसीसी (आयात) आयुक्तालय, नई दिल्ली के माध्यम से लोहे एवं स्टील के विभिन्न सामानों (विमान के पुर्जे, स्मार्ट घड़ी, प्रिंटिंग एवं पैकिंग मशीन आदि) की दस खेप आयात की (अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक)। आयातित वस्तुओं को सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन 18 *प्रतिशत* की लागू दर के बजाय, उक्त आईजीएसटी अधिसूचना, अनुसूची II, क्रम संख्या 180 के अंतर्गत 12 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाकर उन्हें निकासित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आईजीएसटी अधिसूचना की अनुसूची II-क्रमांक 180, 'गणितीय बक्से, ज्यामिति बक्से एवं रंगीन बक्से, पेंसिल शार्पनर' पर लागू है, आयातित वस्तुओं पर नहीं। इस प्रकार, आईजीएसटी दर के गलत अनप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹33.39 लाख का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (मार्च 2023), सीमा शुल्क विभाग ने चार आयातकों (मैसर्स 'एए' लिमिटेड, मैसर्स 'एबी' कंट्रोल यूनिट, मैसर्स 'एसी' इलेक्ट्रॉनिक्स लि. एवं मैसर्स 'एडी' फर्टिलाइजर्स लि.) से ₹34.44 लाख (जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है) की वसूली की सूचना दी (सितंबर/दिसंबर 2023) एवं एक आयातक (मैसर्स 'एई' नीड्स इंटरनेशनल प्रा. लि. को पूर्व-परामर्श नोटिस जारी किया (अगस्त 2023)।

(ii) मैसर्स 'एएफ' कॉन्टैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं 49 अन्य ने एसीसी आयात, नई दिल्ली के माध्यम से ₹4.95 करोड़ के कुल मूल्यांकन योग्य मूल्य पर विभिन्न 'लौह एवं इस्पात के लेखों' की 75 खेप का आयात किया। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 73261100 से 73269099 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था एवं उन पर 12 *प्रतिशत* की गलत दर से आईजीएसटी लगाया गया था (उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची II, क्रम संख्या 180)।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आईजीएसटी अधिसूचना के क्रम संख्या 180 के अंतर्गत आईजीएसटी 'गणितीय बक्सों, ज्यामिति बक्सों एवं रंगीन बक्सों, पेंसिल शार्पनर' पर लागू है, न कि 'स्टील के अन्य सामानों' पर। आयातित वस्तुएं 'लोहा एवं इस्पात की वस्तुएं' थीं जिन पर 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगती है। इस प्रकार, आईजीएसटी दर के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹31.48 लाख का कम शुल्क लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2022), विभाग ने छः आयातकों से ब्याज सहित ₹2.75 लाख की वसूली की सूचना दी (दिसंबर 2023) एवं 27 आयातकों को पूर्व-परामर्श नोटिस जारी किए (अक्टूबर 2023)। 17 आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.5.4 लेड एसिड बैटरी के भागों के आयात पर आईजीएसटी शुल्क का कम लगाया जाना

'लीथियम-आयन बैटरी के अलावा, विभाजक सहित विद्युत संचयकों के भाग' सीटीएच 850790 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य हैं एवं इन पर 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है {अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की अनुसूची IV, क्रम संख्या 139}।

मैसर्स 'एजी' पावर टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. एवं दो अन्य ने एसीसी-आयात, एनसीएच, नई दिल्ली के माध्यम से "लेड एसिड बैटरी के पार्ट्स" की चार खेप का आयात किया। आयातित माल को सीटीएच 850790 के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अधिसूचना की अनुसूची III के क्रम संख्या 376एए/308बी के अंतर्गत 18 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगाकर उसे निकासित कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्रम संख्या 376एए लीथियम-आयन बैटरियों के लिए लागू है, जबकि क्रम संख्या 308बी में 'मुख्य रूप से जल प्रबंधन के लिए डिजाइन किए गए विद्युत चालित पंपों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त भाग' सम्मिलित हैं। आयातित माल लेड एसिड बैटरी के हिस्से हैं जिन पर 28 *प्रतिशत* की दर से आईजीएसटी लगता है। इस प्रकार, आईजीएसटी दर के गलत प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹26.88 लाख का कम शुल्क लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (जनवरी 2023), विभाग ने दो आयातकों (मैसर्स 'एजी' पावर टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.- 2 बीई, मैसर्स 'एएच' एविएशन प्रा. लि.- 1बीई) से ₹ 0.63 लाख की वसूली की सूचना दी (जून 2023) एवं एक आयातक को पूर्व सूचना परामर्श पत्र जारी किया (मई 2023)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

4.5.5 अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण 'ऑटोमोटिव उपयोग के लिए डीसी मोटर्स' के आयात पर बीसीडी का कम शुल्क लगाना

'ऑटोमोटिव उपयोग के लिए डीसी मोटर्स' को सीटीएच-8501 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है एवं इन पर 15 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगता है। हालांकि, मोटर वाहनों में उपयोग के लिए उपयुक्त डीसी मोटर्स के अलावा अन्य पर 10 प्रतिशत की रियायती बीसीडी दर लागू थी (अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, सीरियल नंबर 485ए दिनांक 30 जून 2017)।

मैसर्स 'एआई' इंडिया लि. एवं 5 अन्य ने आईसीडी पटपड़गंज के माध्यम से 'मोटर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स' की 64 खेप आयात कीं (नवंबर 2020 से जुलाई 2022 तक)। आयातित माल को सीटीएच-85011011/85011012/85011013/85011019/85013119/85015290 के अंतर्गत 'विभिन्न ऑटोमोटिव उपयोगों के लिए डीसी मोटर्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया था एवं उक्त अधिसूचना के अंतर्गत 10 *प्रतिशत* की रियायती दर पर रियायती बीसीडी लगाकर निकासी की गई थी।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सीटीएच-8702/8703/8704 के अंतर्गत वर्गीकृत 'ऑटोमोबाइल में उपयोग के लिए डीसी मोटर्स' के रूप में आयातित सामान रियायती बीसीडी के लिए पात्र नहीं थे, बल्कि उन पर 15 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता था। इस प्रकार, अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के परिणामस्वरूप ₹1.15 करोड़ का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (जनवरी 2023), विभाग ने एक आयातक (मैसर्स 'एजे' कॉर्पोरेशन लि.) से ब्याज सहित ₹10.77 लाख की वसूली की सूचना दी (फरवरी 2023)।

शेष पांच आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.5.6 अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण 'लीथियम आयन बैटरी पैक' के आयात पर बीसीडी का कम शुल्क लगाया जाना

'लीथियम आयन बैटरी' को सीटीएच 85076000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है एवं इस पर 20 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। हालाँकि, 10 *प्रतिशत* की रियायती बीसीडी दर सीटीएच 85076000 के अंतर्गत वर्गीकृत 'लीथियम आयन बैटरी पैक' पर लागू है, 'विद्युत संचालित वाहन के विनिर्माण में उपयोग के अलावा' (अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, क्रम संख्या 528सी दिनांक 30 जून 2017)। इसके अलावा, 'विद्युत चालित वाहन या

हाइब्रिड वाहन के विनिर्माण में उपयोग के लिए बैटरी पैक' पर 5 *प्रतिशत* की रियायती बीसीडी दर लागू होगी, बशर्ते कि अधिसूचना की शर्त[18] संख्या 9 (क्रम संख्या 528ए) को पूरा किया जाए।

मैसर्स 'एके' पावर इंडिया प्रा. लि. एवं मैसर्स 'एएल' लिमिटेड ने आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से 'ई-स्कूटर का बैटरी पैक' एवं 'इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए लीथियम बैटरी' बनाने के लिए ली-आयन बैटरी की तीन खेप आयात की (नवंबर से दिसंबर 2021)। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 85076000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, लेकिन रियायती दर 10 *प्रतिशत* (उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 528सी के अंतर्गत) पर बीसीडी लगाकर निकासी की गई थी।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला (मार्च 2022) कि सामान 'ली-आयन बैटरी/बैटरी पैक सिस्टम' विद्युत चालित वाहनों (ई-स्कूटर एवं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर) के लिए आयात किया गया था, इसलिए उपरोक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 528 सी के अंतर्गत लाभ के लिए अपात्र है। बल्कि, आयातित वस्तुओं पर 20 *प्रतिशत* की दर से बी.सी.डी. लगता है।

इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि आयातकों ने अधिसूचना की एक अन्य क्रम संख्या 528ए के अंतर्गत रियायती बीसीडी दर के लिए पात्र होने हेतु अधिसूचना की निर्धारित शर्त संख्या 9 को पूरा नहीं किया है, जो आयातित वस्तुओं को शामिल करती है। इस प्रकार, आयातित माल को अधिसूचना का लाभ गलत तरीके से प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹85.17 लाख की राशि का कम शुल्क लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), विभाग ने (फरवरी 2024) ₹29.82 लाख की मांग की पुष्टि की एवं मैसर्स 'एके' पावर इंडिया प्रा. लि. को ₹2.90 लाख का जुर्माना भी लगाया एवं एक अन्य आयातक को पूर्व सूचना परामर्श पत्र जारी किया (मई 2022)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.6 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करना

विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) व्यापार सुविधा में सुधार एवं व्यापार सुगमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। एफ़टीपी 2015-2020 को केंद्र सरकार द्वारा संशोधित विदेशी व्यापार (विकास एवं

[18] शर्त संख्या 9- यदि आयातक सीमाशुल्क (रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है

विनियमन) {एफ़टीडीआर} अधिनियम 1992 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का गैर-अनुपालन पाया, जिसमें तीन मामलों में ₹2.89 करोड़ का राजस्व निहितार्थ सम्मिलित था, जिसमें 'निर्यात पर शुल्क प्रतिअदायगी का अधिक भुगतान', 'डीटीए निकासी पर शुल्क का कम उद्ग्रहण' एवं 'निर्यात दायित्व की पूर्ति न करना' सम्मिलित थे। अभिलेखित किए गए तीन मामलों में से, मंत्रालय/विभाग ने सभी मामलों को स्वीकार कर लिया एवं मई 2025 तक ₹3.32 करोड़ (ब्याज सहित) की वसूली की सूचना दी। इन मामलों पर अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.6.1 ऑटोमोटिव सीटिंग सिस्टम के पाट्र्स के निर्यात पर इ्यूटी ड्रॉबैक का अधिक भुगतान

मोटर वाहनों के लिए प्रयुक्त 'ऑटोमोटिव सीटिंग सिस्टम एवं उसके पुर्जे' टैरिफ शीर्षक 9401 के अंतर्गत 'सीट (शीर्षक 9402 के अलावा)' के रूप में वर्गीकृत करने योग्य है, चाहे उन्हें बिस्तर एवं उसके भागों में परिवर्तित किया जा सके या नहीं। दिनांक 4 फरवरी 2020 से लागू ड्यूटी ड्रॉबैक की सभी औद्योगिक दरों[19] के अनुसार, क्रम सं. 9401बी - सीट के लिए ड्रॉबैक की निर्धारित दर 1.3 प्रतिशत है।

मैसर्स 'एएम' ऑटोमोटिव सीट इंडिया प्रा. लि. एवं मैसर्स 'एएन' अनंतपुर प्रा. लि. ने क्रमशः चेन्नई समुद्री पोर्ट एवं कट्टुपल्ली पोर्ट के माध्यम से ₹139.60/₹123.35 करोड़ मूल्य के 'ऑटोमोटिव सीटिंग सिस्टम/ऑटोमोटिव सीटिंग सिस्टम के पाट्र्स' की 494 खेप का निर्यात किया था। निर्यातित माल को ड्रॉबैक क्रम सं. 870899बी के अंतर्गत 'शीर्षक 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के पुर्जे एवं सहायक उपकरण - अन्य' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था एवं 2 *प्रतिशत* की दर से ड्रॉबैक की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹1.68 करोड़ (₹92.01 लाख + ₹76.18 लाख) की राशि का अधिक भुगतान हुआ।

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2021), विभाग ने निर्यातकों से ₹1.71 करोड़ एवं ₹74.16 लाख ब्याज की वसूली की सूचना दी (अगस्त-सितंबर 2023)।

4.6.2 'कीमती धातु युक्त व्ययित उत्प्रेरक' की डीटीए निकासी पर शुल्क का कम लगाया जाना

एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 30 के अनुसार, एसईज़ेड से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में लाए गए किसी भी माल पर, जहां लागू हो, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग एवं सुरक्षा शुल्क सहित सीमा शुल्क लागू होंगे, जैसा कि

[19] अधिसूचना संख्या 07/2020-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांकित 28 जनवरी 2020

आयातित माल पर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई हो, किसी एसईज़ेड से निकासित माल पर लागू शुल्क एवं टैरिफ निर्धारण की दर, ऐसी निकासी किए जाने की तिथि को लागू दर एवं टैरिफ निर्धारण के आधार पर होगी तथा जहां ऐसी तिथि निश्चित नहीं है, वहां शुल्क के भुगतान की तिथि को लागू होगी। "कीमती धातु या धातु आवरण या कीमती धातु यौगिकों का अपशिष्ट एवं स्क्रैप, जिसका उपयोग मुख्य रूप से धातु के लिए किया जाता है" को सीटीएच 7112 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है एवं इस पर 12.5 *प्रतिशत* की दर से बीसीडी लगता है। तथापि, सीटीएच 7112 के अंतर्गत वर्गीकृत 'व्ययित उत्प्रेरक या चूना युक्त बहुमूल्य धातु' पर अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, क्रम संख्या 364 ए दिनांक 30 जून 2017 के अंतर्गत 9.17 *प्रतिशत* की रियायती दर पर बीसीडी लागू होगा, बशर्ते कि अधिसूचना की निर्धारित शर्तें 9 एवं 106 पूरी की जाएं।

अधिसूचना की शर्त संख्या 9 के अनुसार, आयातक को सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर माल का आयात - आईजीसीआर) नियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

इसके अलावा, आईजीसीआर नियम, 2017 के नियम (5) में यह निर्धारित किया गया है कि जो आयातक छूट अधिसूचना का लाभ लेना चाहता है, उसे आयात के सीमा शुल्क स्टेशन पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सूचित करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना की शर्त संख्या 106 के अनुसार, भुगतान के समय एवं स्थान पर आयातक:

(i) आयात किए जा रहे बहुमूल्य धातु युक्त व्ययित उत्प्रेरक या चूने में निहित बहुमूल्य धातुओं के *प्रतिशत* के संबंध में सीमा शुल्क के सम्मुख एक घोषणापत्र देना होगा कि उक्त माल बहुमूल्य धातुओं की वसूली के लिए आयात किया जा रहा है।

(ii) सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, जो पुनर्प्राप्ति या पुनर्चक्रण प्रयोजनों के लिए बहुमूल्य धातु युक्त व्ययित उत्प्रेरक या भस्म के आयात की अनुमति देता है।

दाहेज एसईजेड (अहमदाबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय) के अंतर्गत मैसर्स 'एओ' एरोमैटिक्स प्रोडक्शन इंडिया प्रा. लि. ने डीटीए में ₹17.40 करोड़ मूल्य के 'स्पेन्ट कैटेलिस्ट (कैट टीबीरेट पीडी लिंडलर एफजी)' को निकासित किया गया (10 मार्च 2021)। माल को

सीटीएच 71129990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया तथा उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 364ए का लाभ देने के पश्चात 9.17 *प्रतिशत* की दर से रियायती बीसीडी लगाकर निकासी की गई।

यह पाया गया कि उक्त अधिसूचना (शर्त 6 एवं 109) के अंतर्गत रियायती शुल्क दर पर माल की डीटीए भुगतान के लिए अपेक्षित दस्तावेज/घोषणाएं प्रस्तुत नहीं की गईं। तदनुसार, इन निकासी पर 9.17 *प्रतिशत* की दर के स्थान पर 12.5 *प्रतिशत* की दर से उचित बीसीडी लागू होता है। इसके परिणामस्वरूप ₹65.65 लाख का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), विभाग ने (अगस्त 2022/फरवरी 2023) ₹65.65 लाख तथा ₹12.62 लाख ब्याज की वसूली की सूचना दी।

4.6.3 निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) द्वारा निर्यात दायित्व की पूर्ति न करना

प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी), 2015-20 के पैरा 6.06 (सी) (ii) में यह निर्धारित किया गया है कि ईओयू इकाइयों द्वारा आयातित चाय का उपयोग आयात की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निर्यात दायित्व (ईओ) की पूर्ति के लिए किया जाएगा। आयात की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर ईओ को पूरा किया जाएगा।

2018-19 के दौरान, मैसर्स 'एपी' ग्रुप लि. (फाल्टा एसईजेड, कोलकाता के अंतर्गत एक ईओयू) ने निर्यात उत्पाद (इंस्टेंट चाय) के उत्पादन के लिए कुल 32,032 किलोग्राम सीलोन चाय का आयात किया था। कुल आयात में से केवल 24,016 किलोग्राम का उपयोग निर्यात उत्पाद के निर्माण के लिए किया गया तथा शेष एक खेप (8,016 किलोग्राम) सीलोन चाय (अप्रैल 2018 में आयातित) निर्धारित छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी अप्रयुक्त रह गई। आयातित चाय की 8,016 किलोग्राम की अप्रयुक्त खेप पर ₹ 26.77 लाख का शुल्क माफ किया गया।

उपरोक्त अप्रयुक्त 8,016 किलोग्राम आयातित चाय के अलावा, कुल प्रयुक्त 24,016 किलोग्राम चाय में से, 8,016 किलोग्राम चाय की एक अन्य खेप (मार्च 2018 में आयातित) का उपयोग 2,500 किलोग्राम निर्यात उत्पाद (इंस्टेंट चाय) के विनिर्माण के लिए किया गया। लेखापरीक्षा ने संज्ञान में लाया कि निर्मित उत्पाद (2,500 किलोग्राम इंस्टेंट चाय) का निर्यात एक वर्ष की समाप्ति के बाद भी नहीं किया गया था, अर्थात वर्ष 2019-20 के अंत तक। यह एचबीपी के पैरा 6.06 (सी) (ii) के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि आयात की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर निर्यात दायित्व पूरा किया

जाना चाहिए। अपूर्ण ईओ पर माफ शुल्क ₹28.33 लाख था। इस प्रकार, ईओ की अपूर्ति से कुल ₹55.10 लाख (₹26.77 लाख + ₹28.33 लाख) का माफ शुल्क वसूली योग्य था। चिन्हित किये जाने पर (जनवरी 2021), विभाग ने ₹82.34 लाख की वसूली की सूचना दी (जून 2022), जिसमें ब्याज भी सम्मिलित था।

4.7 अन्य अनियमितताएं

सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जहां किसी देश से भारत को कोई वस्तु उसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात की जाती है, तो भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर, केन्द्र सरकार एक अधिसूचना द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) लगा सकती है। तदनुसार, 'पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) (सस्पेंशन ग्रेड)', 'पॉलीयूरेथेन लेदर जिसमें किसी भी प्रकार का कपड़ा लेपित सम्मिलित है', 'कॉपर ट्यूब एवं पाइप', हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 'फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल', डीवीडी-आर, '80 माइक्रोन एवं उससे कम मोटाई वाली एल्यूमीनियम फॉयल जैसी वस्तुओं पर एडीडी लगाया गया था, जब इन्हें निर्दिष्ट देशों से आयात किया गया था।

लेखापरीक्षा में ₹1.38 करोड़ के राजस्व वाले छह मामलों में चार आयुक्तालयों[20] के माध्यम से किए गए आयातों पर एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) का गैर/कम लगाया जाना देखा गया। मंत्रालय/विभाग ने सभी छह मामलों में टिप्पणियां स्वीकार कर लीं तथा पांच मामलों में ₹0.95 करोड़ की वसूली की सूचना दी। अभिलेखित किए गए छह मामलों में से, ₹0.78 करोड़ रुपए के राजस्व से जुड़े दो मामलों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है तथा शेष चार मामले **अनुलग्नक 40** में सूचीबद्ध हैं।

4.7.1 पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क न लगाना

चीन में उत्पन्न या वहां से निर्यातित, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 3904 के अंतर्गत वर्गीकृत विनाइल क्लोराइड मोनोमर (पीवीसी) (सस्पेंशन ग्रेड) के होमोपॉलीमर के आयात पर निर्धारित दरों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगता है (अधिसूचना संख्या 32/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अगस्त, 2019।

मैसर्स 'एक्यू' पॉलीटेक इंडस्ट्रीज प्रा. लि., कोलकाता एवं एक अन्य[21] ने कोलकाता समुद्री पोर्ट के माध्यम से चीन से 'पीवीसी रेजिन ग्रेड एसजी5' की दो खेपें (अप्रैल/दिसंबर 2021)

[20] जेएनसीएच-मुंबई, आईसीडी-तुगलकाबाद, दिल्ली, कोलकाता (सागर) और कस्टम हाउस (एपी और एसईजेड)- मुंद्रा

[21] मैसर्स 'एआर' इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.

आयात कीं। आयात को सीटीएच 3094 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, लेकिन एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए बिना ही निकासी दे दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹41.21 लाख राशि के शुल्क को नहीं लगाया गया।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2022), विभाग ने कुल ₹41.21 लाख के शुल्क की पूरी वसूली की सूचना दी (दिसंबर 2022)।

4.7.2 पीयू कोटेड फैब्रिक के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क न लगाना'

"पॉलीयुरेथेन चमड़ा जिसमें पॉलीयुरेथेन (पीयू) के साथ एक तरफ या दोनों तरफ लेपित किसी भी प्रकार का कपड़ा सम्मिलित है" सीटीएच 5603 94 90 या 5903 20 90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है यदि चीन में उत्पन्न या वहां से निर्यात किया जाता है, तो उस पर निर्धारित दर से एडीडी लगता है (सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 14/2022 (एडीडी) , दिनांक 20 मई 2022)।

मैसर्स 'एएस' मार्केटिंग प्रा. लि. एवं आठ अन्य ने चीन से "पीयू कोटेड फैब्रिक" की 10 खेपें आयात कीं (मई से दिसंबर 2022 तक)। आयातित माल को सीटीएच 59032090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, लेकिन निर्धारित एडीडी लगाए बिना ही उसे निकासी दे दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹36.96 लाख का एडीडी शुल्क नहीं लगाया गया।

इंगित किये जाने पर (मई 2023), विभाग ने दो आयातकों (मैसर्स 'एटी' इंडिया प्रा. लि. एवं मैसर्स 'एयू' एक्जिम) से ब्याज सहित ₹5.45 लाख की वसूली की सूचना दी (दिसंबर 2023)। शेष आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

4.7.3 तांबे की ट्यूब के आयात पर प्रतिपूरक शुल्क (सीवीडी) न लगाया जाना

सीमा शुल्क दर अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अनुसार, प्रतिपूरक शुल्क (सीवीडी) आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाली दर है, जो निर्यातक देश द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए लगाया जाता है। केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से आयातित वस्तुओं पर सीवीडी लगा सकती है, यदि कोई देश या क्षेत्र उनके निर्माण, उत्पादन या निर्यात पर सब्सिडी प्रदान करता है।

सीटीएच 74111000, 74112100, 74112200, एवं 74112900 के अंतर्गत वर्गीकृत "कॉपर ट्यूब एवं पाइप" के आयात, जो मलेशिया, थाईलैंड एवं वियतनाम में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाते हैं, तो निर्धारित दरों पर सीवीडी लागू होता हैं (अधिसूचना संख्या 2/2022-सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 28 अप्रैल 2022)।

मैसर्स 'एवी' मेटल्स एवं दस अन्य ने आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से "कॉपर ट्यूब्स" की 18 खेपें आयात की (अप्रैल से जुलाई 2022 तक)। आयातित वस्तुओं को सीटीएच 74111000 के अंतर्गत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन पूर्वोक्त अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित सीवीडी लगाए बिना ही उन्हें निकासी दे दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹81.64 लाख का शुल्क कम लगाया गया।

इंगित किये जाने पर (नवंबर 2022), विभाग ने छः आयातकों से ब्याज सहित ₹40.15 लाख की वसूली एवं अन्य पांच आयातकों को पूर्व सूचना परामर्श जारी करने की सूचना दी (जनवरी 2024)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2025)।

नई दिल्ली
दिनांक: 08 अक्टूबर 2025

(स्मिता गोपाल)
प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 10 अक्टूबर 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर तथ्य पत्रक

1 अप्रैल 2023 तक **(पैरा 1.9 देखें)**

औपचारिक अनुमोदनों की संख्या (31 मार्च 2023 तक)	**424**		
अधिसूचित एसईजेड की संख्या (31 मार्च 2023 तक)	376 तथा 7 केंद्रीय सरकार व 12 राज्य/ निजी एसईजेड		
परिचालनगत एसईजेड	275		
एसईजेड में स्वीकृत इकाइयाँ (31 मार्च 2023 तक)	5,675		
निवेश	**निवेश (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील निवेश**	**कुल निवेश (1 अप्रैल 2023 तक)**
केंद्र सरकार के एसईजेड	₹ 2,279.20 करोड़.	₹ 21,953.64 करोड़.	₹ 24,232.84 करोड़.
2006 **से पहले स्थापित राज्य/ निजी एसईजेड**	₹ 1,756.73 करोड़.	₹ 11,718.61 करोड़.	₹ 13,474.92 करोड़.
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र	-	₹ 6,22,476.18 करोड़.	₹ 6,22,476.18 करोड़.
कुल	**₹ 4,035.93 करोड़.**	**₹ 6,56,148.43 करोड़.**	**₹ 6,60,183.94 करोड़.**
रोज़गार	**रोज़गार (फरवरी 2006 तक)**	**वृद्धिशील रोजगार**	**कुल रोजगार (1 अप्रैल 2023 तक)**
केंद्र सरकार के एसईजेड	1,22,236 व्यक्ति	71,579 व्यक्ति	1,93,815 व्यक्ति
2006 **से पहले स्थापित राज्य/ निजी एसईजेड**	12,468 व्यक्ति	96,222 व्यक्ति	1,08,690 व्यक्ति
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एसईजेड	-	25,93,107 व्यक्ति	25,93,107 व्यक्ति
कुल	**1,34,704 व्यक्ति**	**27,60,908 व्यक्ति**	**28,95,612 व्यक्ति**
निर्यात प्रदर्शन			
वर्ष	**निर्यात (₹ करोड़ में)**		**वृद्धि *प्रतिशत***
वि.व.19	7,01,179		21
वि.व.20	7,96,669		14
वि.व.21	7,59,524		(-)5
वि.व.22	9,90,747		30
वि.व.23	12,63,578		28

कुल निवेश ₹ करोड़ में)	**वि.व.19**	**वि.व.20**	**वि.व.21**	**वि.व.22**	**वि.व.23**
केंद्र सरकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र	18,677	20,557	21,505	23,113	24,233
2006 **से पहले स्थापित राज्य/ निजी एसईजेड**	13,274	13,534	15,194	14,153	13,475
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र	4,75,693	5,37,644	5,80,800	6,12,439	6,22,476
कुल	**5,07,644**	**5,71,735**	**6,17,499**	**6,49,705**	**6,60,184**
रोजगार (व्यक्तिगत रूप से)	**वि.व.19**	**वि.व.20**	**वि.व.21**	**वि.व.22**	**वि.व.23**
केंद्र सरकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र	2,28,037	1,97,777	1,87,879	1,95,967	1,93,815
2006 **से पहले स्थापित राज्य/ निजी एसईजेड**	1,03,052	1,09,124	1,06,553	1,09,905	1,08,690
अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र	17,29,966	19,31,404	20,63,704	23,90,308	25,93,107
कुल	**20,61,055**	**22,38,305**	**23,58,136**	**26,96,180**	**28,95,612**

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का पत्र क्रमांक के 43015(18)/2019-एसईजेड दिनांक 11.05.2025

अनुलग्नक 2

डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क चोरी के मामले (योजना-वार)

(पैरा 1.13.1 देखें)

क्रम सं.	योजना	वि.व.19	वि.व.20	वि.व.21	वि.व.22	वि.व.23
		मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या
		शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)	शुल्क (₹ करोड़ में)
1	अंतिम उपभोग एवं अन्य अधिसूचना शर्तों का दुरुपयोग	60	17	39	46	59
		539.47	117.90	691.29	765.94	200.95
2	ईपीसीजी का दुरुपयोग	32	77	45	28	25
		72.90	389.42	161.60	113.11	47.42
3	अवमूल्यन	80	45	34	37	47
		301.01	106.85	201.33	139.32	547.19
4	गलत घोषणा	211	179	425	205	201
		791.89	349.45	1,419.30	1,626.02	1,497.20
5	ड्रॉबैक योजना का दुरुपयोग	21	83	53	47	13
		6.87	257.71	66.64	23.85	18.28
6	ईओयू/ईपीजेड/एसईजेड का दुरुपयोग	3	2	5	3	4
		4.95	1.57	7.05	4.83	32.75
7	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरुपयोग	178	70	34	26	29
		3433.40	335.73	220.28	434.12	102.10
8	अन्य	167	288	170	213	204
		1077.70	624.80	720.69	1,497.04	1,810.29
	कुल	**752**	**761**	**805**	**605**	**582**
		6,228.19	**2,183.43**	**3,488.19**	**4,604.24**	**4,256.19**

स्रोत: वित्त मंत्रालय का पत्र संख्या एफ.सं.307/46/2022-(पीएसी-सी.शु.) दिनांक 07.03.2025, वि.व. 23 हेतु

अनुलग्नक 3: एमईआईएस/एसईआईएस के निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई पिछली सिफारिशों का कार्यान्वयन–वर्ष 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 5

(पैराग्राफ 3.6 का सन्दर्भ लें)

क्र.	सिफारिश	एमओसी /डीजीएफटी द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	सरकार के ई-गवर्नेंस की ओर प्रयास तथा स्वचालन में डीजीएफटी द्वारा प्राप्त व्यापक अनुभव को देखते हुए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेशी व्यापार प्रोत्साहन योजनाओं के प्रशासन की पूरी प्रणाली को पूर्णतया स्वचालित बनाया जाए, तथा इसके लिए योजना के प्रावधानों के अनुरूप एक सुदृढ़ प्रणाली बनाई जाए तथा साथ ही आईसीईएस, एसईजेड ऑनलाइन आदि जैसी लिंक्ड/आधारभूत प्रणालियों में पहले से उपलब्ध सूचना का लाभ उठाया जाए, ताकि यह सत्य का एकमात्र स्रोत बन जाए।	दिनांक 01.01.2021 से एमईआईएस योजना बंद कर दी गई है। पिछली अवधि के लिए स्क्रिप जारी करने के लिए विकसित की जा रही नई आईटी प्रणाली में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। इसी तरह, एसईआईएस योजना को वि.व. 2020-21 के आगे जारी नहीं रखा गया। आगे बताया गया (सितंबर 2023) कि प्रणाली-आधारित अनुमोदन अब एक सुदृढ जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत है जिसके जारी होने के बाद लेखापरीक्षा का प्रावधान है। तदनुसार, एसईआईएस आवेदनों की प्रोसेसिंग ऑफ़लाइन माध्यम में की जा रही है।	विदेशी व्यापार प्रोत्साहन योजनाओं के प्रशासन हेतु प्रणाली के स्वचालन को एसईआईएस योजना के लिए आंशिक रूप से अनुपालन किया गया। हालाँकि दोनों योजनाओं को बंद कर दिया गया है, लेकिन बाद में जारी किए गए एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप्स, पिछले अवधि के दावों से संबंधित हैं (एमईआईएस स्क्रिप्स- 3,17,724; एसईआईएस स्क्रिप्स- 14,352) जिनमें क्रमशः ₹36,417 करोड़ एवं ₹9,494 करोड़ का ड्युटी क्रेडिट सम्मिलित है, जो वि.व. 21 से वि.व. 23 के दौरान जारी किए गए थे, उनमें भी उल्लंघन हैं, जबकि विभाग ने स्क्रिप्स के अनुमोदन के लिए एक पूर्ण-सुरक्षित तंत्र होने का आश्वासन दिया था। **इन मामलों पर इस प्रतिवेदन के पैरा 3.7.1 से 3.7.3 में चर्चा की गई है।** **तदनुसार, सिफारिश पुनःदोहराई जाती है।**
2	डीजीएफटी को एमईआईएस/ एसईआईएस स्क्रिप्स प्रदान करने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल दोनों माध्यमों से स्क्रिप्स प्रदान करने के लिए उपयुक्त जांचसूची तैयार करनी चाहिए।	मुख्यालय एवं आरए स्तर पर लंबित एसईआईएस दावों की नियमित निगरानी की गई एवं इसे एक व्यापक जांचसूची जारी करने की तुलना में बेहतर साधन माना गया, जो एसईआईएस दावों को अस्वीकार करने के लिए एक कानूनी चुनौती बन सकता था। दिनांक 16/09/2021 के बाद जारी किए गए नए स्क्रिप्स की वैधता अवधि में एक नया बदलाव किया गया है। इसे 12 महीने रखा गया है।	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, बल्कि जांचसूची आवेदक एवं स्क्रिप्स जारी करने वाले प्राधिकारी के लिए प्रक्रियाओं हेतु एक पारदर्शी संरचित ढांचा प्रदान करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया में सभी आवश्यक चरणों का पालन किया जाता है, जिससे चूक या त्रुटियों का जोखिम कम हो एवं दक्षता में सुधार हो। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाए गए मामलों को प्रतिवेदन में उजागर किया गया है। **सिफारिश पुनःदोहराई जाती है।**
3	स्क्रिप जारी करने की स्वचालित प्रणाली में त्रुटियाँ एवं अपव्ययताओं	आरए से प्राप्त फीडबैक से पता चलता है कि अतिरिक्त प्रोत्साहनों के अनुदान	एमईआईएस के स्क्रिप जारी करने संबंधी स्वचालित प्रणाली में त्रुटियाँ एवं

क्र.	सिफारिश	एमओसी /डीजीएफटी द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	को दूर करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को मजबूत किया जाना चाहिए। उचित नीतिगत ढांचा एवं सतर्क प्रणाली लागू किए जाने की आवश्यकता है, जिससे निर्यातकों के लिए कमीशन, बीमा एवं माल ढुलाई (सीआईएफ) घोषित करना अनिवार्य हो एवं डीजीएफटी के लिए प्रणाली द्वारा निर्धारित चुनिंदा मामलों में निर्यातक/आवेदक की स्व-घोषणा की यथार्थता की जांच करना अनिवार्य हो।	के लिए कोई प्रणाली-आधारित विसंगति नहीं देखी गई है एवं समय-समय पर आईटी मॉड्यूल में और सुधार किए गए हैं। नई ऑनलाइन सुविधा में संशोधित नए निर्देश सभी आरए को बता दिए गए हैं। एसईआईएस आवेदनों की जांच मैनुअल है एवं स्वचालित नहीं है।	अपव्ययताओं को दूर करके आरएमएस को मजबूत बनाने के संबंध में निर्देशों/परिपत्र की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है। डीएफजीटी के आश्वासन के बावजूद, अतिरिक्त प्रोत्साहनों के अनुदान को रोकने में लगातार विफलता, प्रणाली में कमजोरियों का संकेत देती है, जो अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई। **इस प्रतिवेदन में इन मामलों पर प्रकाश डाला गया है।** **सिफारिश पुनःदोहराई जाती है।**
4	अध्याय 3 में बताये गए प्रोत्साहनों के अत्यधिक अनुदान पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रचलित मैनुअल सत्यापन के मद्देनजर नमूना मामलों पर किए गए नमूना जांच पर आधारित थे। इस बात की पूरी संभावना है कि भूल एवं चूक की ऐसी त्रुटियां कई एवं मामलों में मौजूद हो सकती हैं। विभाग अध्याय 3 में सूचित किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर सभी शेष लेनदेन की भी जांच कर सकता है।	विभाग ने बताया (जुलाई 2023) कि एमईआईएस एवं एसईआईएस प्रोत्साहन ऑनलाइन आईटी मॉड्यूल में की गई गणना के आधार पर दिए गए थे।	विभाग ने केवल उन लाइसेंसों की जांच की जो आरएमएस मॉड्यूल द्वारा बाधित किए गए थे, लेकिन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय 3 में बताए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर शेष लेन-देनों की जांच करने में विफल रहा।
5	हथकरघा श्रेणी के अंतर्गत विद्युत करघा उत्पादों के गलत वर्गीकरण की गुंजाइश को रोकने के लिए, विद्युत करघा एवं हथकरघा प्रक्रिया के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।	राजस्व विभाग की टैरिफ इकाई ने हथकरघा क्षेत्र से संबंधित एचएस कोड की सूची प्रस्तुत की है, जो सृजित किए गए हैं तथा वर्तमान टैरिफ में विद्यमान हैं।	लेखापरीक्षा की ओर से कोई एवं टिप्पणी नहीं की गई।फिर भी, गलत वर्गीकरण के मामले देखे गए, जिसमें विद्युत करघा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए उच्च दरों का दावा किया गया/अनुमोदन किया गया, जैसा कि **इस प्रतिवेदन के पैरा 3.7.2 में बताया गया है।**
6	अस्पष्टता से बचने एवं पात्र सेवाओं पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए, डीजीएफटी पात्र सेवाओं की सूची की केवल क्रम संख्या बताने के बजाय, केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) कोड एवं जिस माध्यम के अंतर्गत यह आता है, उसके साथ सेवा के सटीक वर्गीकरण पर सीए प्रमाणपत्र के लिए जोर देने पर	आवेदनों को आरए द्वारा संसाधित किया जाता है एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण होने के नाते उन्हें एफटी (डी एंड आर) अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं। गलत घोषणा के मामलों में, आरए द्वारा कानूनानुसार अनिवार्य रूप से आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है,	किसी भी निर्देश के अभाव में, मंत्रालय के इस आश्वासन के बावजूद कि क्षेत्रीय प्राधिकारियों को निर्यातक द्वारा गलत घोषणा पर कार्रवाई करने का अधिकार है, ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आवेदक/सीए द्वारा गलत घोषणा के आधार पर ड्युटी क्रेडिट स्क्रिप जारी किए गए।

क्र.	सिफारिश	एमओसी /डीजीएफटी द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	विचार कर सकता है। योजना लाभों के लिए उपलब्ध कोड एवं माध्यम के बारे में उपयुक्त स्पष्टता एवं आवेदक की घोषणाओं एवं सीए प्रमाणपत्रों में पाई गई कमियों पर दंडात्मक प्रावधानों को प्रणाली में लाया जा सकता है। सीए की जिम्मेदारी भी स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए एवं उनकी ओर से विफलता की सूचना उचित प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।	जहाँ भी आवश्यक हो। इसके अलावा, गलत घोषणा के लिए सीए को दंडित करने के संबंध में, ऐसे परिदृश्य में कार्रवाई करने के लिए डीजीएफटी मुख्यालय द्वारा कोई निर्देश दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आरए , अपराध/अपराधी एवं मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र प्राधिकारी हैं, जहाँ भी वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए परिकल्पित कानूनी ढांचे के अनुसार उचित समझें।	**इन उदाहरणों को इस प्रतिवेदन के पैरा 3.7.2 में उल्लिखित किया गया है।**
8	डीजीएफटी एसईआईएस स्क्रिप जारी करने से पहले आवश्यक बुनियादी जांच के बारे में आरए को स्पष्ट निर्देश जारी कर सकता है। आवेदक की घोषणाओं एवं सीए प्रमाणपत्रों में कमियां पाए जाने पर दंडात्मक प्रावधानों को लागू करना अनिवार्य बनाया जा सकता है।	डीजीएफटी ने स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2020) कि आयत निर्यात फॉर्म (एएनएफ) 3बी को संशोधित कर इसमें एक प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, जिसमें सीए यह प्रमाणित कर सकेगा कि एसईआईएस के अंतर्गत दावा की गई सेवाएं दावा सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए विशेष रूप से प्रारूप 1 एवं प्रारूप 2 के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि एसईआईएस को बंद कर दिया गया है।	लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि सिफारिश लागू की गई है या नहीं, क्योंकि संशोधित एएनएफ 3बी उपलब्ध कराने के लिए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/सीए द्वारा गलत घोषणा के आधार पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की गई थी, जिनका **इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।**
9	डीजीएफटी पोर्ट सेवाओं के संबंध में प्रणाली तैयार कर सकता है ताकि वास्तविक सेवा प्रदाताओं को रिवार्ड देने के इरादे को सेवाओं के एग्रीगेटर के दावों के सापेक्ष संरक्षित किया जा सके एवं सीमा शुल्क अधिसूचना में छूट की शर्तों को एसईआईएस योजना के प्रावधानों के साथ तालमेल में तैयार किया जा सके।	विधिक मामलों के विभाग ने राय दी है कि अधिसूचना संशोधन का केवल भावी प्रभाव होगा। चूंकि एसईआईएस वर्ष 2020 में ही समाप्त हो चुका है, इसलिए 2023 में इस स्तर पर प्रत्याशित संशोधन से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।	लेखापरीक्षा ने सहमति जताई कि भावी संशोधन से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, तथ्य यह है कि अधिसूचना में अस्पष्टता अभी भी मौजूद है। पोर्ट सेवाओं के सेवा प्रदाताओं द्वारा अनियमित ड्यूटी क्रेडिट प्राप्त करने के मामले देखे गए हैं, जहां रॉयल्टी, टर्मिनल हैंडलिंग शुल्क जैसे शुल्कों की अनुमति दी गई थी, जिन्हें **इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया है।**
10	विभिन्न एजेंसियों {डीजीएफटी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई),	विभाग ने बताया (जून 2023) कि एसईआईएस को दिनांक	डीजीएफटी एवं बैंकों के लिए अलग-अलग सीपीसी कोड के अंतर्गत

क्र.	सिफारिश	एमओसी /डीजीएफटी द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
	सीमा शुल्क आदि} द्वारा सेवाओं के वर्गीकरण को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) के केंद्रीय उत्पाद वर्गीकरण (सीपीसी) कोड के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है, ताकि सीपीसी कोड पर आधारित प्रोत्साहनों के किसी भी दुरुपयोग से बचा जा सके।	01.04.2020 से बंद कर दिया गया है।	सेवाओं को वर्गीकृत करके एसईआईएस के अंतर्गत प्रोत्साहन के दुरुपयोग से संबंधित मामलों को देखा गया है एवं इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया है। लेखापरीक्षा सिफारिश पुनःदोहराई जाती है।
11	यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि क्षेत्राधिकार डीसी एक ही निर्यात के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों (डीजीएफटी, आरबीआई, सीमा शुल्क आदि) को सूचित की जा रही सेवा के वर्गीकरण की वैधता को सत्यापित करें।	एसईआईएस को दिनांक 01.04.2020 से बंद कर दिया गया है एवं एफटीपी 2023 में सेवाओं के निर्यात के लिए कोई नई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।	लेखापरीक्षा की सिफारिश विभिन्न एजेंसियों को सूचित किए जाने वाले वर्गीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के संदर्भ में थी, जो किसी भी आगामी व्यवस्था के लिए निर्यात प्रोत्साहनों की निगरानी के लिए रोडमैप के रूप में काम कर सकती है। क्षेत्राधिकार संबंधी अनुशासन न अपनाने के कारण सेवा प्रदाता द्वारा अनियमित ड्युटी क्रेडिट प्राप्त करने के मामलों को इस प्रतिवेदन के पैरा 3.7.2 एवं 3.7.3 के अंतर्गत रेखांकित किया गया है। लेखापरीक्षा सिफारिश पुनःदोहराई जाती है।
12	क्षेत्रीय प्राधिकरणों को सॉफ्टेक्स फॉर्म के लिए जोर देना चाहिए, जो आंकड़ा लिंक के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल एवं सेवाओं का निर्यात) विनियम 2000 के अंतर्गत एक अनिवार्य घोषणा थी, उन मामलों में जहां सेवाओं को मोड-1 श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत/घोषित किया गया था।	एसईआईएस को दिनांक 01.04.2020 से बंद कर दिया गया है एवं एफटीपी 2023 में सेवाओं के निर्यात के लिए कोई नई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंकड़ा लिंक के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मोड 1 प्रकार की सेवाओं के लिए एफईएमए के अंतर्गत सॉफ्टेक्स फॉर्म पहले से ही एक अनिवार्य आवश्यकता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सॉफ्टवेयर निर्यातों का हिसाब रखा जाए एवं विदेशी मुद्रा प्रवाह को ट्रैक एवं विनियमित किया जाए।

क्र.	सिफारिश	एमओसी /डीजीएफटी द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			इस प्रतिवेदन में पैरा 3.7.3 के अन्तर्गत ऐसे मामले देखे गए हैं तथा उन पर टिप्पणी की गई है, जिनमें अयोग्य सेवाओं के लिए अनियमित रूप से एसईआईएस लाभों का दावा किया गया था।
13	व्यवसाय को आसान बनाने के लिए यह सिफारिश की गई कि डीजीएफटी शिकायत निवारण के लिए एक अंतर्निहित प्रणाली पर विचार कर सकता है। इसका विश्लेषण योजना में सुधार के लिए फीडबैक तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दावों को संसाधित करने में लगने वाले समय, आरएमएस जांच आदि जैसे मापदंडों पर योजनाओं की निगरानी की जा सकती है ताकि योजना को लागू करने में आरए के प्रदर्शन का आकलन किया जा सके।	एमईआईएस/एसईआईएस दोनों योजनाओं के लिए बैक ऑफिस पोर्टल के माध्यम से नई आईटी प्रणाली में एक निगरानी प्रणाली पहले से ही मौजूद है, जहां दोनों योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत/अस्वीकृत/लंबित आवेदन के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है।	नई आईटी प्रणाली की प्रभावकारिता की जांच डीजीएफटी ईडीआई प्रणाली के आईटी लेखापरीक्षा के दौरान की जाएगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने कई ऐसे मामले देखे जिनमें मॉड्यूलों में प्रणाली आधारित सत्यापन जांचों का कार्यान्वयन न किए जाने तथा क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा उचित निगरानी के अभाव के कारण एमईआईएस तथा एसईआईएस के अंतर्गत अतिरिक्त ड्युटी क्रेडिट हुआ, जिसे इस प्रतिवेदन के पैरा 3.7.1 से 3.7.3 में दर्शाया गया है।
14	डीजीएफटी ऐसी किसी भी योजना की उपलब्धियों के संबंध में उस योजना के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन कराने पर विचार कर सकता है।	दोनों योजनाएं (एमईआईएस/ एसईआईएस) बंद कर दी गई हैं, इसलिए मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन वांछनीय नहीं हो सकता है। हालांकि, लेखापरीक्षा के सुझाव पर गौर किया गया है एवं नई योजनाओं के मध्यावधि मूल्यांकन का प्रावधान उचित रूप से सम्मिलित किया जाएगा।	विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि किसी भी योजना का मध्यावधि या आवधिक मूल्यांकन, योजना के परिव्यय एवं परिणामों को समझने तथा कमियों के मामले में मध्यावधि सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अनुलग्नक 4: एमईआईएस स्क्रिप जारी करने में विलंब पैराग्राफ 3.7.1 (ए) देखें		
क्रम सं.	**आरए /एसईजेड का नाम**	**मामलों की संख्या**
1	बेंगलुरु	216
2	पुणे	116
3	एसईईपीज़ेड - मुंबई	40
4	मुंबई	124
5	दिल्ली	119
6	विशाखापत्तनम	15
7	अहमदाबाद	63
8	हैदराबाद	155
9	केएएसईज़ेड कांडला	46
10	वडोदरा	95
11	डीसी-वीएसईजेड	49
12	लुधियाना	49
13	कोयंबटूर	19
14	जयपुर	36
15	पानीपत	50
16	चेन्नई	92
17	एमईपीजेड-चेन्नई	48
18	वाराणसी	29
19	सीएसईजेड-कोच्चि	32
20	इंदौर	28
21	कोलकाता	48
22	कानपुर	38
23	नोएडा एसईजेड	13
24	गुवाहाटी	99
25	कोच्चि	20
26	फाल्टा एसईजेड	15
27	भोपाल	2
	कुल	**1,656**

अनुलग्नक 5: एसईआईएस स्क्रिप जारी करने में विलंब

पैराग्राफ 3.7.1 (बी) देखें

क्रम सं.	आरए /एसईजेड का नाम	मामलों की संख्या
1	जयपुर	19
2	मुंबई	19
3	बेंगलुरु	20
4	विशाखापत्तनम	46
5	लुधियाना	22
6	इंदौर	8
7	हैदराबाद	24
8	दिल्ली	50
9	पुणे	17
10	अहमदाबाद	14
11	पानीपत	4
12	कांडला	4
13	वडोदरा	16
14	सीप्ज़ - मुंबई	10
15	एमईपीजेड-चेन्नई	18
16	कोयंबटूर	12
17	चेन्नई	18
18	वीएसईजेड	13
19	डीसी, फाल्टा एसईजेड	2
20	वाराणसी	2
21	गुवाहाटी	1
22	कोलकाता	18
	कुल	**357**

अनुलग्नक 6: अस्वीकृत इकाई सूची में सम्मिलित फर्मों को जारी किए गए एमईआईएस स्क्रिप्स

पैराग्राफ 3.7.1 (सी) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	मामलों की संख्या	क्रेडिट शुल्क (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	84	3221.84
2	बेंगलुरु	31	270.00
3	कोयंबटूर	8	75.65
4	हैदराबाद	25	726.57
5	कानपुर	25	748.93
6	लुधियाना	59	1071.49
7	मुंबई	16	893.21
8	नई दिल्ली	23	363.01
9	पानीपत	1	29.64
10	पुणे	22	316.82
11	वडोदरा	57	511.30
12	विशाखापत्तनम	12	57.07
13	डीसी एसईईपीज़ेड मुंबई	7	392.09
14	केएएसईज़ेड कांडला	3	38.13
15	एमईपीजेड-चेन्नई	5	64.37
16	वीएसईजेड-विशाखापत्तनम	10	343.28
	कुल	**388**	**9123.39**

अनुलग्नक 7: दंडित आईईसी धारकों को जारी किए गए एमईआईएस स्क्रिप्स

पैराग्राफ 3.7.1 (डी) देखें

क्र.सं.	आरए	मामलों की संख्या	स्क्रिप मूल्य (₹लाख में)
1	कोयंबटूर	9	69.32
2	लुधियाना	10	41.92
3	पानीपत	14	77.97
4	मुंबई	1	5.22
5	पुणे	4	34.82
	कुल	**38**	**229.24**

अनुलग्नक 8: दंडित आईईसी धारकों को जारी किए गए एसईआईएस स्क्रिप्स

पैराग्राफ 3.7.1 (डी) देखें

क्र.सं.	आरए	मामलों की संख्या	स्क्रिप मूल्य (₹ लाख में)
1	मुंबई	3	30.00

अनुलग्नक 9: शिपिंग बिल्स् के अनुसार एमईआईएस स्क्रिप मूल्य एवं वास्तविक पात्रता के बीच विसंगतियां

पैराग्राफ 3.7.1 (ई) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	मामलों की संख्या	अतिरिक्त स्क्रिप मूल्य (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	2	0.28
2	सीएसईजेड-कोच्चि	1	0.56
3	दिल्ली	1	1.04
4	फाल्टा सेज	1	0.07
5	हैदराबाद	3	30.59
6	केएएसईज़ेड कांडला	3	0.24
7	मुंबई	1	0.25
8	पुणे	1	0.09
	कुल	**13**	**33.12**

अनुलग्नक 10: आयातक निर्यातक कोड के अनुसार स्क्रिप धारक के नाम में विसंगति

पैराग्राफ 3.7.1 (एफ) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	मामलों की संख्या	क्रेडिट शुल्क (₹ लाख में)
1	बेंगलुरु	21	365.80
2	दिल्ली	9	167.44
3	केएएसईज़ेड कांडला	12	183.21
4	कोलकाता	13	529.37
5	पानीपत	28	लागू नहीं
6	वडोदरा	7	31.10
	कुल	**90**	**1,276.92**

अनुलग्नक 11: दो सक्रिय लाइसेंस एवं दो अलग-अलग फाइलों में एक ही प्रेषण बिल का उपयोग

पैराग्राफ 3.7.1 (जी) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	परिदृश्य 1				परिदृश्य 2			
		फ़ाइलों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	एसबी की संख्या	रिवार्ड राशि (₹ लाख में)	फ़ाइलों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	एसबी की संख्या	रिवार्ड राशि (₹ लाख में)
1	बेंगलुरु	9	7	74	39.81	10	8	74	39.81
2	इंदौर	1	1	10	4.83	1	1	10	4.46
3	मुंबई	5	6	38	27.07	5	6	38	34.50
4	पुणे	5	5	52	27.32	10	10	52	26.57
5	डीसी एसईईपीज़ेड मुंबई	1	1	14	4.51	1	1	14	12.44
	कुल	**21**	**20**	**188**	**103.53**	**27**	**26**	**188**	**117.78**

अनुलग्नक 12: दोनों योजनाओं अर्थात एमईआईएस एवं आरओएससीटीएल में पाए गए एसबी

पैराग्राफ 3.7.1 (एच) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आईईसी धारकों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	एसबी की संख्या	स्क्रिप राशि (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	1	37	626	410.37
2	बेंगलुरु	6	79	2291	539.20
3	भोपाल	1	3	5	4.44
4	चेन्नई	4	35	730	391.66
5	कोयंबटूर	61	102	1,055	449.16
6	दिल्ली	56	145	1,936	893.41
7	फाल्टा सेज	1	1	2	2.78
8	हैदराबाद	1	3	54	42.53
9	इंदौर	**1**	**2**	89	21.51
10	जयपुर	40	45	208	746.60
11	कानपुर	7	38	284	119.23
12	कोलकाता	5	36	188	110.34

अनुलग्नक 12: दोनों योजनाओं अर्थात एमईआईएस एवं आरओएससीटीएल में पाए गए एसबी पैराग्राफ 3.7.1 (एच) देखें					
क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आईईसी धारकों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	एसबी की संख्या	स्क्रिप राशि (₹ लाख में)
13	लुधियाना	14	31	282	170.68
14	मुंबई	20	23	329	300.37
15	पानीपत	23	47	252	162.83
16	पुणे	5	5	14	13.51
17	वडोदरा	4	4	8	2.26
18	वाराणसी	6	10	8	8.50
19	विशाखापत्तनम	5	10	40	40.72
	कुल	**261**	**656**	**8,401**	**4,430.11**

अनुलग्नक 13: आरओएससीटीएल योजनाओं के बजाय एमईआईएस में उपयोग किए जाने वाले एसबी पैराग्राफ 3.7.1 (एच) देखें					
क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आईईसी धारकों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	एसबी की संख्या	स्क्रिप राशि (₹ लाख में)
1	एमईपीज़-एसईज़ेड चेन्नई	12	30	407	476.88
2	इंदौर	2	37	304	346.89
3	भोपाल	4	8	35	17.57
4	एसईजेड, इंदौर	4	13	137	154.70
	कुल	**22**	**88**	**883**	**996.04**

अनुलग्नक 14: लेट कट का गलत लगाया जाना (एमईआईएस)

पैराग्राफ 3.7.1 (आई) देखें

क्र. सं.	आरए/एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	एसबी की संख्या	2/5/10 *प्रतिशत* के स्थान पर शून्य *प्रतिशत* लगाया गया	5/10 *प्रतिशत* के स्थान पर दो *प्रतिशत* कर लगाया गया	10 *प्रतिशत* के स्थान पर पांच *प्रतिशत* कर लगाया गया	अतिरिक्त रिवार्ड (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	3	3	11	4	7	0	0.12
2	बेंगलुरु	8	8	25	11	11	3	3.32
3	भोपाल	45	45	324	274	47	3	19.08
4	चेन्नई	180	180	614	520	13	81	11.71
5	डीसी एसईईपीज़ेड मुंबई	2	2	51	48	3	0	0.68
6	फाल्टा सेज	9	9	378	378	0	0	1.29
7	इंदौर	28	29	207	166	30	11	14.41
8	केएएसईज़ेड कांडला	2	2	2	2	0	0	0.03
9	एमईपीजेड चेन्नई	3	3	31	15	15	1	1.21
10	मुंबई	8	8	25	17	7	1	5.65
11	एनएसईजेड नोएडा	55	6	176	176	0	0	2.67
12	पुणे	4	4	10	4	0	6	0.10
13	एसईजेड, इंदौर	2	2	57	57	0	0	12.40
14	वडोदरा	4	4	22	14	1	7	0.18
15	वाराणसी	55	55	349	328	1	20	8.17
16	विशाखापत्तनम	62	62	523	493	26	4	36.18
17	वीएसईजेड विशाखापत्तनम	7	7	41	41	0	0	3.71
	कुल	**477**	**429**	**2,846**	**2,548**	**161**	**137**	**120.91**

अनुलग्नक 15: लेट कट के गलत उद्ग्रहण के कारण जारी किए गए एसईआईएस स्क्रिप्स

पैराग्राफ 3.7.1 (आई) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	अतिरिक्त स्क्रिप राशि (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	1	60	1	239.26
2	जयपुर	1	1	1	1.04
3	बेंगलुरु	1	3	1	0.45
4	लुधियाना	1	1	1	0.12
5	दिल्ली	1	1	1	1.42
6	कोलकाता	2	38	2	149.46
7	पुणे	1	1	1	1.73
8	मुंबई	1	1	1	0.65
	कुल	**9**	**106**	**9**	**394.12**

अनुलग्नक 16: समय-बाधित शिपिग बिल पैराग्राफ 3.7.1 (जे) देखें				
क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	एसबी की संख्या	स्क्रिप मूल्य (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	2	6	0.37
2	भोपाल	5	16	35.47
3	चेन्नई	33	140	479.23
4	कोयंबटूर	2	65	21.94
5	सीएसईजेड	1	1	2.15
6	डीसी एसईईपीज़ेड मुंबई	3	88	33.09
7	दिल्ली	14	53	41.98
8	हैदराबाद	6	40	7.95
9	इंदौर	3	5	3.80
10	जयपुर	3	3	111.40
11	कानपुर	19	58	38.92
12	कोलकाता	5	63	28.85
13	एनएसईजेड नोएडा	2	24	6.23
14	पुणे	2	26	25.46
15	सेज इंदौर	5	25	79.08
16	वडोदरा	2	33	93.43
17	वाराणसी	4	4	7.28
18	विशाखापत्तनम	4	6	17.49
	कुल	**115**	**656**	**1,034.10**

अनुलग्नक 17: भारतीय रूपये में प्राप्त निर्यात आय के लिए जारी किए गए स्क्रिप्स पैराग्राफ 3.7.2 (ए) देखें				
क्र.सं.	आरए का नाम	स्क्रिप्स की संख्या	एसबी की संख्या	स्क्रिप क्रेडिट मूल्य (₹ लाख में)
1	कोलकाता	2	9	1.89
2	पुणे	1	1	13.29
3	बेंगलुरु	5	17	2.79
	कुल	**8**	**27**	**17.97**

अनुलग्नक 18: अपात्र निर्यात श्रेणियों/क्षेत्रों को एमईआईएस स्क्रिप प्रदान करना

पैराग्राफ 3.7.2 (बी) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आईईसी धारकों की संख्या	एसबी की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	अस्वीकरणीय वस्तुएँ	स्क्रिप्स का मूल्य (₹ लाख में)
1	सीएसईजेड-कोच्चि	1	14	5	पेलेट में मैरीगोल्ड मील	116.67
2	चेन्नई	10	192	61	भारतीय मैकेरल	52.83
3	चेन्नई	22	72	27	प्याज	32.63
4	चेन्नई	15	237	24	डीजीएफ़टी पीएन सं.12/2015-20 दिनांक 10-07-2020 एवं पीएन 17/2015-20 दिनांक 22 -09-2020	23.30
5	चेन्नई	7	24	12	दूध उत्पाद	12.54
6	कोयंबटूर	2	30	3	दूध उत्पाद	5.12
	कुल	**57**	**569**	**132**	**कुल**	**243.09**

अनुलग्नक 19: गलत वर्गीकरण के कारण एमईआईएस रिवार्ड का अतिरिक्त अनुदान

पैराग्राफ 3.7.2 (सी) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	अतिरिक्त राशि (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	10	10	3.29
2	चेन्नई	13	13	37.29
3	कोयंबटूर	82	80	99.56
4	सीएसईजेड- कोच्चि	23	23	210.55
5	दिल्ली	6	6	0.43
6	कोच्चि	36	36	15.28
7	लुधियाना	1	1	0.47
8	मुंबई	3	3	10.19
9	पुणे	2	2	17.37
10	वडोदरा	5	4	14.76
	कुल	**181**	**178**	**409.19**

अनुलग्नक 20: उच्च एमआरआईएस प्रोत्साहन दरों का गलत अनुप्रयोग पैराग्राफ 3.7.2 (डी) देखें				
क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	अतिरिक्त राशि (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	1	1	1.36
2	जयपुर	5	5	0.01
3	कानपुर	32	32	176.64
4	कोच्चि	19	19	1.83
5	लुधियाना	35	36	205.71
6	मुंबई	13	13	2,524.06
7	एनएसईजेड नोएडा	1	1	18.53
8	पानीपत	50	50	169.14
9	पुणे	1	1	8.41
10	वाराणसी	25	26	8.93
11	वडोदरा	3	3	13.32
	कुल	**185**	**187**	**3,127.94**

अनुलग्नक 21: गैर-क्षेत्राधिकार प्राधिकारियों द्वारा एमईआईएस स्क्रिप जारी करना पैराग्राफ 3.7.2 (ई) देखें				
क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	स्क्रिप राशि (₹ लाख में)
1	बेंगलुरु	55	55	793.46
2	विशाखापत्तनम	71	71	1,626.58
3	हैदराबाद	144	144	2,561.82
4	कानपुर	5	5	24.70
5	वाराणसी	22	22	382.35
6	एनएसईजेड-नोएडा	46	46	808.55
	कुल	**343**	**343**	**6,197.46**

अनुलग्नक 22: एसईजेड इकाइयों ने अधिकार क्षेत्र के बाहर एमईआईएस स्क्रिप्ट जारी की

पैराग्राफ 3.7.2 (एफ) देखें

क्र. सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	रिवार्ड राशि (₹ लाख में)
1	जयपुर	20	20	922.94
2	बेंगलुरु	41	41	1,008.66
3	चेन्नई	66	66	305.63
4	एमईपीजेड-चेन्नई	4	4	84.22
5	लुधियाना	1	1	8.32
6	दिल्ली	38	38	541.54
7	एनएसईजेड नोएडा	40	40	356.96
	कुल	**210**	**210**	**3,228.27**

अनुलग्नक 23: जोखिम प्रबंधन प्रणाली मामले

पैराग्राफ 3.7.2 (जी) देखें

क्र. सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	पात्रता राशि (₹ लाख में)
1	चेन्नई	10	10	8	1,370.69
2	कोयंबटूर	22	22	20	785.42
3	एमईपीज़ चेन्नई	2	2	2	7.47
4	बेंगलुरु	34	34	17	1,373.55
5	एडीजीएफटी-कोलकाता	23	23		121.24
6	जेडीजीएफटी-गुवाहाटी				
7	डीसी-फाल्टा एसईजेड				
	कुल	**91**	**91**	**47**	**3,658.38**

अनुलग्नक 23: जोखिम प्रबंधन प्रणाली मामले

पैराग्राफ 3.7.2 (जी) देखें

क्र. सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	पात्रता राशि (₹ लाख में)
1	चेन्नई	10	10	8	1,370.69
2	कोयंबटूर	22	22	20	785.42
3	एमईपीज़ चेन्नई	2	2	2	7.47
4	बेंगलुरु	34	34	17	1,373.55
5	एडीजीएफटी-कोलकाता	23	23		121.24
6	जेडीजीएफटी-गुवाहाटी				
7	डीसी-फाल्टा एसईजेड				
	कुल	**91**	**91**	**47**	**3,658.38**

अनुलग्नक 24: परिशिष्ट-3डी में निर्दिष्ट न की गई सेवाओं को गलत तरीके से एसईआईएस लाइसेंस प्रदान किया गया

पैराग्राफ 3.7.3 (ए) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	अतिरिक्त राशि (₹ लाख में)
1	सीएसईजेड	12	58	4	13,765.67
2	कोच्चि	1	1	1	0.73
3	कोलकाता	2	2	1	41.16
4	पुणे	3	124	2	7,576.15
5	मुंबई	9	105	7	4,500.15
6	दिल्ली	4	4	3	99.84
	कुल	**31**	**294**	**18**	**25,983.69**

अनुलग्नक 25: मोड-3/मोड-4 के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को गलत तरीके से एसईआईएस लाइसेंस जारी किया गया

पैराग्राफ 3.7.3 (बी) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	अनुचित राशि (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	2	2	2	662.66
2	वडोदरा	6	6	3	32.55
3	बेंगलुरु	2	2	2	201.22
4	लुधियाना	1	1	1	0.25
5	पानीपत	1	1	1	1.87
6	चेन्नई	3	3	1	66.35
7	कोयंबटूर	5	5	3	211.88
	कुल	**20**	**20**	**13**	**1,176.78**

अनुलग्नक 26: सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) को प्रोत्साहनों का गलत अनुदान

पैराग्राफ 3.7.3 (सी) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	स्क्रिप राशि (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	1	2	1	7.39
2	जयपुर	3	3	1	30.47
3	सीएसईजेड	8	8	4	1,743.23
4	डीसी, फाल्टा एसईजेड	2	2	1	758.46
	कुल	**14**	**15**	**7**	**2,539.55**

अनुलग्नक 27: गलत वर्गीकरण के कारण अयोग्य सेवाओं को जारी किया गया एसईआईएस लाइसेंस

पैराग्राफ 3.7.3 (डी) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	अतिरिक्त रिवार्ड (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	7	7	5	578.63
2	चेन्नई	1	12	1	11.00
3	कोयंबटूर	6	8	3	63.01
4	सीएसईजेड	3	3	2	642.38
5	डीसी वीएसईजेड	1	1	1	1.11
6	हैदराबाद	4	4	4	936.44
7	जेडीजीएफटी कोच्चि	1	1	1	39.67
8	कांडला एफटी	5	4	3	2,598.06
	कुल	**28**	**40**	**20**	**4,870.31**

अनुलग्नक 28: गलत स्व-घोषणाओं एवं सीए प्रमाणपत्र के प्रति एसईआईएस दावे

पैराग्राफ 3.7.3 (ई) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	अतिरिक्त राशि (₹ लाख में)
1	कांडला सेज	1	1	1	260.13
2	जयपुर	5	5	4	2.73
3	बेंगलुरु	2	2	2	24.11
4	कोयंबटूर	1	1	1	46.02
	कुल	**9**	**9**	**8**	**332.99**

अनुलग्नक 29: आरसीएमसी/सक्रिय आईईसी के बिना जारी किए गए एसईआईएस स्क्रिप्स पैराग्राफ 3.7.3 (एफ) देखें					
क्र.सं.	आरए का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	रिवार्ड राशि (₹ लाख में)
1	बेंगलुरु	3	3	2	767.01
2	लुधियाना	3	3	2	124.21
3	पुणे	7	7	7	1,548.07
4	मुंबई	3	3	3	510.13
	कुल	**16**	**16**	**14**	**2,949.41**

अनुलग्नक 30: योजना की अधिसूचना से पहले निर्यात के लिए जारी एसईआईएस स्क्रिप्स पैराग्राफ 3.7.3 (जी) देखें				
क्र.सं.	आरए का नाम	आईईसी धारकों की संख्या	आवेदनों की संख्या	पात्रता राशि (₹ लाख में)
1	चेन्नई	2	3	21.83
2	मुंबई	1	1	9.98
	कुल	**3**	**4**	**31.81**

अनुलग्नक 31: भिन्न वि.व. में प्रदान की गई सेवाओं के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स पैराग्राफ 3.7.3 (जी) देखें					
क्र. सं.	आरए का नाम	आईईसी धारकों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	सेवा के वर्ष	अतिरिक्त राशि (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	5	5	2017-18, 2018-19	101.31

अनुलग्नक 32: गलत धन प्रेषण के कारण अतिरिक्त एसईआईएस शुल्क क्रेडिट पैराग्राफ 3.7.3 (एच) देखें					
क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	अतिरिक्त राशि (₹ लाख में)
1	बेंगलुरु	2	2	2	5.09
2	डीसी, एमईपीजेड	1	1	1	128.13
3	कोयंबटूर	2	2	1	9.93
4	कोलकाता	4	9	2	302.47
	कुल	**9**	**14**	**6**	**445.62**

अनुलग्नक 33: शुद्ध विदेशी मुद्रा की गलत गणना के कारण एसईआईएस स्क्रिप्स का अतिरिक्त अनुदान पैराग्राफ 3.7.3 (आई) देखें					
क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	अतिरिक्त राशि (₹ लाख में)
1	बेंगलुरु	6	23	4	96.08
2	कोच्चि	5	5	5	105.40
3	दिल्ली	6	52	6	24.29
4	वीएसईजेड हैदराबाद	1	1	2	3.64
5	कोलकाता	1	1	1	9.16
6	गुवाहाटी	1	1	1	9.11
7	मुंबई	5	70	4	874.89
8	एसईईपीज़ेड मुंबई	2	12	2	16.54
	कुल	**27**	**165**	**25**	**1,139.12**

अनुलग्नक 34: विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने के कारण अतिरिक्त एसईआईएस शुल्क क्रेडिट

पैराग्राफ 3.7.3 (जे) देखें

क्र.सं.	आरए का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	आईईसी धारकों की संख्या	अतिरिक्त राशि (₹ लाख में)
1	**कोलकाता**	**1**	**1**	**1**	**11.65**

अनुलग्नक 35: सरकारी करों को सम्मिलित न करने के कारण अतिरिक्त स्क्रिप जारी करना

पैराग्राफ 3.7.3 (के) देखें

क्र.सं.	आरए का नाम	आईईसी धारकों की संख्या	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	अतिरिक्त स्क्रिप्स क्रेडिट (₹ लाख में)
1	अहमदाबाद	1	1	1	2.77
2	बेंगलुरु	1	1	1	2.04
3	कोलकाता	1	2	2	0.22
4	पुणे	1	1	1	0.42
	कुल	**4**	**5**	**5**	**5.45**

अनुलग्नक 36: अधिकार क्षेत्र अनुशासन का पालन न करना

पैराग्राफ 3.7.3 (एल) देखें

क्र.सं.	आरए /एसईज़ेड का नाम	आवेदनों की संख्या	स्क्रिप्स की संख्या	रिवार्ड राशि (₹ लाख में)
1	एसईईपीज़ेड मुंबई	1	1	1,100.70

अनुलग्नक 37: आयातों का गलत वर्गीकरण

पैराग्राफ 4.4 देखें

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	माल
			(₹ लाख में)				
1	7	अनुदान के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.09	11.09	12.60	आईसीडी-तुगलकाबाद-आयात, नई दिल्ली	जैतून का खली तेल
2	14	हाई स्पीड डीजल पर शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.29	10.29	10.82	कस्टम हाउस, पोर्ट ब्लेयर	हाई स्पीड डीजल ऑयल (HSD)
3	31	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.31	10.31	निरंक	आईसीडी खोडियार, अहमदाबाद	क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपाउंड
4	32	गलत वर्गीकरण के कारण बीसीडी का कम उद्ग्रहण	14.11	14.11	8.65	एसीसी आयात, नई दिल्ली	अन्य स्टेटिक कन्वर्टर्स
5	34	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	28.79	28.79	निरंक	आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली	पीवीसी वॉल पैनल/डब्ल्यूपी सी पैनल
6	35	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम /गैर उद्ग्रहण	14.76	14.76	17.51	आईसीडी पटपड़गंज, नई दिल्ली	फ्लो कंट्रोलर, फ्लो रेगुलेटर
7	38	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	14.57	8.08	1.58	एसीसी आयात, नई दिल्ली	सिंथेटिक फाइबर/कृत्रिम फाइबर के अन्य कपड़े
8	40	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.17	12.17	निरंक	आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली	खाद्य प्रसंस्करण मशीनों के लिए ड्रायर
9	47	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	15.06	12.67	0.19	आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली	प्यूमिस स्टोन ब्रश
		कुल	**131.15**	**122.27**	**51.35**		

अनुलग्नक 38: आईजीएसटी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

पैराग्राफ 4.5 देखें

क्र.सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	माल
			(₹ लाख में)				
1	6	पुनः आयातित माल पर आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	15.84	15.84	18.76	कोचीन (समुद्र)	हल्दी ओलियोरेसिन
2	8	आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	13.56	13.56	16.68	आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली	बैटरी विभाजक
3	12	आईजीएसटी दर के गलत आवेदन के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	23.06	20.49	24.48	एसीसी आयात, नई दिल्ली	लीथियम आयन बैटरी के अलावा अन्य बैटरियाँ
4	15	आईजीएसटी दर के गलत आवेदन के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	19.44	19.44	निरंक	जेएनसीएच, मुंबई	कपड़े कीटाणुनाशक
5	17	आईजीएसटी दर के गलत आवेदन के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.32	10.32	10.96	आईसीडी तालेगांव, पुणे	मोटर वाहनों के पुर्जे एवं सहायक उपकरण
6	22	आईजीएसटी दर के गलत आवेदन के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.57	12.57	14.30	आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली	तामचीनी पाउडर
7	27	आईजीएसटी दर के गलत आवेदन के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.24	10.24	10.84	आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली	प्रेरक, ट्रांसफार्मर
8	42	आईजीएसटी दर के गलत आवेदन के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	16.64	3.85	1.85	एसीसी, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली	प्लास्टिक की विभिन्न वस्तुएँ
9	49	पुनः आयातित माल पर	13.95	13.95	3.27	आईसीडी तुगलकाबाद, नई	ऑटोमोबाइल के पुर्जे

अनुलग्नक 38: आईजीएसटी अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

पैराग्राफ 4.5 देखें

		आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण				दिल्ली	
	कुल		**135.62**	**120.26**	**101.14**		

अनुलग्नक 39: छूट अधिसूचना का गलत अनुप्रयोग

पैराग्राफ 4.5 देखें

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	माल
1	**1**	अधिसूचना लाभ के अनियमित लाभ के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.63	12.63	9.23	मुंद्रा	मुलेठी की जड़ें
2	**9**	अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	13.97	13.97	12.97	आईसीडी, पटपड़गंज, नई दिल्ली	ऑटोमोटिव उपयोग के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रिक मोटर
3	**36**	अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	14.44	14.44	15.19	आईसीडी तुगलकाबाद (आयात), दिल्ली	वायरलेस- कई लाउडस्पीकर,
4	**50**	अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	15.04	15.04	निरंक	आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली	लीथियम आयन बैटरी
	कुल		**56.08**	**56.08**	**37.39**		

अनुलग्नक 40: अन्य अनियमितताएँ

पैराग्राफ 4.7 देखें

क्र. सं.	डीएपी सं.	विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	माल
			(₹ लाख में)				
1	4	एंटी-डंपिंग ड्यूटी न लगाना	13.87	13.87	16.62	कोलकाता (समुद्र)	लचीला स्लैब स्टॉक पॉलीओल
2	10	एंटी-डंपिंग ड्यूटी न लगाना	11.89	11.89	15.75	कोलकाता (समुद्र)	डीवीडी-रिकॉर्डेबल
3	25	एंटी-डंपिंग ड्यूटी न लगाना	20.76	20.76	निरंक	कस्टम्स हाउस, (एपीएसईज़ेड), मुंद्रा	80 माइक्रोन एवं उससे कम मोटाई वाली एल्युमिनियम फॉयल
4	37	एंटी-डंपिंग ड्यूटी न लगाना	13.64	13.64	16.11	आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली	80 माइक्रोन एवं उससे कम मोटाई वाली एल्युमिनियम फॉयल
		कुल	**60.16**	**60.16**	**48.48**		

© भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in